खण्ड-210, अंक-6
गुरूवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(3 मार्च, 1960 ई0)

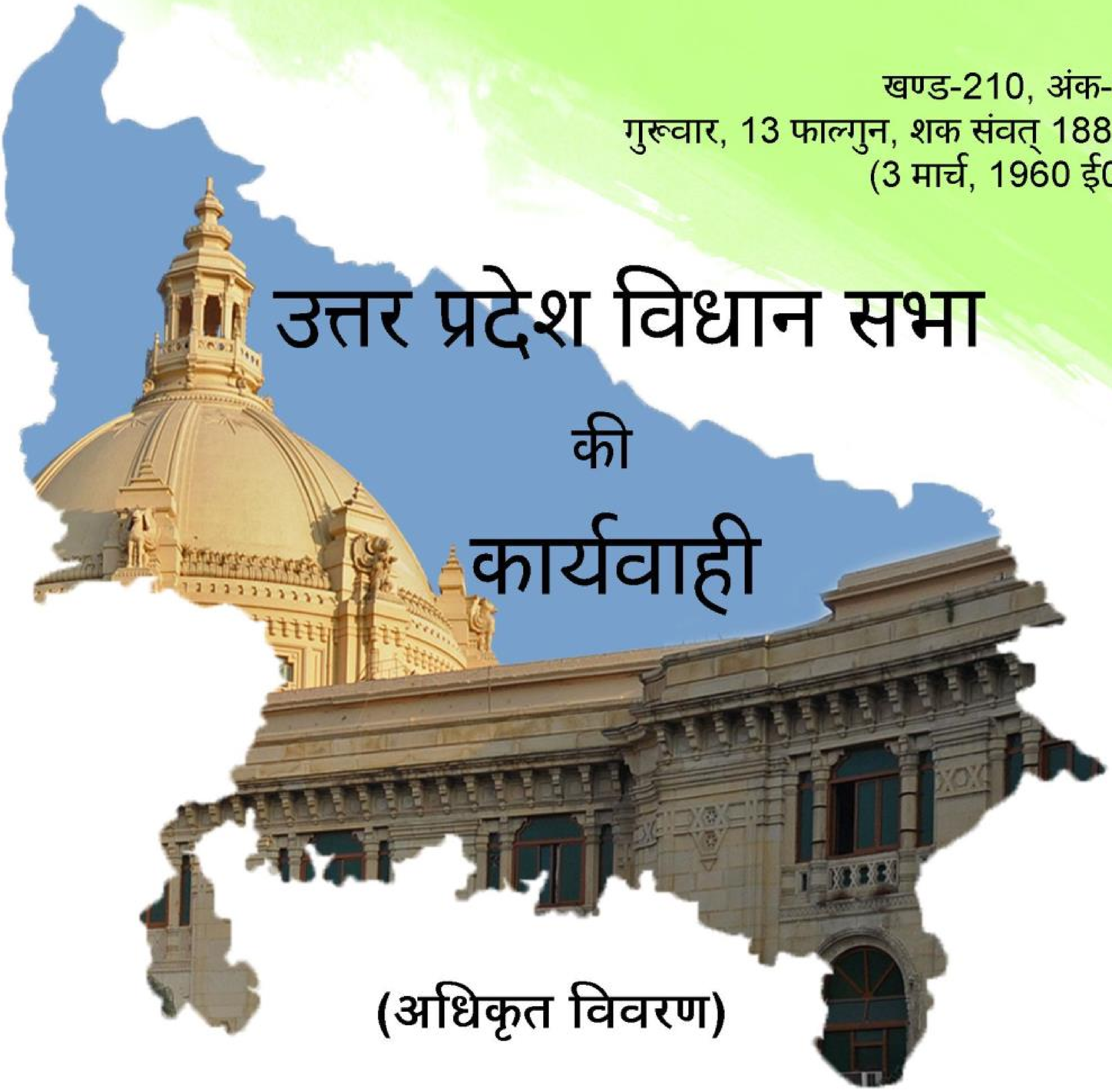

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 210 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में, ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४९

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेश चन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री

ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रजोत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जा०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर , श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक , श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल स्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री

हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३ मार्च, १९६०

तारांकित प्रश्न

[मुख्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित १८-२-६० के तारांकित प्रश्न]

* * *

पिछड़े क्षेत्रों की विकास योजना

*४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में "उत्तर प्रदेश" के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की कोई विशेष योजना है ?

नियोजन-उपमन्त्री (श्री सुल्तान आलम खां)--जी हां।

*५--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यदि हां, तो इस विशेष योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों तथा पुलों का निर्माण कहां-कहां किया जायेगा ?

श्री सुल्तान आलम खां--इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य संलग्न सूची 'क' देखने की कृपा करें।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५३५ पर)

*६--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त योजना को चालू किये जाने के हेतु भारत सरकार द्वारा धन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो यह धन, सहायता या ऋण किस रूप में है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त योजना के अन्तर्गत किन योजनाओं पर कितना-कितना धन व्यय किये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा स्वीकृत धन में से कितना धन ३०-९-५९ तक व्यय किया जा चुका है ?

श्री सुल्तान आलम खां--जी हां। ऋण के रूप में प्राप्त हुआ है। इस धन से चालू की जाने वाली योजनाओं आदि का विवरण संलग्न सूची† 'ख' में दिया हुआ है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजनाओं पर इतना कम धन खर्च होने का क्या कारण है ?

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री सुल्तान आलम खां--कम खर्च होने की वजह यह है कि, इस साल के बजट में यह चीज नहीं थी। उसके बाद गवर्नमेंन्ट ने १८,५०,००,००० रुपये की स्पेशल स्कीम बनाकर प्लानिंग कमीशन के सामने भेजी जिसमें बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने की बात थी। उसमें से ४ करोड़ की स्कीम्स मंजूर हुईं लोन की सूरत में और २ करोड़ इस साल के और २ करोड़ दूसरे साल के लिये था। हमें यह २ करोड़ ५० लाख की स्कीम अजसरे नौ बनाना पड़ी और उसे रिकास्ट करना पड़ा। कुछ रुपया कन्सालिडेटेड फंड से निकाला गया और कुछ सप्लीमेंटरी बजट के जरिये से हासिल करने की कोशिश की गई। ऐसी सूरत में जो सैंक्शन योजना के लिये निकली वह सितम्बर मे निकली, लेकिन फिर भी दिसम्बर तक खासी रकम खर्च हो गई है और आशा है कि आखिरी साल तक हम इसे पूरा कर सकेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--इस पृष्ठभूमि को देखते हुए मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह योजना वही है जिसका उल्लेख पहले भी हुआ था और जो बुन्देलखंड, पूर्वी और पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये थी; और भारत सरकार ने उसे किस रूप में स्वीकार किया है और उसका मुख्य प्रारूप क्या है ?

श्री सुल्तान आलम खां--यह जो हमारी प्लान्स हैं यह पहाड़ी जिलों, पूर्वी जिलों और बुन्देलखंड के लिये हैं और दुद्धी, राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर के लिये हैं। गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया ने कर्जे के रूप में ४ करोड़ की रकम दी है--२ करोड़ १९५९-६० के लिये और २ करोड़ १९६०-६१ के लिये, उसी को हमें पूरा करना है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जो २ करोड़ रुपया दिया है उसके सम्बन्ध में पूर्वी जिलों के लिये कौन सी प्रमुख योजना है जो बाढ़ और कटाव को रोकने के लिये सम्मिलित हुई है ?

श्री सुल्तान आलम खां--उसका तो बहुत बड़ा ब्योरा है जिसमें सभी जगह की स्कीमें ली गयी हैं। अगर माननीय सदस्य उसे पूरा देखना चाहें तो काफी बड़ी सूची है, मेरे कार्यालय में आ जांय तो मैं उन्हें दिखला दूंगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया १९५९-६० में केन्द्रीय सरकार से पिछड़े क्षेत्रों के लिये दिया गया था और वह अभीतक खर्च नहीं हुआ, क्या वह चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हो जायगा ?

श्री सुल्तान आलम खां--जैसा मैंने अभी बताया कि हम आशा करते हैं कि ३१ मार्च तक खर्च हो जायगा, क्योंकि सितम्बर से दिसम्बर तक के वकफे में प्रयास बहुत अच्छा हुआ है और अगर कुछ बच भी जायगा तो वह १९६०-६१ में खर्च होगा और अगर कोई और दूसरी चालू स्कीमें होंगी, उन पर वह रुपया खर्च होगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों की योजनाओं पर केवल ९२ रुपया खर्च हुआ है, यह किस मद का है ?

श्री सुल्तान आलम खां--यह बतलाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन जैसा मैंने बतलाया, सितम्बर में सैंक्शन निकली। सितम्बर में जाहिर है कि क्या खर्च होगा ? किसी सर्वे में खर्च किया होगा। उसके बाद दिसम्बर तक अच्छा खासा खर्च हुआ और आशा है कि साल के आखिर तक हम खर्च कर लेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--जो २ करोड़ रुपया सन् १९५९-६० के लिये मिला है वह भारत सरकार से कब प्राप्त हुआ ?

श्री सुल्तान आलम खां--भारत सरकार से अगस्त में इत्तला मिली मिलने की।

[३ मार्च, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्राइमरी हेल्थ यूनिटों का खोला जाना

*१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, १९५९ के महीने में प्रदेश के कितने राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों के अन्तर्गत प्राइमरी हेल्थ यूनिट की स्थापना की गई है ?

श्री सुल्तान आलम खां--अक्तूबर, १९५९ के महीने में प्रदेश के ५३ प्रथम प्रक्रम खंडों (Stage I Blocks) में प्राइमरी हेल्थ यूनिट की स्थापना के लिये आदेश जारी किये गये ।

*२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन प्रसार सेवा खंडों के अन्तर्गत प्राइमरी हेल्थ यूनिट खोलने का निश्चय किया गया, उन खंडों के चयन का मुख्य आधार क्या रहा है ?

श्री सुल्तान आलम खां--इन खंडों का चयन मुख्यतः जिलाधीशों के प्रस्तावों पर आधारित था जो कि जिले के सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला नियोजन अधिकारी की सलाह से भेजे गये थे ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--इन ५३ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों, जिनके अन्तर्गत प्राइमरी हेल्थ यूनिट की स्थापना के आदेश दिये गये, के नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--संख्या बहुत बड़ी है, आप मंत्री जी के पास से देख लें ।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--जो हेल्थ यूनिट खोले जा रहे हैं उनमें फर्रुखाबाद का भी नाम है ?

श्री सुल्तान आलम खां--इसमें सब जिलों के नाम हैं । यूनिट्स इस तरीके पर खोले जा रहे हैं कि ३ जिलों में २-२ यूनिट हैं और बाकी ४७ जिलों में १-१ है । जिला आजमगढ़ में हमारा यूनिट नहीं खोला जा रहा है क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट ने पहले से ही वहां यूनिट खोल रखा था ।

*३-४--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[न्याय मंत्री से सम्बन्धित उन्नीसवें शुक्रवार के लिये प्रश्न १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

फतेहपुर जिलाधीश, श्री अल्ताफ हुसैन द्वारा आत्महत्या

*५--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जनवरी, १९५९ से अक्तूबर, १९५९ तक कितने जिलाधीशों ने आत्महत्या की है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--एक ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतायेगी कि जिन्होंने आत्महत्या की वह किस जिले के थे और आत्महत्या के कौन-कौन से कारण थे ?

श्री उपाध्यक्ष--अगर कोई सरकारी कारण हो तभी बताया जा सकता है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यदि माननीय सदस्य का मतलब हो कि कहां के रहने वाले थे, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वह फतेहपुर जिले में आफीशियेटिंग जिला मैजिस्ट्रेट थे, नाम था अल्ताफ हुसैन । अफसोस है कि मरने के पहले उन्होंने बताया नहीं कि क्यों आत्महत्या करने जा रहे हैं ।

एटा-मैनपुरी बस सर्विस की मांग

*६—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सड़क कलां जो कि दिल्ली से कलकत्ता को जाती है उसका जितना हिस्सा उत्तर प्रदेश की हद में आता है, उस हिस्से में सरकारी बसें कहां से कहां तक नहीं चल रही हैं ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—एटा से भोगांव तक।

श्री गनेशचन्द्र काछी—एटा से मैनपुरी तक बहुत अच्छी सड़क है और अब तक उस पर सरकारी बस नहीं पहुंची है इसका क्या कारण है और कब तक पहुंचेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में राष्ट्रीयकरण करने का विचार है।

स्थानीय विकास निर्माण-कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता

*७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय विकास निर्माण-कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष १९५९-६० में भारत सरकार ने क्या आर्थिक सहायता राज्य सरकार को प्रदान की है ?

श्री सुल्तान आलम खां—वित्तीय वर्ष १९५९-६० में भारत सरकार ने अब तक ७१,२५,००० रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—स्थानीय विकास निर्माण-कार्यों के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य किये जाते हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—७१,२५,००० रुपया ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिये, कुंए वगैरह बनाने के लिये खर्च किया जायगा।

*८—श्री लक्ष्मणराव कदम—[१७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्रीय अनुदान

*९—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार से राज्य के नियोजन के निमित्त प्राप्त होने वाली पूर्व स्वीकृत रकम के अतिरिक्त ८० लाख रुपये की रकम प्राप्त हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त रकम किस-किस मद पर खर्च होगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय—अगर ८०,००,००० रुपये की रकम नहीं मिली तो क्या इससे कम या वेश मिली है ? अगर मिली है तो कितनी और किस मद में ?

श्री सुल्तान आलम खां—प्लानिंग कमीशन ने ५०,००,००,००० रुपये का आउट ले हमारे राज्य के प्लान के लिये मौजूदा साल में मंजूर किया है और इसमें से १८,२६,००,००० रुपया लोन और ८,२४,००,००० रुपया ग्रान्ट के तौर पर यानी २६,५०,००,००० रुपया वह देंगे। इसके अलावा २,००,००,००० रुपये का और लोन दिया जायगा और वह बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिये होगा।

श्री मदन पांडेय—जो बैकवर्ड एरिया के लिये २,००,००,००० रुपये की रकम है उसमें क्या-क्या खास योजनायें किस हिस्से में लागू की जा रही हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह तो मैंने पहले ही सवाल के सिलसिले में बताया कि जितने भी हमारे प्लान के आइटम हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेन्टल बजट्स में उनके मुताल्लिक योजनायें बनायी गयी हैं, उन सब में खर्च किया जायगा।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—जो २,००,००,००० रुपया बैकवर्ड एरिया के डेवलप करने के लिये केंद्रीय सरकार से मिला है उसमें देहात की सड़कें बनाने के लिये कोई विशेष योजना तैयार की गयी है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां, और चीजों पर रुपया खर्च किया जायगा तो इस पर भी खर्च होगा ।

श्री मदन पांडेय—जो इतनी बड़ी रकम मिली है इसमें से पीने का साफ पानी मिल सके इसके लिये भी कोई सर्वे करा कर देहात में कुएं बनाने के लिये भी कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री सुल्तान आलम खां—बैकवर्ड एरिया में मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिये यह रुपया सर्फ किया जायगा, खासतौर पर पानी पीने के लिये जो योजनायें बनायी जाती हैं उनके लिये ७१,२५,००० रुपया खर्च किया जायगा ।

श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बैकवर्ड जिलों में से बुंदेलखंड का बांदा जिला भी है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां, बुंदेलखंड के चारों जिले उसमें शामिल हैं ।

मसूरी यात्रा पर श्री राज्यपाल को खदान मजदूरों की ओर से कथित स्मृति-पत्र

*१०—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या श्री राज्यपाल की गत मसूरी यात्रा के अवसर पर देहरादून समाजवादी दल तथा क्रान्तिकारी समाजवादी दलों के मंत्रियों ने राज्यपाल को जिले के खदान मजदूरों की दुरवस्था तथा अन्य परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कोई स्मृति-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या थीं तथा उन पर सरकार ने क्या कदम उठाये ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मदन पांडेय—यदि क्रांन्तिकारी समाजवादी और समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया तो क्या किसी भी संस्था या व्यक्ति की तरफ से इस प्रकार का स्मृति-पत्र दिया गया है जिसमें वहां के खदान मजदूरों की दुरवस्था की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया हो ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, यह तो राज्यपाल के कार्यालय से पूछें तो जवाब दें ।

अवैध रूप से मद्य तैयार करने तथा हानिकर पदार्थों के सेवन से संबंधित जांच समिति

*११—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सरकार ने श्री रामस्वरूप यादव, उपमंत्री के सभापतित्व में अवैध रूप से मद्य तैयार किये जाने और हानिकर पदार्थों के सेवन की जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की थी, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी या नहीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं ।

*१२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की है या समिति ही नहीं बनायी गयी थी ? जी नहीं, के क्या माने हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--समिति का निर्माण २८ नवम्बर, १९५८ को हो चुका है, किन्तु अभी रिपोर्ट नहीं तैयार हुई है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--रिपोर्ट के कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--यथाशीघ्र समिति की रिपोर्ट तैयार हो जायगी।

श्री उग्रसेन--इस अवधि के बीच में समिति की कितनी बैठकें हुई हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--समिति की बैठकें निरन्तर होती रहीं। कितनी बैठकें हुईं, इसकी संख्या मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको बताया जा सकता है।

*१३--**श्री उग्रसेन**--[१७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

इन्दारा में सहकारी चीनी मिल खोलने की योजना तथा मऊनाथभंजन में खाद का कारखाना खोलने की प्रार्थना

*१४--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के मऊनाथभंजन तथा इन्दारा में कोई चीनी मिल खोलने की योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में केवल इन्दारा नामक स्थान पर सहकारी चीनी मिल खोलने में प्रोत्साहन देने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

*१५--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ-भंजन, जिला आजमगढ़ में सरकार द्वारा प्रदत्त लाइसेंस पर कोई खाद का बड़ा कारखाना शीघ्र ही खोलने का सरकार का विचार है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं। भारत सरकार ने तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में कुछ उर्वरक (fertilizer) कारखाने खोलने के लिये उचित स्थानों का चुनाव करने के सम्बन्ध में एक कमेटी बनायी है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग का भी निरीक्षण करेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में इन्दारा में चीनी मिल खोलने के लिये अनुदान दिया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह विचार हो रहा है। अभी तो गर्भ में है, उससे निकले तो आगे बात चले।

श्री रामसुन्दर पांडेय--इस सरकारी चीनी मिल खोलने में सरकारी शेयर कितने का होगा और पब्लिक का कितने का होगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--हजार टन की फैक्टरी लगेगी तो १५ लाख रुपया वहां इकट्ठा हो जायगा। शेष का प्रबन्ध सरकार खुद या फाइनेन्सिग संस्थाओं द्वारा कराने की कोशिश करेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह कमेटी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का भ्रमण कब करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जब-जब प्रोग्राम बनेगा।

*१६-१८--श्री प्रतापसिंह--[१७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

पत्रकारों पर वेतन मण्डल की सिफारिशों का लागू किया जाना

*१९--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के किन-किन समाचार-पत्रों ने पत्रकार यूनियन के अन्तर्गत नियुक्त वेतन मण्डल की सिफारिशों को लागू किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूची संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५३६ पर)

*२०--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या जिन पत्रों ने वेतन बोर्ड के नियमों को लागू किया है उन्होंने पत्रकारों की विभिन्न श्रेणियों, जैसे--उप-सम्पादकों, समाचार सम्पादकों, प्रधान सहसम्पादकों (चीफ सब-एडीटर्स) तथा विशेष संवाददाताओं के वर्गीकृत ग्रेड को लागू किया है? यदि नहीं, तो ऐसे कौन-कौन से पत्र हैं और उसके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--संलग्न तालिका में उल्लिखित समाचार पत्रों में से केवल निम्नलिखित समाचार पत्रों ने वर्गीकृत ग्रेड लागू नहीं किये हैं :--

(१) जागरण, कानपुर।
(२) एडवान्स, कानपुर।
(३) विश्वमित्र, कानपुर।
(४) प्रताप, कानपुर।

इनके बारे में सम्बन्धित तथ्यों की जांच की जा रही है तथा सेवायोजकों और समाचार संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता करके आपसी समझौते द्वारा ग्रेड लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है और सम्बन्धित पत्रकारों को यह सलाह भी दी गयी है कि यदि प्रबन्धक निर्धारित वेतन समझौते द्वारा न दें तो धन को बकाया लगान के रूप में वसूली के लिये कार्यवाही करें।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५३६ पर)

*२१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वेतन मण्डल की सिफारिशें राज्य में उसके प्रकाशित होने की तिथि २९ मई, १९५९ से लागू की गई हैं या बाद से? जिन्होंने बाद की तिथि से लागू किया है उनके साथ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--संलग्न तालिका में दिये हुए अधिकांश समाचार पत्रों ने वेतन मंडल की सिफारिशों को प्रकाशित होने की तिथि से ही लागू किया है और जिन समाचार पत्रों ने बाद से लागू किया है उनसे कहा गया है कि वे सम्बन्धित पत्रकारों का बाकी वेतन भी दे दें न देने पर बकाया धन की वसूली के लिये कार्यवाही की जायगी।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५३६ पर)

सामाजिक सुरक्षार्थ प्रान्तीय रक्षक दल की सहायता

*२२--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसकी ओर से सदन में कुछ समय हुआ जब ऐसा वक्तव्य दिया गया था कि प्रान्तीय रक्षक दल की एक-एक शाखा पुलिस के साथ सामाजिक सुरक्षा का कार्य प्रयोगात्मकरूप से करने के लिये आगरा, वाराणसी व लखनऊ में खोली जायगी? यदि हां, तो क्या वह कार्य रूप में परिणत किया गया?

श्री सुल्तान आलम खां--प्रान्तीय रक्षक दल की एक-एक शाखा सामाजिक सुरक्षा के कार्य में पुलिस को सहायता करने के लिये १ अक्तूबर, १९५७ से ही तीनों शहरों में तैनात कर दी गयी है।]

यह प्रश्न ही नहीं उठता है।]

कानपुर में श्रमिकों के रोगों की जांच के लिये समिति नियुक्त करने का विचार

*२३--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह कानपुर श्रमिकों में गुह्य जननेन्द्रिय रोग (venereal diseases) की रोक थाम के लिये कोई कदम उठाने का विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो वह क्या हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--कानपुर के श्रमिकों में इन रोगों तथा दूसरे किन्हीं रोगों की वृद्धि हो रही है अथवा नहीं और यदि हो रही है तो इसके लिये क्या उपाय किये जायं, इस की जांच करने के लिये एक कमेटी बनाने का विचार है। उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही, यदि आवश्यकता हुई तो, किसी विशेष कदम के उठाने का प्रश्न उठेगा।

*२४--श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या यह सही है कि राज्य लेबर वेलफेयर सलाहकारी समिति द्वारा उपरोक्त बढ़ते हुए रोगों पर सरकार का ध्यान गत १ दिसम्बर, १९५९ को आकर्षित किया गया है? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त समिति के अन्य सुझाव क्या थे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--समिति की ३०-११-५९ को हुई बैठक में इस ओर ध्यान दिये जाने तथा समुचित जांच किये जाने के लिये कहा गया था। इसके अतिरिक्त इस विषय में अन्य कोई सुझाव नहीं थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह जो कमेटी बनाये जाने का विचार हो रहा है, यह कब तक बन जाने की आशा है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---आदेश प्रसारित हो रहे हैं।

हाथरस राजकीय उद्योग केन्द्र में पीतल के सामान का निर्माण

*२५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस राजकीय उद्योग में ब्रासवेयर का कार्य कब से आरम्भ हुआ है और अब तक कितने टन के सामान का निर्माण हो चुका है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हाथरस राजकीय उद्योग केन्द्र में ब्रासवेयर वस्तुओं के निर्माण का कार्य ६ मार्च, १९५९ से आरम्भ हुआ है और फरवरी, २०, १९६० तक लगभग ९ मन २० सेर वजन का सामान, जिसका मूल्य १,३३७.५६ रुपये है, निर्माण किया जा चुका है।

*२६---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस राजकीय उद्योग में किस-किस प्रकार का पीतल का कार्य होता है और अब तक उस कार्य से कितना लाभ हो चुका है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस केन्द्र में पीतल की खूंटी, दरवाजे तथा अलमारियों के हैंडल्स निर्माण किये जाते हैं। उत्पादित माल पर राजकीय नियमों के अनुसार ५ प्रतिशत ओवरहेड और ५ प्रतिशत लाभ लिया जाता है। इस दर से कुल ६६.७८ रुपये का ओवरहेड तथा ६६.७८ रुपये का लाभ हो चुका है।

*२७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार इस राजकीय उद्योग केन्द्र पर लगी मशीनों से प्राइवेट कारखानेदारों के लिये निश्चित दर पर पालिशिंग, कटिंग, प्रेसिंग आदि के कार्यों को कराने की स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब से?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस केन्द्र द्वारा प्राइवेट कारखानेदारों के लिये निश्चित दरों पर पालिशिंग इत्यादि का कार्य भी किया जाता है। मेटिल कटिंग की कोई मशीन इस केन्द्र में इस समय उपलब्ध नहीं है, अतः प्राइवेट कारखानेदारों के लिये कटिंग का कार्य इस केन्द्र द्वारा कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस राजकीय उद्योग पर कुल वार्षिक व्यय कितना होता है और उसके वार्षिक नेट प्राफिट पिछले वर्षों में कितने-कितने हुए हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—व्यय कितना हुआ इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेंटर्स जो हैं उनमें गवर्नमेंट की न मुनाफे की दृष्टि रही है और न मुनाफे का प्रश्न उठ ही सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—इसको अगर कामर्शियल माना जाता है तो क्या इसकी कोई बैलेंस-शीट तैयार होती है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह पढ़ाई लिखाई की जगह मानी जाती है। इसमें व्यापार की जगह नहीं मानी जाती है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—सरकार ने जो ६६.७८ रुपये का वार्षिक लाभ उठाया है तो अधिक लाभ उठाने के लिये क्या सरकार के पास कोई योजना है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—लाभ करने का इरादा नहीं है। लाभ हो जाय यह अलग बात है।

*२८—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[१७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

सीतापुर में भेड़ियों के मारने के कार्य

*२९—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सीतापुर जिले के थाना तम्बौर, लहरपुर व थान गांव में पिछले दो वर्षों से भेड़ियों का आतंक है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आतंक पहले था, किन्तु अब नहीं है।

*३०—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक इन भेड़ियों ने कितने बच्चों का अपहरण किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पिछले दो वर्षों में पांच बच्चों के अपहरण की सूचना मिली है।

*३१—श्री गनेशीलाल चौधरी—सरकार ने जनता को इनके आतंक से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भेड़ियों को मारने के लिये एक टुकड़ी पुलिस आर्म्ड गार्ड का और एक कुचबंदियों (बन्जारों की एक जाति) की लगाई गई थी जिसने १०५ भेड़ियों और उनके बच्चों को मारा। इसके सिवा इन जानवरों को मारने के लिये बन्दूक के स्थानीय लाइसेन्सदारों और पुलिस को भी विशेष आदेश दिये गये हैं। ऐसे वन्य पशुओं का वध करने पर सरकार द्वारा नकद पारितोषिक भी दिये जाते हैं।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि पुलिस आर्म्ड गार्ड्स की टुकड़ी जो लगी है उसने कितने भेड़ियों को मारा ?

श्री उपाध्यक्ष—भेड़ियों की संख्या बतला दी गयी।

*३२-३३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[१७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले के बुनकरों को सहायता

*३४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के बुनकरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कौन-कौन कार्य किये गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक जिला आजमगढ़ के बुनकरों को सहकारिता के क्षेत्र में लाकर सरकार ने उनकी सहकारी समितियों को ऋण तथा अनुदान के रूप में निम्नलिखित कार्यों के हेतु सहायता देकर उनकी आर्थिक दशा को सुधारा है:

कार्य	धनराशि
	रु०
१—हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर छूट के रूप में अनुदान ..	५७,००८.५९
२—रंगाई घरों के लिये अनुदान	१०,८७०.००
३—बिक्री केन्द्रों के लिये अनुदान	२४,८३८.००
४—वर्कशाप बनाने क लिये अनुदान	२३,४००.००
५—उन्नत यन्त्रों के वितरण के लिये अनुदान	७,८५०.००
६—प्रदर्शनी तथा हथकरघा सप्ताहों के आयोजन हेतु अनुदान ..	१,१३०.००
७—कार्यशील पूंजी के लिये ऋण	१,४३,०९५.०४
योग ..	२,६८,१९१.६३

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह धनराशि जो दी गयी है यह किस माध्यम से दी गयी है और क्या सरकार द्वारा इसकी जांच-पड़ताल होती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कायदा यह है कि इसमें अलग-अलग धनराशियां तो हैं नहीं। प्रश्नकर्ता का आशय बिक्री में छूट दी जाती है उससे है। उसका कायदा यह है कि सहकारी समितियां अपना हिसाब बना कर देती हैं हमारे सुपरवाइजर को और इंडस्ट्री इंस्पेक्टर उसकी चेकिंग करता है और फिर कानपुर से उसका पेमेंट हो जाता है। इस प्रकार पेमेंट होने से पहले हमारे सरकारी कर्मचारियों द्वारा उसकी चेकिंग हो जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह जो २,६८,१९१ रुपया ऋण तथा अनुदान के रूप में दिया गया है यह जौनपुर जिले के बुनकरों की संख्या को देखते हुए बहुत ही कम है तो क्या सरकार अगले वर्ष में इस तादाद को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं इसे स्वीकार करता हूं कि जो रुपया दिया है और जो तादाद बुनकरों की है उसे देखते हुए यह धनराशि कम है लेकिन हमारे साधनों को देखते हुए जितनी शक्ति हमारे पास है उसे हमने उनको पहुंचाने की कोशिश की है।

घुघली चीनी मिल की दुर्घटनायें

*३५--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की घुघली चीनी मिल के अलग-अलग विभागों में सन् १९५७ से लगायत अब तक कुल कितने श्रमिक मिल के कामों में हुई दुर्घटनाओं में मरे तथा किन कारणों से यह दुर्घटनायें हुयीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इन दुर्घटनाओं में तीन श्रमिकों की मृत्यु हुई। एक श्रमिक की मृत्यु ब्वायलर पम्प के मरम्मत होते समय गरम पानी से जलने के कारण हुई। दूसरे की मृत्यु टीन की चद्दरों द्वारा ऊंची छत छाते हुए नीचे की लकड़ी की शहतीर टूटने से नीचे गिरने के कारण हुई। तीसरे श्रमिक की मृत्यु सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन में ब्रेक लगाते हुए, ब्रेक लीवर की कुछ खराबी व श्रमिक की लापरवाही के कारण हुई।

*३६--श्री अमरनाथ--क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बायेंगे कि उपरोक्त दुर्घटनाओं की जांच किन अधिकारियों ने की तथा इस प्रकार की दुर्घटनाओं को भविष्य में न होने देने की कौन-सी उचित व्यवस्था की गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--कारखाना निरीक्षकों द्वारा जांच की गई। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिये की गई व्यवस्था का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५३७ पर)

*३७--श्री अमरनाथ--क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उपरोक्त दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों के परिवार वालों को कौन-कौन सी सहायता दी गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--ऐसे व्यक्तियों के परिवार वालों को सहायता वर्कमैन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट, १९२३ (Workmen's Compensation Act, 1923) के प्राविधानों के अनुसार दी जाती है। इन दुर्घटनाओं की सूचना जिलाधीश गोरखपुर को जो वर्कमेंस कम्पेन्सेशन कमिश्नर (Workmen's Compensation Commissioner) भी हैं उचित कार्यवाही के लिये दी जा चुकी है।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनके परिवारों को वर्कमेंस कम्पेन्सेशन ऐक्ट के अनुसार जो हरजाना दिया जाने वाला था उसकी रकम निर्धारित हुई है या नहीं और अगर निर्धारित हो गयी है तो उनके घर वालों को मिली या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--उन्होंने कहा तो कि मामला जिलाधीश, गोरखपुर के विचाराधीन है।

श्री अमरनाथ--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि जिन श्रमिकों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है वह मिल अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई और जो सामान उन्होंने दुर्घटनाओं से बचाव के लिये मांगा था उसे उन लोगों ने नहीं दिया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जांच में कोई चीज छिपा ली गयी, ऐसा मैं नहीं मानता; लेकिन यह सही है कि जिस हद तक मिल वालों की तरफ से लापरवाही की गयी थी उसके लिये उनको भी तम्बीह की गयी है और जो बात कही गयी है, स्पष्ट है कि उनकी कुछ कमजोरियां थीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दुर्घटनायें सन् ५७ में हुई थीं और अब तक कम्पेन्सेशन न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--माननीय विशारद जी जानते हैं कि इस सम्बन्ध में जो कानून है उसके अन्तर्गत दोनों पक्षों की सुनवाई होती है और जैसा कहा गया, इस सुनवाई के सिलसिले में जिलाधीश कार्य कर रहे हैं। वह जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसलिये मैं जिलाधीश को यह आदेश नहीं कर सकता कि उसका फैसला वे जल्दी करें।

श्री उग्रसेन--माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि कारखानों को आदेश दिया गया है कि उनके अन्तर्गत भविष्य में कोई दुर्घटना न हो तो क्या मंत्री जी को यह सूचना है कि उस आदेश का कोई पालन नहीं किया गया इसलिये बाद में भी यह दुर्घटनायें होती रहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--आदेश देने के बाद किसी भी दुर्घटना की सूचना मेरे पास नहीं आयी है।

*३८--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--[१७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

अश्लील चल-चित्रों पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव

*३९--**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष अश्लील चित्र विरोध समिति के प्रतिनिधि मन्डल ने सरकार को सुझाव दिया था कि अश्लील चल-चित्रों के प्रदर्शन, उत्तेजनात्मक गाने, स्पेशल एवं मैटिनी शो पर रोक लगाई जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। किन्तु इस समिति ने एक स्मृति-पत्र अवश्य भेजा था जिसमें समिति द्वारा प्रस्तावित अश्लील चल-चित्र विरोधी सम्मेलन के ध्येय तथा उद्देश्यों का जिक्र किया गया था।

*४०--**श्री मुक्तिनाथराय**--यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अश्लील चल-चित्रों और गाने आदि पर रोक लगाने का प्रश्न भारत सरकार से सम्बन्धित है।

स्पेशल एवं मैटिनी शो के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक Ad-hoc कमेटी नियुक्त की थी जिसकी सिफारिशों आदि को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में ही कुछ प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार को इस बारे में कोई सुझाव भेजा है ? यदि नहीं, तो क्या कोई सुझाव भेजने का वह विचार कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--सुझाव देने का क्या सवाल है ? अपने-अपने कर्तव्यों का अलग-अलग पालन हो रहा है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या सरकार इस विषय में कोई बिल विधान सभा में पेश करने वाली है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरा खयाल है शायद बिल पेश करने की जरूरत नहीं होगी, एग्जीक्यूटिव आर्डर से ही काम हो जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या सरकार ने अश्लील चल-चित्रों और उत्तेजनात्मक गानों की कोई निश्चित परिभाषा कर दी है कि इस परिभाषा के अनुसार अमुक चल-चित्र अश्लील माना जायगा और इस परिभाषा क अन्दर आन वाला गाना अश्लील माना जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। न मैंने किया है और न मैं समझता हूं किसी और ने किया है। इसी सम्बन्ध में मैंने एक दिन सदन में निवेदन किया था कि भारत सरकार का एक बोर्ड आफ सेंसर है जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के सदस्य होते हैं और वे चित्रों को पास करते हैं। तो उनकी निगाह में वह अश्लील नहीं हैं लेकिन कुछ लोगों को अश्लील लगता है। इसलिये मैं समझता हूं कि कोई निश्चित परिभाषा इसकी है नहीं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--इस बात को देखते हुए कि अश्लील चित्रों का असर हमारे देश और समाज की तीन पीढ़ियों--युवकों, बच्चों और किशोरों पर पड़ता है, क्या हमारी सरकार और इसके मुख्य मंत्री जी भारत सरकार को कोई सुझाव देंगे कि इसको बैन कर दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--किस को बैन कर दिया जाय ?

श्री झारखंडेराय--श्रीमन्, यह जो दो चल-चित्र हैं....

श्री उपाध्यक्ष--इसकी कोई परिभाषा नहीं है। आप कोई खास पिक्चर बतायें तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--प्रादेशिक सरकार विचार कर रही है, ऐसा उन्होंने बताया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--शायद उन्होंने कुछ निश्चय कर लिया हो।

श्री उपाध्यक्ष--अभी तो वह यही कह रहे हैं कि विचार कर रहे हैं, निश्चय कहां से कर लिया ?

जिला इटावा में भाग्यनगर विकास खण्ड को दिया गया सीमेंट

*४१--श्री भजनलाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड, भाग्यनगर, जिला इटावा में १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक विकास हेतु कुल कितनी बोरियां सीमेंट दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विकास खण्ड भाग्यनगर, इटावा में १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक कुल ६,१७४ बोरियां सीमेंट की दी गईं।

*४२--श्री भजनलाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस विकास खंड में किस-किस ग्राम में किस कार्य हेतु कितनी बोरियां सीमेंट दी गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विकास कार्य के ग्राम-सभावार आंकड़ों की सूची † संलग्न है।

खादी विकास योजना उद्योग, कानपुर के अन्तर्गत तोड़े गये केन्द्र

*४३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खादी विकास योजना उद्योग, कानपुर के अन्तर्गत चलने वाले कितने सेन्टर अगस्त, १९५८ से अगस्त, १९५९ तक तोड़े गये तथा कितने आदमी निकाले गये ?

---

†सूची छापी नहीं गई।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) १०० खादी सेन्टर, ८ बुनाई सेन्टर तथा १ पैटर्न मेकिंग सेन्टर तोड़े गये।

(ख) ८० सरकारी कर्मचारी नौकरी से अलग किये गये।

*४४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग, कानपुर में छटनी सन १९५९ के अन्त तक होने जा रही है? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों पर इसका असर पड़ेगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पी० सी० एस० तथा आई० ए० एस० में महिलाएं

*४५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितनी आई० ए० एस० व कितनी पी० सी० एस० महिलायें इस समय प्रदेश में कार्य कर रही हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आई० ए० एस० में तीन और पी० सी० एस० में दो।

*४६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार कोई ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिससे राजकीय सेवा में महिलाओं को जाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

मूल्यांकन एवं जन सहयोग समिति के प्रतिवेदन पर विचार

*४७—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मूल्यांकन एवं जन सहयोग समिति, उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन (१९५९) के फलस्वरूप सरकार ने कौन से निर्णय किये? क्या सरकार अपने तदुपरान्त निर्णयों की लिपिबद्ध सूची सदन की मेज पर रखेगी?

श्री सुल्तान आलम खां—समिति का प्रतिवेदन, सक्रिय रूप से, राज्य-सरकार के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णयों में अभी कुछ समय लगेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये इस पर काफी सप्लीमेन्टरीज करने का मौका दें। ऐसा न हो कि आप जल्दी पास आन हो जायं।

श्री उपाध्यक्ष—यह मेरा काम है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं देख रहा हूं कि मेरे एक प्रश्न के सम्बन्ध में आवश्यक सप्लीमेंटरी करने से छूट गये।

श्री उपाध्यक्ष—आपको प्रश्न पूछना है?

श्री मोतीलाल अवस्थी—पूछना तो चाहता हूं, लेकिन आप मौका तो दें।

श्री उपाध्यक्ष—आप प्रश्न पूछिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मूल्यांकन एवं जन सहयोग समिति की रिपोर्ट जो विचाराधीन है उसमें एक यह भी सिफारिश है कि भू-राजस्व का २५ प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों को दे दिया जाय? इस सलाह पर वह सुहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष---आपके कहने का मतलब हुआ कि इस समिति की रिपोर्ट में यह सुझाव है कि राजस्व का २५ प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दे दिया जाय, यह आपने पढ़ा होगा, तो आप क्या चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो अभी विचाराधीन है। ऐसे हाईपाथेटिकल प्रश्नों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आप दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार बतायेगी कि इस समिति द्वारा जो बहुत सी सलाहें दी गई हैं उनके सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप से सरकार बतायेगी कि किन बातों पर वह विचार करना चाहती है ?

श्री सुल्तान आलम खां---मैंने अर्ज किया कि कमेटी की जितनी रिपोर्ट है वह सब विचाराधीन है और जितनी सिफारिशें उसकी हैं उन सभी पर गौर किया जा रहा है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी विचार खत्म हो और हम ऐक्शन ले सकें।

*४८---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---[१२वें बुधवार के लिए प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

राज्य के पूर्वी अंचल में उर्वरक कारखाना खोलने की प्रार्थना

*४९---**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह राज्य के पूर्वी अंचल में उर्वरक (Fertilizer) कारखाना खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस जिले में ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं।

भारत सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कुछ उर्वरक (Fertilizer) कारखाने खोलने के लिये उचित स्थानों का चुनाव करने के सम्बन्ध में एक कमेटी बनायी है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग का भी निरीक्षण करेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राज्य सरकार के हैवी इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर ने पूर्वी जिलों का दौरा इसलिये किया था कि उस जगह का चुनाव किया जा सके जहां इस तरह का फर्टिलाइजर का कारखाना सरकार खोलने का विचार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, हमारे डायरेक्टर और दूसरे लोग घूमते रहते हैं डेटा इकट्ठा करने के लिये। लेकिन यह काम तो इसी कमेटी का होगा कि वह सिफारिश करे कि किस जगह यह कारखाना खुल सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भारत सरकार ने जिस कमेटी का निर्माण किया है उसके सामने राज्य सरकार ने पूर्वी जिलों में इस कारखाने को खोलने का सुझाव दिया है ? यदि हां, तो किस स्थान पर ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---राज्य सरकार का जरूर इरादा है कि इस सबे में मुगलसराय, शाहगंज, इलाहाबाद, उन्नाव, कानपुर, गोरखपुर और बस्ती आदि जिलों में इस मामले को देखा जाय कि कहां इस फैक्टरी को अच्छी तरह से लगा सकते हैं, लेकिन हम अपना जो सुझाव है और विचार है वह तो देंगे। विचार करना है उस कमेटी को कि पब्लिक सेक्टर में किस जगह वह बनायेंगे और कितना बनायेंगे।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी ने अभी जो लिस्ट सुनायी है उसमें देवरिया जिले को भी जोड़ने की कृपा करेंगे कि वह समिति वहां भी जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वह तो एकदम बिहार के पड़ोस में चला जाता है। कुछ ऐसी जगह होनी चाहिये जिसमें कि कुछ ज्यादा एरिया यू० पी० का लेकर वह घूम सकें।

श्री भगवती सिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी की नियुक्ति कब हुई थी और कब से वह अपना काम प्रारम्भ कर देगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---थर्ड फाइव-ईयर प्लान के बनाने के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो वर्किंग रूल्स बनाये हैं उसमें इस मामले को वह देखते हैं और थर्ड फाइव-ईयर प्लान जिस वक्त लोक सभा में प्रस्तुत होगा, उसका वह काम पूरा होने का समय आ जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---जिस आधार पर देवरिया को बिहार की सरहद पर बताकर उसको इस लिस्ट में नहीं रखा गया है, उसे टाल दिया गया, उसी तरह से बनारस को भी क्यों नहीं टाल दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---बनारस पर गेंदा सिंह जी की विशेष कृपा है, इसका हमको पता था।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमेटी के पूर्वी यू० पी० में कब तक आने की आशा है ? कुछ ऐसी सूचना सरकार देगी ?

श्री उपाध्यक्ष---वह तो कार्यक्रम के अनुसार बता दिया है कि आ जायगी।

यू० पी० फैक्ट्रीज वैलफेयर आफिसर्स रूल्स के अन्तर्गत एग्जेम्प्शन तथा प्राइवेट कारखानों में वर्क्स कमेटी

*५०---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार यू० पी० फैक्ट्रीज वैलफेयर आफिसर्स रूल्स, १९४९ के अन्तर्गत जितने व्यक्तियों को (जो वैलफेयर आफिसर के पद पर काम कर रहे थे या रखे गये) उपरोक्त रूल्स के अन्दर निर्धारित योग्यता व अनुभव के प्रतिबन्धों से एग्जेम्पशन दिया गया उनकी सूची (जिसमें उनके एग्जेम्पशन की तिथि, अनुभव, शैक्षिक योग्यता व उम्र का उल्लेख हो) सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---†सूची (क) मेज पर रख दी गई है।

*५१---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार यू० पी० फैक्ट्रीज वैलफेयर आफिसर्स, रूल्स १९५५ के अन्तर्गत जितने व्यक्तियों को (जो Welfare Officer के पद पर काम कर रहे थे या रखे गये) उपरोक्त Rules के अन्दर निर्धारित योग्यता व अनुभव के प्रतिबन्धों से एग्जेम्पशन दिया गया उनकी सूची (जिसमें उनके एग्जेम्पशन की तिथि, अनुभव, शैक्षिक योग्यता व उम्र का उल्लेख हो) सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---†सूची (ख) मेज पर रख दी गई है।

*५२---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार प्राइवेट कारखानों में Works Committees किंवा Works Councils बनाये जाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक वह तद्-विषयक आवश्यक विधेयक लाने का इरादा करती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हां, इंडियन लेबर कांफ्रेन्स ने इस सम्बन्ध में एक छोटी त्रिदलीय कमेटी बनाई है। उनकी रिपोर्ट आ जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

---

† सूची छापी नहीं गई।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस कमेटी में कौन-कौन और कितने आदमी हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस त्रिदलीय समिति में मालिक, मजदूर और सरकार तीनों के प्रतिनिधि हैं। उनके नाम इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब से कुछ समय पूर्व, सन् १९५१ के करीब प्राइवेट कारखानों में वर्क्स कौंसिल या वर्क्स कमेटीज काम कर रही थीं, तो उनको पुनर्जीवित करने के लिये कोई स्टैंडिंग आर्डर्स फिर से लागू कर दिये गए हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—स्टैंडिंग आर्डर्स के मातहत इस प्रदेश में वर्क्स कमेटीज कभी नहीं थी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा ३ के अन्तर्गत प्रसारित आज्ञा के अनुसार कुछ इस तरह की कमेटीज चल रही थीं। बदकिस्मती से हमारे कुछ साथियों ने उसे पसन्द नहीं किया और तरह-तरह की दिक्कतें आयीं। अब भी सारा मामला विचाराधीन है। वह समिति उस बात को भी देखेगी, हमारे एक्सपेरिमेंट को भी देखेगी और प्रदेश और देश की सारी स्थिति को देखकर कोई रास्ता निकालेगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यू० पी० फैक्ट्रीज वैलफेयर रूल्स के अन्तर्गत जिन लोगों को एग्जेम्पशन मिला है उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कानपुर में वैलफेयर सोसाइटी में काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सज्जन हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं, मान्यवर, समझा नहीं कि कानपुर वैलफेयर सोसाइटी क्या चीज है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कानपुर वैलफेयर ऐडवाइजरी समिति में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे एग्जेम्पशन दिया गया है ? यदि हां, तो वह कौन सज्जन हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो वैलफेयर आफिसर्स का सवाल है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—वही आफिसर्स की ही बात मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(मुख्य मंत्री से) आपकी समझ में कुछ आया हो तो जवाब दे दीजिये। (हंसी)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, समझ के बाहर है। (पुनः हंसी)

*५३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—[१७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*५४-५५—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—[१७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

पटना में गन्ना बोर्ड की बैठक के निर्णय

*५६—श्री गेंदासिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गन्ना बोर्ड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश, की संयुक्त बैठक जो पटना में हुई थी उसमें क्या निर्णय हुये और उन पर क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—बोर्ड ने जो निश्चय किये उनकी तालिका संलग्न है।

जहां तक बोर्ड के निश्चयों का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है, उसे उनसे अवगत करा दिया गया है; जिन सुझावों का सम्बन्ध प्रदेशीय सरकार से है, वे सम्बन्धित विभागों को निर्दिष्ट कर दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'घ', आगे पृष्ठ ५३८ पर।)

*५७—श्री गेंदासिंह—उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार के द्वारा एक समिति बनाने का जो निश्चय हुआ था और जिसे पिछले वर्षों का अतिरिक्त मूल्य गन्ना उत्पादकों को दिलाने का काम सुपुर्द किया था उसका निर्माण हुआ या नहीं ? यदि निर्माण हुआ, तो उसने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां। आशा की जाती है कि इस सम्बन्ध में उक्त समिति की रिपोर्ट सरकार को मार्च, १९६० के अन्त तक प्राप्त हो सकेगी।

*५८—श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि गन्ना उत्पादकों ने हड़ताल कर दी थी इसलिये सरकार नाराज होकर किसानों को अतिरिक्त मूल्य नहीं दिलवा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उन गन्ना उत्पादकों के साथ उदारता का बर्ताव किया जिन्होंने हड़ताल के जमाने में भी मिलों को गन्ना सप्लाई किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि शुगरकेन बोर्ड ने यह फैसला आज से छः महीने पहले दे दिया था और १९५३-५४ से लेकर के १९५८-५९ तक का कार्य उसके सुपुर्द था, तो इतनी देर क्यों हो रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—पहली मीटिंग २७ जनवरी, सन् १९६० को हुई, उसका काम शुरू है। जो लोग उसमें रखे गए हैं, वे कामकाजू लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिनके पास वही काम हो। जाहिर है इसलिये रखे गये थे। उनके बिना पूरी तस्वीर नहीं बन सकती। वह उस कमेटी के लिये मुनासिब थे। हम उम्मीद करते हैं कि वह कमेटी अपना काम जल्द से जल्द समाप्त करेगी।

श्री गेंदासिंह—इसका उत्तर नहीं हुआ कि जल्द से जल्द मिल चलने के पहले उसको अपनी रिपोर्ट दे देनी थी। यह फैसला हुआ था, तो इस फैसले पर सरकार क्यों नहीं अमल कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—बता दिया गया है कि कमेटी अब जल्द कार्यवाही कर रही है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सीजन के पहले उस कमेटी का कोई फैसला हो जाने की सम्भावना है या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हो जाय तो बड़ी खुशी की बात है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की भी सूचना है कि संयुक्त गन्ना बैठक, जो पटना में हुई थी उसमें यह सुझाव दिया गया था कि गन्ने का दाम २ रुपया मन और चीनी का ३२ रुपये मन किया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रस्ताव की कापी मेरे पास नहीं आई। मेरे पास फैसलों की स्थिति आई है, उसमें ऐसी बात नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो प्रदेशीय सरकार के सम्बन्धित विभागों के लिये सुझाव निर्देश किये गये हैं उनको मालूम है कि सम्बन्धित विभागों ने उन सुझावों पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जो कृषि के सम्बन्ध की बातें थीं, गन्ना उत्पादन आदि के सम्बन्ध की, उनको गन्ना आयुक्त देख रहे हैं। जो हमारे सम्बन्ध की थीं उनको हम देख रहे हैं।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुये किया गया था कि शुगर प्रोडक्शन बढ़े और गन्ना ज्यादा से ज्यादा मिलों को जा सके, और इस समिति की राय न आने की वजह से, आज शुगर केन और दूसरी चीजों की जरूरत अधिक है, उसमें हानि हो रही है; तो क्यों नहीं इस बात का प्रबन्ध किया जा रहा है कि ऐसी बात न होने पावे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, इरादा अच्छा रहा होगा कि हमारा उद्योग स्थायी हो और उद्योग आगे बढ़े, लेकिन जल्दी से जल्दी काम करते हैं तो उस जल्दी में भी वक्त लगता है। यह हमारी दिक्कत है। जहां तक गन्ना दूसरी तरफ जाने की बात है, इस तरफ गेंदा सिंह जी हमारी मदद कितनी कर रहे हैं उसका भी असर पड़ता है और दूसरे कितनी हमारी मदद कर रहे हैं इसका भी असर पड़ता है; लेकिन सरकार जो कुछ भी इस सम्बन्ध में कर सकती थी उसने किया है और प्रदेश के किसानों को ज्यादा डिसएप्वाइन्ट होने का मौका नहीं दिया है।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री गेंदासिंह--श्रीमन्, यह जरूरी सवाल है। इसके लिये और मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--अब मैंने यह नियम बना लिया है कि दूसरे माननीय सदस्य को बुलाने के बाद फिर यहां उसके पहले वाले जवाब पर प्रश्न करने की इजाजत नहीं देता।

श्री गेंदासिंह--तो फिर इस बात की आवश्यकता होगी कि आधे घंटे का समय इसक लिये दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--आप लिखकर भेजियेगा, तो उसकी मेरिट पर विचार किया जाय।

तिलहर में बस स्टेशन की इमारत का आयोजन

*५९--**श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर)--सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला शाहजहांपुर में कसबा तिलहर में बस स्टेशन की इमारत नहीं बनी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--सरकारी इमारत बनाने के लिये भूमि मिल गई है। इमारत का ठेका भी दे दिया गया है। आशा है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक इमारत तैयार हो जावेगी।

*६०--**श्री बालकराम**--क्या सरकार को मालूम है कि जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत मीरनपुर-कटरा व तिलहर की रोडवेज बस स्टेशनों पर मुसाफिरों को पानी पिलाने का कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--पानी पिलाने का समुचित प्रबन्ध है।

श्री बालकराम--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो जमीन ली गई है वह किसकी ली गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--जमीन करीब १.२९ एकड़ है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि वह किसकी जमीन है।

श्री धर्मदत्त वैद्य--मुझे इसकी सूचना नहीं है कि वह किसकी जमीन है।

श्री बालकराम--जमीन जो ली गई वह किन दामों पर ली गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

आजमगढ़ जिले में बस सर्विस

*६१--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिल की किन-किन पक्की सड़कों पर राजकीय रोडवज की बसें वित्तीय वर्ष १९५९-६० तथा १९६०-६१ में क्रमशः चालू की गई हैं तथा की जाने वाली हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--वित्तीय वर्ष १९५९-६० में आजमगढ़ जिले से सम्बन्धित दोहरीघाट, सूरजपूर और अतरऊलिया-शाहगंज मार्गों पर राजकीय रोडवेज की बसें चलाई गईं तथा आजमगढ़ खुथान मार्ग पर बसें चलाने का विचार है । वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में आजमगढ़-अजमतगढ़ तथा आजमगढ़-निजामाबाद मार्गों पर राजकीय रोडवेज की बसें चलाने का आयोजन है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या परिवहन मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि रोडवेज बसों को सड़कों पर चलाने का आधार क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--जहां सड़कें अच्छी मिलती हैं, विभाग का विचार है कि उन सभी सड़कों पर राजकीय बसें चलायी जांय ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--अच्छी सड़कों की परिभाषा क्या टार्ड मेटिल रोड से है ? यदि हां, तो क्या सभी ऐसी सड़कों पर राजकीय बसें चलाने का विचार है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--आर्थिक स्थिति को देखते हुए विभाग जहां यातायात की सुविधा देखता है और अच्छी तरह से बसें जा सकती हैं उन सभी मार्गों पर बसें चलाने के लिये उन रूट्स का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार आजमगढ़-अजमतगढ़ और आजमगढ़-निजामाबाद रूट पर भी बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से इन रूट्स पर बसें चलना आरम्भ हो जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--सन् १९६०-६१ में संभवतः यह हो जायगा ।

*६२--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--[१७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*६३-६४--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--[१७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गय ।]

रोडवेज कर्मचारी

*६५--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि प्रदेश के रोडवेज कर्मचारी किस-किस ग्रेड में किन-किन पदों पर नियुक्त हैं और उनका वतन-क्रम क्या है ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)--वांछित सूचना सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।]

(देखिये नत्थी 'ङ', आगे पृष्ठ ५३९-५४१ पर ।)

*६६--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि प्रदेश में रोडवज कर्मचारियों में बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो हाई स्कूल पास नहीं हैं ?

डाक्टर सीताराम--जी हां ।

गोंडा जिले के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों में हरिजन कर्मचारी

*६७--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कितने राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खुल गये हैं, प्रत्येक ब्लाक में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, उनमें कितने हरिजन हैं और वे किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--जिला गोंडा में अब तक १३ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खुल चुके हैं। इन सेवा खंडों में काम करने वाले कर्मचारियों से सम्बन्धित वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च', आगे पृष्ठ ५४२ पर।)

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १२५ ग्राम सेवक, जो नियुक्त हुए हैं, उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ; और नहीं है तो क्या सरकार रिजर्वेशन कर के उनकी संख्या पूरी करने की कृपा करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां--जो सूची माननीय सदस्य को दी गयी है उसमें दिया हुआ है कि २९६ में २७ हरिजन हैं और सूची में यह भी दिया है कि वे किस-किस पद पर काम कर रहे हैं। सरकार हमेशा इस बात की कोशिश करती है कि जितने स्थान उनके लिये हैं उनमें वह आ सकें, लेकिन अगर लोग नहीं मिलते तो काम तो नहीं रोका जा सकता।

श्री गंगाप्रसाद--क्या यह सही है कि कुछ हरिजन मंत्रियों को ग्राम सेवक की ट्रेनिंग दिलाने के बाद भी उनको ग्राम सेवक के पद पर नियुक्त नहीं किया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

राब बनाने वाले कोल्हुओं पर प्रतिबन्ध

*६८--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में राब बनाने वाले कोल्हुओं पर प्रतिबन्ध लगा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ', आगे पृष्ठ ५४३ पर।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस अध्यादेश के द्वारा बैलों द्वारा चालित कोल्हुओं पर प्रतिबन्ध लगाया गया था वह हाई कोर्ट से अवैध घोषित किया जा चुका है और इस सदन में बैलों द्वारा चालित कोल्हुओं के सम्बन्ध में एक रामायण राय जी का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था, तो फिर किस आधार पर यह बैलों द्वारा चालित कोल्हुओं पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की एक विज्ञप्ति हुई जो कि उन्होंने शुगर सेंट्रल आर्डर, १९५५ के खंड ३ के उपखंड (१) के अधीन प्रसारित की और उसी के अधीन यह प्रसारित हुई है। इसका ताल्लुक न तो किसी अध्यादेश से है और न किसी नियम से।

श्री गेंदासिंह--जिन कोल्हुओं का इसमें जिक्र है उनके लिये यह अध्यादेश निकालने की जरूरत क्यों पड़ी जबकि यह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अध्यादेश निकालने की एक अलग आज्ञा थी। इसमें बहुत सी बातें हैं और यह बड़ा व्यापक है। इसे आप पढ़ लें तो मालूम हो जायगा कि कितना फ़र्क है।

श्री गेंदासिंह--मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि कन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे कोल्हुओं पर कोई प्रतिबन्ध लगाने की बात थी तो इसे अध्यादेश में रखने की क्या आवश्यकता पड़ी।

श्री उपाध्यक्ष--उन्होंने कहा कि एक प्राविजन यह भी था और दूसरे प्राविजन भी थे।

श्री गेंदासिंह--लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जरूरत, मान्यवर, इसलिये पड़ी क्योंकि कानूनी सलाह जो मिली उसके संबंध में अधिनियम की विभिन्न धाराओं को चलाने की बात थी, इसलिये उसको इसमें रखा गया ।

श्री गेंदासिंह--क्या कानूनी सलाह सरकार को यह मिली थी कि केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा जो प्रतिबन्ध लगाया गया है वह डिफेक्टिव है, इसलिये अध्यादेश निकाला गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो इस प्रदेश को खांडसारी पर लाइसेंस लगाने का आदेश था उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, जिन बातों के कारण वह फैसला हुआ है वह इन बातों से भिन्न हैं जिसका सम्बन्ध माननीय सदस्य के प्रश्न से है ।

पुरातत्व विभाग द्वारा महात्मा बुद्ध की माता की जन्मभूमि की खोज

*६९--**श्री अब्दुल रऊफ लारी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसी के पुरातत्व विभाग ने देवदह (महात्मा बुद्ध की माता की जन्म भूमि) की खोज की है ? यदि हां, तो अब तक उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*७०--**श्री अब्दुल रऊफ लारी**--क्या सरकार को उपरोक्त ऐतिहासिक स्थान के सम्बन्ध में कोई ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि वह जन्म भूमि गोरखपुर जिला, तहसील करेंदा, परगना हवेली, तप्पा लेहड़ा के अन्तर्गत मौजा बनरसिहा खुर्द व बनरसिहा कलां व सिहपुरकला तथा करमहवा बसंतपुर में है ? यदि हां, तो सरकार यहां खुदाई का काम कब शुरू करने वाली है ? क्या यह सही है कि सरकार ने उपरोक्त गांवों के करीब १३७ एकड़ भूमि को संरक्षित घोषित करके किसानों को खुदाई करने से मना कर दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता । प्रश्न के तीसरे भाग के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की कोई सूचना यहां उपलब्ध नहीं है ।

*७१--**श्री अब्दुल रऊफ लारी**--क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षेत्र के ग्रामीणों ने जनवरी, १९५८ में पुरातत्व विभाग के सुपरिन्टेंडेन्ट डा० के० सी० पाणिग्रही को कुछ मूर्तियां तथा तांबे के बौद्ध कालीन सिक्के दिये थे और उन्होंने इस क्षेत्र की जांच भी की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पता चला है कि डा० के० सी० पाणिग्रही ने इस स्थल का निरीक्षण जनवरी, सन् १९५९ में किया था और वहां उन्हें ग्रामीणों ने कुछ मूर्तियां तथा सिक्के दिये थे । इस सम्बन्ध में अधिकृत सूचना केन्द्रीय सरकार ही दे सकती है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जो इस संबंध में खोज की है और जो कागजात हैं वे सब कागजात प्रान्तीय सरकार के पास भेज दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सुपरिन्टेन्डेंट ने जो सन् १९५९ में जांच की थी उन्होंने उसके सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरा खयाल है जो रिपोर्ट दी होगी, वह केन्द्रीय सरकार को दी होगी । उसकी कोई प्रति हमारे पास नहीं है ।

हाथरस के लिये उद्योग योजना

*७२---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन नये उद्योग खोले गये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन उद्योगों को और बढ़ावा दिया गया और कितने लोगों को उनके कारण काम मिल सका ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रथम पंचवर्षीय योजना में हाथरस में चाकू उद्योग के लिये एक राजकीय चाकू शिक्षालय खोला गया तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया :

(१) साबुन उद्योग ।
(२) पीतल उद्योग ।
(३) टीन उद्योग ।
(४) कटलरी उद्योग ।
(५) चमड़ा उद्योग ।
(६) सिलाई उद्योग ।

दोनों योजनाकाल में लगभग १,९०० व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तथा उनसे प्राप्त सुविधाओं के कारण काम मिल सका ।

*७३---**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**---क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हाथरस क्षेत्र में कौन-कौन नये बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग और कुटीर तथा घरेलू उद्योगों के आरम्भ कराने तथा उन्हें बढ़ावा देने की योजना सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---तृतीय पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, अतः इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन उद्योगों के लिये सुझाव प्रस्तुत किये हैं, इसके अलावा जो शुगर मिल वगैरह के लिये सर्वेक्षण हुए हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---तीसरी योजना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वर्किंग ग्रुप बनाये थे, उसमें केन ग्रुप भी है, उसमें लाइट इन्डस्ट्रीज जिनस किस्म की इंडस्ट्री लगाने की सिफारिश की है । अब वे क्या-क्या होंगी, कैसे-कैसे होंगी, कहां-कहां होंगी, यह सब कहना अभी कठिन है ।

प्रेसीडेंट, ट्रांसपोर्ट परमिट कमेटी, लखनऊ डिवीजन, के विरुद्ध शिकायत

*७४--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास इस वर्ष ऐसी शिकायतें आई हैं कि प्रेसीडेन्ट, ट्रांसपोर्ट परमिट कमेटी, लखनऊ डिवीजन, ने कुछ राजनैतिक पीड़ितों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है जिन्होंने अथवा जिनके संरक्षितों ने बस के परमिट की प्रार्थना की थी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--एक शिकायत आई थी। जांच करने पर निराधार पाई गई।

*७५--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें भी इस वर्ष प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--जहां तक परिवहन विभाग का सम्बन्ध है, अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह शिकायत करने वाले कौन सज्जन थे, किनके द्वारा जांच करायी गयी और क्या-क्या आरोप थे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--श्री सीताराम सिंह शिकायत करने वाले थे और चीफ सेक्रेटरी ने जांच की।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके मुख्य-मुख्य आरोप क्या-क्या थे और किसने जांच की किसके खिलाफ ?

श्री उपाध्यक्ष--उन्होंने बताया कि निराधार पाये गये।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आरोप क्या थे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--श्रीमन्, उन्होंने एक प्रेस नोट यहां कुछ लोगों के पास भेजा था। श्री सीताराम सिंह ने अपनी पुत्री के नाम से एक परमिट के लिए दरख्वास्त दी और जिस समय आर० टी० ए० की यहां मीटिंग हो रही थी तो उसमें उनको बुलाया गया और वह ठीक तरह से जवाब नहीं दे सके और नाराज होकर चले गये। उनका कहना यह है कि मेरा अपमान किया गया। इस तरह की चीज है।

रामपुर-कठबतिया सड़क का निर्माण कार्य

*७६--श्री ऊदल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामपुर-कठबतिया रोड को पक्की सड़क बनाने के लिये डेवलपमेंट ब्लाक रामपुर, जिला जौनपुर, ने ९६ हजार रुपया मंजूर कर कुछ हिस्से में करीब दो वर्ष हुये कंकड़ गिरवाया है ? यदि हां, तो अब तक रामपुर ब्लाक ने क्यों कार्य शुरू नहीं किया ?

श्री सुल्तान आलम खां--इस सड़क के लिये रामपुर ब्लाक ने वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में केवल ३०,००० रु० स्वीकृत किया था। सड़क पर काम आरम्भ हो चुका है और ४५,४४८ घनफुट कंकड़ पड़ चुका है। आशा है कि पिटाई का कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा।

श्री ऊदल--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने बताया है कि काम आरंभ हो चुका है, यह कब से आरंभ कर दिया गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां--मैं तारीख नहीं बता सकता कि किस तारीख से हुआ है, लेकिन काम शुरू हुआ है और आशा की जाती है कि जल्दी खत्म हो जायगा।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को मानकर कि जब मैं दो महीने पहले उस सड़क पर से गया था तो काम शुरू नहीं हुआ था, जल्दी काम शुरू कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां--अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो मैं जरूर इस पर उचित कार्यवाही करूंगा ।

विधान सभा के सदस्य को खैरागढ़ तहसील में विकास खण्डों के निरीक्षण की सुविधा न मिलना

*७७--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या नियोजन (क) विभाग के २४ जून, १९५९ के आफिस मेमोरेन्डम के मुताबिक आगरा जिले की खैरागढ़ तहसील में विधान सभा के सदस्यों को विकास खंडों का निरीक्षण कर के सुधार के ठोस सुझाव देने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां--जी हां ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या खैरागढ़ के सदस्य जो विधान सभा के हैं, उनको यह सुविधा दी गयी थी या नहीं ? अगर नहीं दी गयी तो क्यों ?

श्री सुल्तान आलम खां--माननीय सदस्य खैरागढ़ ने एक पत्र ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर को लिखा था कि वह वहां का डेवलपमेंट का काम देखने के लिए जाना चाहते हैं और कुछ कर्मचारियों की शिकायत है, उस सिलसिले में भी जांच करने की आवश्यकता है, तो उनको जवाब यह दिया गया था कि ब्लाक की जीप ठीक हालत में नहीं है, इसलिए इस वक्त ऐसा नहीं हो सकता है । उनके आने का तो बड़ा स्वागत किया गया था । आगे भी किया जायगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जीप के खराब होने की जो इत्तला दी गयी थी, उसके साथ-साथ यह नहीं लिखा गया था कि जीप कब तक ठीक हो जायगी ? न तो उस वक्त लिखा गया और न उसके बाद यह इत्तला दी गयी कि जीप ठीक हो गयी है ।

श्री सुल्तान आलम खां--मैं माननीय सदस्य की खिदमत में एक चीज अर्ज करूंगा कि एक आफिस का मेमोरेंडम इस सिलसिले में निकला है कि अगर कोई मेम्बर साहब उस डेवलपमेंट के काम को देखने के लिए जायं तो वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर को इत्तला कर दें, क्योंकि उनके पास गाड़ियों की फ्लीट रहती है और वह उनको ज्यादा सुविधा दे सकते हैं, बरखिलाफ इसके ब्लाक में एक ही गाड़ी रहती है और वह खराब हालत में हो तो दिक्कत होती है ।

मोटर-ट्रक दुर्घटनाओं को रोकने के कार्य

*७८--श्री ऊदल--क्या राज्य सरकार को २ फरवरी सन् १९५६ को भारत सरकार ने मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में संशोधन करके लिखा है कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में इस तरह का संशोधन कर दिया जावे कि मोटर गाड़ियों का बीमा होगा और घायलों तथा मरे हुये लोगों को मुआवजा देने के लिये राज्य सरकार क्लेम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तरह का संशोधन किया और ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—भारत सरकार का इस प्रकार का पत्र २३ दिसम्बर, १९५७ को प्राप्त हुआ । राज्य सरकार ने इस विषय पर कानूनी सलाह ली । राज्य के न्याय अधिकारियों की सलाह है कि प्रदेशीय सरकार इस प्रकार क्लेम्स ट्रिब्यूनल स्थापित करने के लिये बाध्य नहीं है । मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*७९—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में मोटर-ट्रक से बढ़ती हुई दुर्घटना को रोकने के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—परिवहन विभाग ने रोडवेज की गाड़ियों में रफ्तार कम करने की व्यवस्था कर दी है जिससे कि भविष्य में दुर्घटना कम होने की आशा की जाती है । इसके अलावा प्राइवेट गाड़ियों की समय-समय पर पुलिस तथा इन्फोर्समेंट स्क्वाड द्वारा चेकिंग होती रहती है ।

शाहजहांपुर जिले में तिलहर बस स्टेशन पर शौचालय न होना व कुठार बस स्टेशन पर घड़ी न होना तथा बसों का लेट चलना

*८०—**श्री बालकराम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला शाहजहांपुर के कसबा तिलहर के बस स्टेशन पर मुसाफिरों के पेशाब, पाखाना का कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं । कारण यह है कि बस स्टेशन एक किराये के कमरे में स्थित है जिससे सम्मिलित कोई जमीन या अहाता नहीं है जहां पर कि कोई शौचालय का प्रबन्ध किया जा सके ।

*८१—**श्री बालकराम**—क्या सरकार को मालूम है कि जिला शाहजहांपुर में बस स्टेशनों पर घड़ियां ठीक समय नहीं इंगित करती हैं और किन-किन बस स्टेशनों पर घड़ियों का प्रबन्ध नहीं है ?

डाक्टर सीताराम—कुठार नामक बस स्टेशन को छोड़कर जहां घड़ी का प्रबन्ध किया जा रहा है, शाहजहांपुर के सभी बस स्टेशनों पर घड़ियों का प्रबन्ध है जो ठीक समय इंगित करती हैं ।

*८२—**श्री बालकराम**—क्या सरकार को मालूम है कि बरेली-शाहजहांपुर रोड पर बसें आम तौर पर लेट चलती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—बरेली-शाहजहांपुर रोड पर जो भी गाड़ियां चलती हैं वे बरेली तथा शाहजहांपुर स्टेशनों से ठीक समय पर छोड़ी जाती हैं । परन्तु शाहजहांपुर बस स्टेशन के पास रेलवे के फाटक तथा कैरूगंज व फतेहगंज के रेलवे के फाटकों को बसों को पार करना पड़ता है । दो फाटक रेलवे की मेन लाइन पर स्थित हैं, जिनके बन्द रहने पर इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियां कभी-कभी लेट हो जाती हैं ।

लखनऊ में शराब का भाव

*८३—**श्री गनेशीलाल चौधरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि लखनऊ की शराब की दुकानों में जो शराब बेची जाती है वह सरकारी भावों से भी कम पर बेची जाती है ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर सीताराम---जी नहीं । सरकारी भाव निर्धारित नहीं है ।

*८४---श्री गनेशीलाल चौधरी---यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसा क्यों है ?

डाक्टर सीताराम---प्रश्न ही नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले में उद्योगों के लिये ऋण का वितरण

*८५---श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के उद्योग अधिकारी ने १ जनवरी, १९५८ से आज तक जिले में कितना रुपया कर्ज, अनुदान तथा सहायता के रूप में किन-किन उद्योगों के लिये किन-किन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आवश्यक सूचना† सदन की मेज पर रख दी गई है ।

रोडवेज के मेरठ क्षेत्र के कर्मचारियों को असुविधायें तथा ड्राइवरों व कन्डक्टरों के सेवा नियम

*८६---श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)---क्या मंत्री परिवहन को ज्ञात है कि मेरठ रोडवेज डिवीजन के (अ) कन्डक्टरों व ड्राइवरों को रीजनल वर्दी अभी तक नहीं मिली है, (ब) उन्हें न तो पेन्शन मिलती है और न फण्ड ही मिलता है, और (स) उनके रहने की कोई व्यवस्था भी नहीं है और न मकान का भत्ता ही मिलता है ?

डाक्टर सीताराम---आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

*८७---श्री गयाप्रसाद---क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि क्या रोडवेज ड्राइवरों व कंडक्टरों से २०० मील का सफर लिया जाता है, ड्यूटी स्पेशल को चेक नहीं किया जाता जिससे यह पता चले कि किस-किस ड्राइवर व कन्डक्टर ने कितना सफर किया और कितना समय लगा ? उनके परमानेन्ट होने की कोई मियाद नहीं रखी गई है और उन्हें ओवर-टाइम का कोई पैसा नहीं दिया जाता ?

डाक्टर सीताराम---उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में एक दिन में ड्राइवरों व कंडक्टरों स दो सौ मील का सफर नहीं लिया जाता । ड्यूटी स्पेशल को चैक किया जाता है और ड्राइवर व कंडक्टर द्वारा किये गये सफर की दूरी और समय का ब्यौरा भी रक्खा जाता है । अन्य सरकारी कर्मचारियों की ही भांति उनके परमानेन्ट होने के भी नियम हैं । स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर सीनियारिटी क हिसाब से उनका स्थायीकरण होता है ।

आम तौर पर उनसे ओवर-टाइम का काम नहीं लिया जाता ।

गोरखपुर जिले में ब्रास का कोटा न मिलना

*८८---श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में बर्तनों के काम करने वाले व्यक्तियों में वर्ष १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक राज्य सरकार की सिफारिश से कितने व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार से ब्रास (पीतल) का कोटा कंट्रोल रेट पर मिला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---किसी को नहीं ।

---

†सूचना छापी नहीं गयी ।

छिबरामऊ तहसील में बघरों और भेड़ियों को मारने का काम

*८९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मुख्य मंत्री को इस बात की सूचना है कि जिला फर्रुखाबाद, तहसील छिबरामऊ, में बघरें काफी अर्से से उत्पात कर रहे हैं और बीसियों बच्चे उठाकर ले गये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(१) सन् १९५९ में दो बार पुलिस तथा ग्राम रक्षा समिति के लगभग ३०० आदमियों ने थाना कमालगंज और छिबरामऊ की सीमा पर सामूहिक कोम्बिंग आपरेशन (Combing operation) किया जिसमें बहुत से बघरें और भेड़िये जख्मी हुए।

(२) शिकार पार्टी को भी इस कार्य में लगाया गया तथा तहसीलदारों और थानेदारों को आदेश दिये गये कि वे शिकार पार्टी, ग्राम रक्षा समितियों तथा बन्दूक के लाइसेन्सदारों की इस सम्बन्ध में भरसक सहायता करें ।

(३) बघरें, भेड़िये और उनके बच्चों को मारने पर सरकार द्वारा घोषित पारितोषिक लोगों को फिर से बताये गये, जिसके फलस्वरूप शिकार पार्टी ने जिले में १९ बघरें, ५ भेड़िये और १८ बच्चे मारे, जिसके लिये ८५० रुपये का पारितोषिक भी वितरित किया गया ।

रोडवेज क्षेत्र, आजमगढ़, के कर्मचारियों का बकाया भत्ता

*९०—श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ गवर्नमेंट रोडवेज रीजन के कितने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और यात्रा भत्ता कितने वर्षों से बकाया है और अब तक नहीं दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

*९१—श्री श्रीनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये भत्ते अभी तक क्यों नहीं दिये गये ? क्या इसका निबटारा शीघ्र करने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जायेगा ?

डाक्टर सीताराम—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

परिवहन विभाग में हरिजन व पिछड़ी जाति के कण्डक्टर व ड्राइवर

*९२—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के अन्तर्गत कुल कितने कन्डक्टर व ड्राइवर हैं और उनमें कितने हरिजन व पिछड़ी जाति के हैं ?

डाक्टर सीताराम—उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में कुल २,८५१ कंडक्टर व २,९६३ ड्राइवर हैं । उनमें ४२५ हरिजन और ५८४ पिछड़ी जाति के हैं ।

फरेंदा तहसील में विकास कार्य

*९३—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फरेंदा तहसील (गोरखपुर) में विकास कार्य के बारे में विधान सभा के २४-१२-५३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ में प्रथम पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर जिले के फरेंदा मध्य क्षेत्र में जो निम्नलिखित विकास कार्य होने वाला था उसमें से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक कौन-कौन से विकास कार्य हो चुके हैं और कौन-कौन विकास कार्य बाकी रह गया है ?

(१) कृषि, (२) पशुपालन, (३) शिक्षा, (४) सार्वजनिक निर्माण, (५) जनस्वास्थ्य, (६) सहकारिता, (७) गृह उद्योग ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—खेद है कि वांछित सूचना अब तक न प्राप्त हो सकी ।

मऊरानीपुर में ताड़ी की दुकान न खोलने की प्रार्थना

*९४—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर, जिला झांसी, में ताड़ी की नई दुकान खोलने पर विचार किया जा रहा है अथवा खोली जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

*९५—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्थानीय लोगों ने आवेदन-पत्र दिया है कि वहां ताड़ी की दुकान न खोली जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न ही नहीं उठता ।

खीरी जिले के पुराने गजटेड आफिसर्स तथा शाहजहांपुर जिले के नियोजन विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की छटनी

*९६—श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में इस समय कितने गजटेड आफिसर्स ऐसे हैं जिनको वहां काम करते तीन वर्षों से अधिक समय हो चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सात ।

*९७—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला शाहजहांपुर के नियोजन विभाग में १-१-५८ से अब तक ऐसे कितने अस्थायी सरकारी कर्मचारी थे जिनको नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सात की ।

सहारनपुर-दिल्ली सड़क को स्पेशल क्लास में लेना

*९८—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर से दिल्ली रोड को प्रथम श्रेणी में लेने से पूर्व उस पर कितनी प्राइवेट लारियां चलती थीं और यह रोड कितने मील की है ?

डाक्टर सीताराम—दिल्ली-सहारनपुर रोड को स्पेशल क्लास में लेने से पूर्व इस मार्ग पर १०८ गाड़ियां चलतीं थीं । यह सड़क १०० मील लम्बी है ।

*९९—श्री गंगाप्रसाद—क्या यह सत्य है कि उपरोक्त रोड प्रथम श्रेणी में ले ली गई है ? यदि हां, तो इस रोड के हटाये हुये आपरेटरों को कहीं जगह दी गई या नहीं और वे लारी की लाइसेन्स फीस हर माह कितनी देते थे ?

डाक्टर सीताराम--२६-५-५८ से यह मार्ग स्पेशल क्लास में है। स्पेशल क्लास की दर से ५० सीटर गाड़ी का प्रति माह टैक्स २२६ रु० होता है। इस रोड से हटाये हुये १२ आपरेटर अन्य मार्गों पर चल रहे हैं।

भ्रष्टाचार निरोध समितियों द्वारा अधिकारियों के पास भेजी गई शिकायतें

*१००--श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला भ्रष्टाचार निरोध समितियों में कितनी ऐसी हैं जिनका कार्यालय कलेक्ट्रेट में ही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सभी जिलों में, सुल्तानपुर और टेहरी जिले के अतिरिक्त, जिला भ्रष्टाचार निरोध समितियों का कार्यालय, कलेक्ट्रेट में ही स्थित है।

*१०१--श्री हरकेशबहादुर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक जिले में ३१-१२-५९ को कितनी दरख्वास्तें ३ माह के ऊपर से अधिकारियों द्वारा बिना जांच की हुई पड़ी हुई थीं जिनकी रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोध समितियों को नहीं मिली थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना सम्बद्ध तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज', आगे पृष्ठ ५४४ पर।)

यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स के चपरासी का नोटिस

*१०२--श्री अब्दुल रऊफ लारी, श्री अमरनाथ तथा श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत अक्तूबर सन् १९५९ में गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के कितने कर्मचारियों ने यू० पी० सरकार को Section 80 C.P.C. का नोटिस दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अक्तूबर, सन् १९५९ ई० में गवर्नमेंन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्टस के एक भूतपूर्व कर्मचारी (चपरासी) ने, जो १७-१-१९५८ को गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डी-क्राफ्ट्स की नौकरी से पृथक् कर दिया गया था, सेक्शन ८० सी० पी० सी० के अन्तर्गत नोटिस दिया था।

*१०३--श्री अब्दुल रऊफ लारी, श्री अमरनाथ तथा श्री दुर्योधन--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त प्रकार के केस कब-कब से चल रहे हैं तथा सरकार ने अब तक ऐसे cases में क्या-क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपरोक्त एक नोटिस अक्तूबर, सन् १९५९ ई० में आया था; सरकारी वकील की राय ली गई है और मामला विचाराधीन है।

कानपुर रोडवेज क्षेत्र के अस्थायी कर्मचारियों को हटाना तथा ड्राइवरों का बकाया वेतन

*१०४--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट रोडवेज, कानपुर रीजन से ३१ मार्च, ५९ को कितने ड्राइवरों को तथा बस कन्डक्टरों को, जो अस्थायी रूप से कार्य करते थे, सेवाओं से पृथक् करने का नोटिस दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--परिवहन आयुक्त द्वारा अस्थायी पदों पर कार्य करने वाले १६६ ड्राइवरों तथा २२५ कन्डक्टरों की सेवायें स्वीकृत अवधि समाप्त होने पर ३१ मार्च को स्वतः समाप्त हो गईं। नोटिस किसी को भी नहीं दिया गया था।

*१०५--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कितने ड्राइवर व कन्डक्टर दिनांक १ अप्रैल से ५ अप्रैल, ५९ तक कानपुर रीजन में रखे गये और जो रखे गये, क्या वे वही आदमी हैं, जिन्हें दिनांक ३१ मार्च, ५९ को नोटिस देकर पृथक् किया गया था ?

डाक्टर सीताराम---पहली से पांच अप्रैल, १९५९ के बीच में कानपुर रीजन में १६१ ड्राइवर व २२२ कन्डक्टर रखे गये। वे वही थे जिनकी सेवायें ३१ मार्च को समाप्त हो गई थीं।

*१०६---श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १ अप्रैल से ३ अप्रैल, ५९ तक कानपुर रीजन में जो गाड़ियां चली, उन्हें जिन ड्राइवरों ने चलाया, उन्हें इन तीन दिनों का वेतन नहीं दिया गया ?

डाक्टर सीताराम---कानपुर रीजन में कुछ ड्राइवरों को १ अप्रैल से ३ अप्रैल तक का वेतन मिलने में विलम्ब हुआ। परिवहन आयुक्त को जब मालूम हुआ तो उन्होंने वेतन देने की स्वीकृति प्रदान कर दी।

टेक्निकल एजूकेशन के लिये वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट

*१०७---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मुख्य मंत्री कृपया तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत Technical Training के लिये Working Group द्वारा प्रस्तावित राज्य स्तर की योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वांछित योजना की एक प्रति† सदन की मेज पर रख दी गई है।

इटावा जिले में ग्राम सेवकों का चुनाव

*१०८---श्री भजनलाल---क्या यह सही है कि दिसम्बर माह, सन् ५९ में जिला इटावा में ग्राम सेवकों का निर्वाचन हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

*१०९---श्री भजनलाल---यदि हां, तो कुल कितने हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के चुने गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस चुनाव में १० हरिजन तथा ८ पिछड़ी जाति के चुने गये हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत व्यय का ब्योरा

*११०---श्री गेंदा सिंह---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी रकम प्रति वर्ष योजना की अवधि में खर्च करने का अनुमान था और अब तक कितनी रकम प्रति वर्ष खर्च की जा चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रथम तीन वर्षों की स्वीकृत धनराशि तथा व्यय इस प्रकार हैं :

वर्ष			स्वीकृत धनराशि (लाख रुपयों में)	व्यय
			रु०	रु०
१९५६-५७	..	..	४८१७.२३४	४४५५.०३३
१९५७-५८	..	..	५२७९.६६९	४१२५.३६९
१९५८-५९	..	..	४७४५.०००	४०५७.०६९

†प्रति छापी नहीं गई।

*१११—श्री गेंदासिंह—पंचवर्षीय योजना की जो अवधि बाकी रह गयी है उस में कितनी रकम खर्च की जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५९-६० की स्वीकृत धनराशि ५० करोड़ और १९६०-६१ में ५२.५० करोड़ रुपये हैं। इसके अतिरिक्त पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास कार्य पर चालू तथा आगामी वित्तीय वर्ष में चार करोड़ रुपये और खर्च किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त १९६०-६१ में ५० लाख रुपया सीमान्त प्रदेश में सड़कों पर खर्च किया जायगा।

*११२—श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अपने विभाग पर खर्च के लिये स्वीकृत रकम की खर्च नहीं किया है ? यदि हां, तो वे कौन से विभाग हैं और रकम के खर्च न होने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—करीब-करीब सभी विभागों के खर्च में कमी हुई है और इसके मुख्य कारण हैं प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयां, विदेशी मुद्रा तथा निर्माण सामग्री की कमी, भूमि प्राप्त करने की कठिनाई और प्रशिक्षित कर्मचारियों का न मिलना।

श्री अताउल्ला का शिकायती-पत्र

*११३—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या २३ मई, १९५९ को श्री अताउल्ला, मुहल्ला शेर, डाकखाना मगहर, जिला बस्ती, ने कोई शिकायती-पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा श्री पी० दत्ता, डिप्टी रजिस्ट्रार, इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर, को इंडस्ट्रियल सेन्ट्रल वर्क्स कोआपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, धोरहरा और कर्म कबीर मगहर तथा टेक्सटाइल इंस्पेक्टर, बस्ती के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, श्री अताउल्ला का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। उस पर जांच भी कराई गई। उसमें कुछ आरोप तो निर्मूल थे और जो आरोप सत्य मिले उन पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

कवाल शहरों में डिनेचर्ड तथा रेक्टीफाइड स्प्रिट की खपत

*११४—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कवाल शहरों में सन् १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष से लेकर प्रत्येक वर्ष नवम्बर, सन् १९५९ तक अलग-अलग कितनी Denatured Spirit और Rectified Spirit की खपत हुई ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना संलग्न पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५४५-५४६ पर।)

*११५—श्री गनेशीलाल चौधरी—यदि प्रत्येक वर्ष खपत बढ़ी है, तो उसक क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—कवाल शहरों में स्थानीय उद्योगों के वृद्धि के कारण (Denatured Spirit) डिनेचर्ड स्प्रिट की खपत में वृद्धि हुई तथा अल्कोहल मिश्रित औषधियों टिंक्चर आदि की मांग अधिक हो जाने के कारण रेक्टीफाइड स्प्रिट (Rectified Spirit) की खपत में वृद्धि हुई।

हरकोर्ट बटलर टेक्नलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर के कर्मचारियों को जलपान की असुविधा

*११६—श्री मुरलीधर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या H. B. T. I., कानपुर के कर्मचारियों के जलपान (Lunch) के लिये इंस्टीट्यूट के अन्दर कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर के कर्मचारियों के जलपान के लिये सरकार ने उक्त इंस्टीट्यूट में एक कैंटीन बनवाई है, पर बिजली न मिलने के कारण अभी उसका प्रयोग आरम्भ नहीं हो सका है ।

*११७—श्री मुरलीधर—क्या यह सही है कि सरकारी पैसे से एक कैन्टीन बनी थी, जो अभी तक चालू नहीं हुई है और कर्मचारियों को पानी पीने के लिये भी बहुत दूर जाना पड़ता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह सही है कि कैन्टीन अभी तक चालू नहीं हुई है, पर पानी पीने की इंस्टीट्यूट में पूर्ण सुविधा है ।

*११८—श्री मुरलीधर—क्या सरकार बतायेगी कि H.B.T.I. में कुल कितने कर्मचारी पदाधिकारियों (Officials and Teachers) के अतिरिक्त इस वर्ष में काम कर रहे हैं और उनमें से कितनों की सर्विस १० व १५ साल से अधिक की हो गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५९ में एच० बी० टी० आई० में कुल १९० कर्मचारी, राजपत्रित पदाधिकारियों तथा शिक्षकों के अतिरिक्त थे । इनमें से २० ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सर्विस १५ साल से अधिक हो गई है और ३८ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सर्विस १० साल से अधिक की है ।

टेक्निकल तथा पोलीटेक्निक स्कूल, लखनऊ का आय-व्यय

*११९—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के सरकारी पोलीटेक्निक कालेज तथा सरकारी टेक्निकल कालेज का अलग-अलग सन् १९५८-५९ के आय-व्यय का तखमीना क्या था तथा १९५९-६० का आय-व्यय क्या अनुमानित हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना निम्नलिखित है :

सरकारी पोलीटेक्निक, लखनऊ—

	१९५८-५९		१९५९-६०	
	आय (रु०)	व्यय (रु०)	आय (रु०)	व्यय (रु०)
	३,०२४.९३	२,३७,५११.९३	२,४३०.००	३,७१,१००.००
सरकारी टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ—				
	१७,७०५.८७	६,३२,६१७.४७	१८,३५०.००	५,२८,७००.००

अतारांकित प्रश्न

बिसड़ा ब्लाक में भट्ठों का लाभ

१—श्री गोपीकृष्ण आजाद (जिला बांदा)—मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ब्लाक बिसड़ा, जिला बांदा में किसानों से प्रति शेयर १०० रु० लेकर ईंटों का भट्ठा लगवाया गया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक कितना लाभ हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। इसका हिसाब पूर्णतया तैयार न होने के कारण इस समय लाभ-हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

२—श्री गोपीकृष्ण आजाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त भट्ठे का लाभ किसानों में वितरित किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

रोडवेज बसों में रखा जाने वाला साहित्य

३—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी बसों में यात्रियों के पढ़ने के लिये साहित्य का स्थान बना हुआ है ? उसमें पुस्तकें रक्खी जाती हैं या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कितनी कीमत की पुस्तकें अब तक रक्खी गईं और गायब हुईं ?

डाक्टर सीताराम—रोडवेज की लगभग सभी बसों में यात्रियों के पढ़ने के लिये साहित्य का स्थान बना हुआ है जिसमें पुस्तकें रखी जाती हैं। सूचना विभाग से साहित्य बिना मूल्य के प्राप्त होता है अतः पुस्तकों के मूल्य का विवरण रखना सम्भव नहीं।

विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में जानकारी

४—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले उद्योग के सम्बन्ध में कृपा कर बतायेंगे कि—(क) राज्य सरकार द्वारा कुल कितने उद्योग धंधे चलाये जा रहे हैं ? (ख) यह उद्योग धंधे किन-किन नगरों में चल रहे हैं ? (ग) इन उद्योगों में कितनी पूंजी लगी हुई है ? (घ) इनमें कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं ? (ङ) क्या इन श्रमिकों में स्त्रियां और बच्चे भी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? (च) स्त्रियों तथा बच्चों को कौन-कौन सी सुविधायें राज्य की ओर से दी गयीं हैं ? (छ) इन उद्योग-धंधों में श्रमिकों की भर्त्ती कैसे होती है ? (ज) क्या इन उद्योगों में श्रमिक संघ हैं ? यदि हां, तो उन्होंने श्रमिकों के लिये कौन-कौन से भलाई के काम किये हैं ? (झ) सन् १९५६-५७ से अब तक इन उद्योग धंधों की प्रगति की क्या दशा है ?

५—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य द्वारा संचालित उद्योग धंधों में कार्य करने वाले श्रमिकों को व्यक्तिगत संचालित उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों की अपेक्षा कौन-सी सुविधायें दी जा रही हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचनायें राज्य सरकार के उद्योग विभाग के अधीन राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क, मिर्जापुर तथा सूक्ष्म यंत्र फैक्टरी, लखनऊ के सम्बन्ध में ही संकलित की गई हैं और संलग्न हैं। अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना एकत्र नहीं की जा सकी है क्योंकि उसे एकत्रित करने में जो श्रम तथा समय लगेगा उसका अनुपात परिणाम के मुकाबले में कहीं अधिक होगा।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५४७-५४८ पर।)

मथुरा नगर में डाक्टर गणपत राय का मकान पुलिस द्वारा जबरदस्ती खाली कराये जाने के कारण उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास माननीय गोविन्दसिंह विष्ट ने मथुरा नगर के एक मकान के पुलिस द्वारा जबरदस्ती खाली कराये जाने के बारे में कामरोको प्रस्ताव की सूचना दी है। एक स्थानीय प्रशासन का यह कार्य है और इससे सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये मैं इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा हूं।

मथुरा नगर में डाक्टर गणपत राय का मकान पुलिस द्वारा जबरदस्ती खाली कराये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत खाद्य मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत विचार के लिये कई प्रार्थना-पत्र आये हैं। मैं देख रहा हूं कि कई प्रश्न ऐसे हैं जो माननीय सदस्य पिछले हफ्ते या दस दिनों से लगातार दे रहे हैं और मैं उनको पास कर देता हूं, उनके लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं लेकिन फिर भी वे दफा ५२ के अन्तर्गत इनको भेज रहे हैं। मैं उनको सलाह दूंगा कि ऐसे प्रश्नों पर यदि वे माननीय सदस्य अल्पसूचित तारांकित प्रश्न देकर सूचना ले लें तो समस्या का हल हो सकता है। साथ ही, यह भी सलाह दूंगा कि जो ऐसे महत्व के प्रश्न या विषय हों उन पर अल्प सूचित तारांकित प्रश्न से समस्या का हल कर लिया करें।

अब मेरे पास एक दफा ५२ के अन्तर्गत गोविन्दसिंह विष्ट जी की सूचना है, उसको मैं स्वीकार करता हूं, अन्य को स्वीकार नहीं करता हूं। वह एक मथुरा नगर की घटना के बारे में है। इसको मैंने तमाम प्रश्नों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पाया है इसलिये कि वहां नगर में हड़ताल आदि करने की बात है और बड़ा आतंक है, आदि। मैं उसको पढ़ देता हूं:—

"मथुरा नगर के प्रतिष्ठित नागरिक डा० गणपत राय का मकान रिक्त होने पर उन्होंने अर्जी दी कि उस मकान की उन्हें स्वयं आवश्यकता है। अस्तु किसी को मकान न दिया जाय। वे स्वयं सपरिवार वहां रहने लगे थे। पता लगा है कि मकान श्री के० पी० राय, डी० एस० पी० के नाम जबरदस्ती अलाट कर दिया गया। श्री के० पी० राय ने १ मार्च, १९६० को अपनी पुलिस ले जाकर डाक्टर साहब का सब सामान बाहर फेंक दिया, उनकी पत्नी को धक्का देकर गिरा दिया, व बेइज्जत किया। डाक्टर साहब को हथकड़ियां पहना कर पुलिस चौकी ले जाया गया। नगर के ऐसे गण्यमान्य, अति प्रतिष्ठित पुरुष की बेइज्जती व उन पर हुये अत्याचार से सारे नगर में क्षोभ व रोष की भावना फैल गई है, बाजार बन्द हो गया, सारे नगर में हड़ताल है। आगे शान्ति भंग होने का डर है। इस घटना से सारे नागरिकों की प्रतिष्ठा व सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इस लोक महत्व के तात्कालिक व निश्चित प्रश्न पर विचार करना व माननीय खाद्य मंत्री व गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना अत्यावश्यक है।"

मैं जानना चाहता हूं कि खाद्य मंत्री जी इस पर कुछ वक्तव्य देंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वहां के कलेक्टर से टेलीफोन पर बातचीत की थी। उनसे मालूम हुआ कि यह मकान उनको एलाट किया गया था परन्तु उसके लिये कोई पुलिस हेल्प उनको नहीं दी गयी और यह मकान पुलिस के द्वारा खाली नहीं कराया गया। वह डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट दौरे पर थे जिनके नाम एलाटमेन्ट हुआ था। उन्होंने अपना कब्जा ले लिया इतना ही मालूम है इससे अधिक नहीं। कोई विषम परिस्थिति वहां नहीं है।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

जहां तक रेंट कंट्रोल का सम्बन्ध है, पुलिस एक्शन से उनको कोई कब्जा नहीं दिलाया गया। स्वयं उनके चौकीदार ने शायद ले लिया हो, इस तरह की बात वह कहते हैं। बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि शायद चौकीदार ने ले लिया हो, तो पहले तो वे पूरी सूचना मंगा लें, तब हम लोग कोई प्रश्न करें। दूसरे मुझे जो सूचना है वह मैंने लिखी है। मैंने वह पत्र भी लगा दिया है और वह तार भी लगा दिया है जो वहां के प्रतिष्ठित लोगों ने भेजा है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने 'शायद' नहीं कहा। मैंने यह कहा था....

(व्यवधान)

आप लोग सुनिये तो सही। मैंने कहा है कि वहां के कलेक्टर ने मुझसे इस तरह की बात कही है। जहां तक रेंट कंट्रोल का सम्बन्ध है, वहां तक पुलिस ऐक्शन से कोई काम नहीं कराया गया। डी० एस० पी० स्वयं दौरे पर थे। उनके चौकीदार ने यह पजेशन लिया है। यह मैंने कहा, जो कलेक्टर से मुझे इत्तिला मिली है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए इस बात की जांच करा कर इस सदन को सूचना देंगे कि यह मकान किस तरह से खाली कराया गया? जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने खुद कहा, उनको यह पता नहीं है कि चौकीदार ने किस तरह से खाली कराया। यह हो सकता है कि चौकीदार पुलिस लेकर गया हो और उसने पुलिस के जरिये से वह काम किये हों जो कि आरोपित हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायें कि यह आरोप सही है या गलत?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जहां तक ब्योरे की बात है उसको मालूम करूंगा, लेकिन अभी जितनी नोटिस दी गयी थी उसको मैंने मालूम किया और उसका जवाब भी मैंने दे दिया।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या खाद्य मंत्री जी इसकी भी जानकारी करायेंगे कि डी० एस० पी० दौरे पर थे लेकिन उनके मातहत लोगों ने जबरन डाक्टर साहब को हटा कर मकान का कब्जा ले लिया?

श्री उपाध्यक्ष---पालीवाल जी के प्रश्न से यह ढक जाता है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या माननीय खाद्य मंत्री को जानकारी है कि उक्त डाक्टर साहब उस मकान में कैसे रहते थे, यानी पहले से किस आधार पर रहते थे?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---ये तो सब चीजें रिपोर्ट के साथ आ जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष---इन तमाम प्रश्नों को लेकर माननीय खाद्य मंत्री एक मुकम्मिल रिपोर्ट मंगा लें और फिर उसे सदन के सामने पेश करें। वह हमें बतायें कि कब तक रिपोर्ट मंगाकर यहां पर पेश कर सकते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मुमकिन होगा तो कल ही पेश कर दूंगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि कल तक किसी हालत में सूचना नहीं आ सकती, इसलिये मुनासिब होगा कि इसके लिये दो दिन दे दिये जायें ताकि पूरे तौर से लिखित रिपोर्ट आ सके क्योंकि टेलीफोन के जरिये जो रिपोर्ट आयेगी वह अपूर्ण होगी।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, तो शनिवार को माननीय खाद्य मंत्री पेश करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा, वह पूरी सूचना मंगा लें और हम भी वहां से अपनी सूचना मंगा लें। इसलिये अगर आप शनिवार के बजाय सोमवार कर दें तो और उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं देखूंगा। अगर इसके अलावा एक-आध दिन की और आवश्यकता होगी तो वह भी मिल जायगा।

डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा तथा श्री मूलचन्द द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, कल माननीय गृह मंत्री जी ने हरगांव में राजनारायण जी की मीटिंग के सम्बन्ध में कुछ कहा था। उसमें मेरा भी नाम आया था, इसलिये मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष---आप क्या कहना चाहते हैं? आपके लिये यही कहा गया था कि आपने एस० डी० एम० को देखकर यह कहा कि एस० डी० एम० साहब आ गये हैं, उनसे जो आप लोगों की शिकायतें हों पेश कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में अगर आप कुछ कहना चाहें कि यह सत्य है या नहीं, तो आप कह सकते हैं।

डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा---वह बिलकुल गलत है लेकिन मंत्री जी ने अपना उत्तर देते हुए जो कहा कि जब एस० डी० एम० साहब लौट रहे थे. . . .

श्री उपाध्यक्ष---इस सम्बन्ध में विवाद नहीं हो सकता। आपने यह कह दिया कि आपके सम्बन्ध में जो बात कही गई वह गलत है, अब आप बैठिये।

श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं भी स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, मेरा नाम लेकर कहा गया. . . .

श्री उपाध्यक्ष---आपने उनको बैठने के लिये कहा या नहीं, इस सम्बन्ध में ही केवल आप कह सकते हैं।

श्री मूलचन्द---जहां तक यह कहा गया कि मैंने एस० डी० एम० साहब को बैठने के लिये कहा, यह बिलकुल सही है, लेकिन यह बिलकुल गलत है. . . .

श्री उपाध्यक्ष---यह सही है कि आप ने कहा उनसे कि आप वहां खड़े क्यों हैं, तख्त पर बैठ जायं?

श्री मूलचन्द---जी हां, हर सभ्य मनुष्य के लिये ऐसी बातें कहना आवश्यक होता है, लेकिन यह भी बिलकुल सही है कि पुलिस हमारी मीटिंग को भंग करने के लिये उस चौहद्दी में दौरा कर रही थी. . . .

श्री उपाध्यक्ष---जो बात आपके बारे में कही गई वह सही थी या गलत, इस तरह के ही आवश्यक प्रश्नों की ही केवल इजाजत दे दी जाती है। तो आपके बारे में जो कहा गया उसको आपने कह दिया कि वह सही है और सिन्हा साहब ने कहा कि उनके सम्बन्ध में जो कहा गया वह गलत है। अब इसके आगे इजाजत नहीं दी जायगी।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना के बजाय अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछने के सुझाव के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, देवरिया में एक बड़ी भारी डकती पड़ गई है, उस सिलसिले में मैंने दफा ५२ में एक सूचना दी थी....

श्री उपाध्यक्ष—डकैतियां तो रोज पड़ा करती हैं। मैंने एक प्रश्न को महत्वपूर्ण समझा और उसकी इजाजत दे दी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, दफा ५२ के सम्बन्ध में आपने व्यवस्था दी है कि अच्छा होता यदि अल्पसूचित प्रश्न के रूप में वह दिये जाते लेकिन दिक्कत यह है कि अल्पसूचित प्रश्न के रूप में आप स्वीकार भी करते हैं तो मंत्री जी उत्तर देते समय पूरी सूचना देने के लिये तैयार नहीं होते। इसके सम्बन्ध में आप क्या व्यवस्था देना चाहते हैं? दफा ५२ में आप स्थगित कर दें लेकिन अल्पसूचित करने से भी उसका महत्व तो खत्म हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—यदि मंत्री जी कहते हैं कि वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते तो अध्यक्ष को अधिकार है कि वह यह देखे कि किस स्थिति में ऐसा किया गया है। आप किसी विशेष प्रश्न के बारे में लिखें तो कार्यवाही की जा सकती है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जो अभी आपने आदेश दिया कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में अगर हम दे दें तो हमारा नियम ५२ का काम चल जाय....

श्री उपाध्यक्ष—मैंने यह नहीं कहा कि नियम ५२ का काम चल जाय। जिन प्रश्नों को मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता कि उनकी आज्ञा मैं नियम ५२ में दे दूं और माननीय सदस्य ७,८ दिन से उन प्रश्नों को उठाये जाते हैं, तो उसके लिये यह है कि अगर अध्यक्ष उनको स्वीकार नहीं करते तो वे मामले अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में आ सकते हैं।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, इस सदन का काम तभी सुचारु रूप से चल सकता है जब कि दोनों ओर से अच्छी परम्परायें बनें। मैंने एक प्रश्न, तारांकित प्रश्न, आपकी सेवा में भेजा जिसे आपने माननीय मिनिस्टर साहब को भेज दिया। वह प्रश्न सचिवालय से मतलब रखता है। लेकिन मिनिस्टर साहब ने अल्पसूचना पर जवाब देना पसन्द नहीं किया। जब तारांकित प्रश्न के रूप में आया तो उन्होंने मौका मांग लिया और उसका उत्तर वह इस सदन में इस अधिवेशन में नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि अगर उत्तर दिया तो उनकी थोड़ी बदनामी हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—नये नियमों के अनुसार अगर माननीय मंत्री इस स्थिति में न हों कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में उत्तर दे सकें तो वह ऐसी सूचना दे देते हैं। लेकिन जैसा गेंदासिंह जी ने यहां कहा है, यदि यह लिखित रूप में किसी विशेष प्रश्न के बारे में दिया जाय तो मैं मंत्री जी को कहूंगा कि वह जल्दी सूचना दें।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—आपने फरमाया कि डकैतियां पड़ती रहती हैं, तो क्या डकैतियां पड़ना जरूरी है?

श्री उपाध्यक्ष—डाकुओं के लिये तो जरूरी हैं ही। (हंसी)

मंत्रियों की परामर्शदात्री समितियों, प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के लिये प्राप्त नामांकन पत्रों के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि कल दिनांक २-३-६० को २ बजे मंत्रियों की परामर्शदात्री २५ स्थायी समितियों, प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति

के लिये प्राप्त नामांकन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा, सचिव, विधान सभा के कमरे में हुई। निम्न-लिखित समितियों के सामने उल्लिखित सदस्यों के नामांकन पत्र अवैध पाये गये :

१—प्राक्कलन समिति	..	१—श्री केशवराम २—श्री कल्याणराय ३—श्री शिवराजसिंह ४—श्री कैलाशकुमार सिंह।
२—लोक लेखा समिति	..	१—श्री केशवराम २—श्री शिवराजसिंह ३—श्री कैलाशकुमार सिंह ४—श्री कल्याणराय।
३—विकास तथा नियोजन स्थायी समिति	..	१—राजा वीरेन्द्र शाह २—श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)
४—सहकारी स्थायी समिति	..	१—श्री अमरनाथ मिश्र २—श्री अब्दुल रऊफ लारी।

इन समितियों के सम्बन्ध में जिन अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र वैध हैं उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

समिति का नाम		स्थान	अभ्यर्थियों की संख्या
१—प्राक्कलन समिति	..	२५	४५
२—लोक लेखा समिति	..	२१	४२
३—जेल स्थायी समिति	..	१६	१६
४—न्याय तथा विधान सम्बन्धी स्थायी समिति	..	१६	१८
५—यातायात स्थायी समिति	..	१६	२४
६—सामान्य प्रशासन स्थायी समिति	..	१६	१७
७—वन ,, ,, ,,	..	१६	२०
८—सिंचाई ,, ,, ,,	..	१६	२२
९—विकास तथा नियोजन ,,	..	१६	२५
१०—श्रम ,, ,, ,,	..	१६	१८
११—सहकारी ,, ,, ,,	..	१६	१६
१२—आबकारी ,, ,, ,,	..	१६	१६
१३—समाज कल्याण ,, ,,	..	१६	१८
१४—राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा ,,	..	१६	१७
१५—हरिजन ,, ,, ,,	..	१६	२०
१६—शरणार्थी ,, ,, ,,	..	१६	१६
१७—शिक्षा ,, ,, ,,	..	१६	२०
१८—कृषि तथा पशु-पालन ,,	..	१६	२०
१९—चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति	..	१६	२०
२०—सूचना ,, ,,	..	१६	१६
२१—रसद ,, ,,	..	१६	१८
२२—पुलिस ,, ,,	..	१६	२२
२३—उद्योग ,, ,,	..	१६	२३
२४—विद्युत् ,, ,,	..	१६	२१
२५—माल ,, ,,	..	१६	१८
२६—सार्वजनिक निर्माण (भवन तथा सड़कें) ,, ,,	..	१६	२१
२७—स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी संस्थायें ,, ,,	..	१६	२१

[श्री उपाध्यक्ष]

उपरोक्त सभी समितियों से नाम वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय १० मार्च, १९६० को सायंकाल ५ बजे तक है। यदि इस समय के बाद इन समितियों के लिये अभ्यर्थियों की संख्या निश्चित संख्या से अधिक रही तो पूर्व कार्य-क्रम के अनुसार निर्वाचन कराया जायगा। कौन नाम वैध है, यह हमारे कार्यालय से माननीय सदस्य मालूम कर सकते हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---आप ऐसी समितियों के चुनावों की घोषणा कर दें जिनमें जितने स्थान हैं उतने ही अभ्यर्थी हैं।

श्री उपाध्यक्ष---वह नाम वापसी की तिथि के बाद की जायगी। हो सकता है कि जरूरत से अधिक माननीय सदस्य विदड्रा कर लें।

डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा द्वारा जानकारी की मांग

डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा (जिला सीतापुर)---जो आपकी आज्ञा से बोलना, उठना, बैठना चाहते हैं उनको तो आज्ञा मिलती नहीं है और जो एक दम झपटे से कुछ कह जाते हैं वे अपनी बात कह ही जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---अगर यही तजुर्बा आपको करना है तो कर लीजिये। (हंसी)

डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा---वह मैं नहीं करना चाहता हूं और इसलिये मैं घाटे में रहता हूं।

दूसरी बात यह है कि अगर इस सदन में माननीय मंत्री जी बिलकुल भ्रमात्मक और गलत उत्तर देते हैं तो आदरणीय सदन के सदस्यों को क्या करना चाहिये?

श्री उपाध्यक्ष---अगर सरकारी पक्ष से कहा जाता है कि कोई बात निराधार है तो जज करने वाले समझेंगे कि वह ठीक है या नहीं। वैसे, वह कार्यवाही में तो छप ही जाता है। अगर जानबूझ कर गलत जवाब दिया जाता है तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा---माननीय मंत्री जी ने जो कल उत्तर दिया है उसका एक-एक शब्द गलत है। तो कम से कम वह अधिकारियों से ही पूछें कि गलत खबर क्यों दी।

श्री उपाध्यक्ष---आप इसके बारे में नियमों के अनुसार प्रश्न उठा सकते हैं। प्रश्न उठाइये और मैं उसे देखूंगा।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २३---लेखा शीर्षक : ४०---कृषि सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण और शोध, अनुदान संख्या २५---लेखा शीर्षक: ४१---पशुपालन तथा अनुदान संख्या ४८---लेखा शीर्षक: ७१---कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री उपाध्यक्ष---क्या विरोधी दल सभी ग्रान्ट्स एक साथ लेना चाहता है?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---जी हां, तीनों को एक साथ, समय कल शाम तक चलेगा। सहकारिता अलग है।

श्री उपाध्यक्ष—२३, २५ और ४८ एक साथ चलेंगे। अनुदान संख्या २४ और २८ बाद में लिये जायगे।

***सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)**—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—कृषि संबंधी विकास, अभियन्त्रण और शोध—लेखा शीर्षक: ४०—कृषि के अन्तर्गत ३,८५,४४,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—पशुपालन, लेखा शीर्षक ४१—पशुपालन के अन्तर्गत १,९७,३८,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत—लेखा शीर्षक : ७१—कृषि सुधार और शोध की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ९,६८,००,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रयत्न करूंगा कि इस समय बहुत ज्यादा समय इस सदन का न लूं क्योंकि जो बातें मुझे रखनी हैं वे साहित्य में दी जा चुकी हैं, सब के सामने हैं और स कार्य के महत्व को समझते हुए इतनी छोटी-सी रकम सदन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। कार्य बहुत बड़ा है, दिक्कतें बहुत काफी हैं और जितना प्रयत्न हो रहा है वह इतने बड़े कार्य के लिये बहुत थोड़ा है। यदि हमें साधन इजाजत देते तो हम इस कार्य को और तेजी से करने के लिये बहुत ज्यादा उपाय और साधन जुटाने का प्रयत्न करते। यह गरीब देश है और हम एक विशस सर्किल में हैं। जब तक साधन नहीं जुटायेंगे तब तक आमदनी बढ़ेगी नहीं और जब तक आमदनी बढ़ेगी नहीं तब तक हमारे पास साधन भी लागत लगाने के लिये नहीं होंगे। इसलिये यह एक अजीब विशस सर्किल है जिसमें हम आप फंसे हुए हैं, जिससे निकलने का प्रयास इस समय देश कर रहा है।

इस देश की गरीबी को दूर करने के लिये सब से पहला उपाय कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये जितने साधनों की जरूरत है उनमें से हम बहुत कम साधन किसानों को जुटा पाते हैं। यह क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर का क्षेत्र है, किसान अपनी जमीन का स्वयं मालिक है, कर्त्ता-धर्त्ता है। वह कोशिश करता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा वह पैदावार कर सके करे। इसमें किसी को शक करने की गुंजायश नहीं है कि किसान ज्यादा पैदा करना चाहता है और कोई रुकावट जानबूझ कर डाल सकता है। यह हो सकता है कि जितने साधनों की उसको जरूरत है वह समाज और शासन न जुटा सकता हो, लेकिन जितनी उसकी जानकारी है, जो उसका तजुर्बा है, वह उसको देखकर कोशिश करता है और अपनी उन्नति में लगा हुआ है। जो हमने अपने सामने कार्य का लक्ष्य रखा था, उसको अभी पूरी तरह से हक पूरा नहीं कर सके हैं, इसको मुझे मानने में कोई संकोच नहीं है। उसके कारण क्या हैं, क्या वजह है, यह मैं अभी जिक्र करूंगा। लेकिन यह सही है कि जितना टार्गेट हमने रखा था उसमें से बहुत ज्यादा टार्गेट अभी हम पूरा नहीं कर पाये हैं। कुछ चीजों में हमारे टार्गेट पूरे हो गये हैं। जैसे आयलसीड्स की बात है। इनके लिये हमारा टार्गेट था ७.६ लाख टन का वह हमने अब पैदा किये हैं ९.९६ लाख टन। जूट में भी हमने अच्छी रफ्तार बढ़ाई है, बीच

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

में एक दम दामों के गिरने से कुछ धक्का उसमें लगा था लेकिन उसमें भी हम अब करीब-करीब अपना टार्गेट पूरा कर रहे हैं, टार्गेट था ९७.२ हजार बेल्स का और अब वह हुई हैं ९५ हजार बेल्स।

जहां तक काटन का संबंध है, उसमें हम अभी काफी पीछे हैं और यह एक जरूरी आइटम है कि जिस की तरफ हम ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि हमारे सूबे और देश की यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी कि तरक्की होनी चाहिये। यह टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसकी तरक्की उसी वक्त होगी जब हम यहां काफी काटन पैदा कर सकें। उसमें हमारी कुछ कठिनाइयां हैं लेकिन बहुत कोशिश हो रही है कि वे कठिनाइयां दूर हों और काटन ज्यादा पैदा हो। हमारा इरादा है कि इस संगठन को हम जितना और ज्यादा मजबूत कर सकें उतना करें ताकि वह कमी पूरी हो सके।

जहां तक हार्टिकल्चर का संबंध है, उसके टार्गेट से ज्यादा हमने प्राप्त कर लिया है। हमारा इरादा था कि १४,५०० एकड़ में नये पेड़ लगायें लेकिन हमने १९,१५८ एकड़ में नये पेड़ लगा लिये हैं। पुराने बगीचों को सुधारने के लिये हमारा लक्ष्य ७,००० एकड़ का था, लेकिन हमने ८,६१९ एकड़ पुराने बगीचे ठीक किये हैं और उसमें हम सहायक हुए हैं।

प्लान्ट प्रोटेक्शन का काम जो हमारा चल रहा है उससे भी हमारे काश्तकार अब अधिक कान्शस हो गये हैं ताकि कीड़े वगैरा पेड़ों में न लग सकें। हमारा लक्ष्य इसके लिये १२,५०० एकड़ का था लेकिन यह काम हमारे यहां १७,००० एकड़ में हुआ है।

ये छोटी-छोटी चीजें थी कि जिनका मैंने जिक्र किया। अब सवाल है फूड प्रोडक्शन का जो हमारा सब से महत्वपूर्ण विषय है, उस पर यहां विचार भी ज्यादा हुआ और आगे भी होगा। मैं कह सकता हूं कि जो हमारा लक्ष्य था १९५८-५९ का यानी पिछले साल का, वह १३१.७२ लाख टन का था लेकिन उसमें से १२४.०१ लाख टन पैदा हुआ---अर्थात् टार्गेट से पीछे रहा; लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह जो पैदावार हुई वह मुकाबले में पहले से काफी अच्छी है सिर्फ एक १९५४-५५ के साल को छोड़कर। पिछले साल १९५८-५९ में सब से ज्यादा पैदावार हुई है। इसको मानने में मुझे एतराज नहीं है कि वह जितनी तेजी से बढ़नी चाहिये वह नहीं बढ़ रही है, वह तेजी से बढ़नी चाहिये, लेकिन इस संबंध में कई बार हमारे विभागों में भ्रम हो जाता है कि हमारी पैदावार घट रही है। मैं चाहता हूं कि मैं यह निवेदन करूं कि यह बात सही नहीं है। खेती में बहुत से कारण हैं और यह मैं निवेदन कर दूं कि जितने कारण हैं उनके ऊपर हमारा कब्जा नहीं है और जिस तेजी से पैदावार बढ़नी चाहिए थी उससे नहीं बढ़ रही है। उसके कारण हैं। यह बात सही है कि अभी तक खेती आकाश पर ही निर्भर करती है, वर्षा पर ही निर्भर करती है, और जितना हम चाहते थे कि आबपाशी का इंतजाम करें वह अभी तक काफी नहीं हो पाया है। फ्लड में अभी हम इतना कंट्रोल नहीं कर पाये हैं कि उसका असर हमारे खेती पर न पड़े और कई वर्ष जो पश्चिमी जिलों में पानी भरा रहा, वाटर लागिंग हुआ उसका भी पूरा इंतजाम नहीं हो सका। इसलिये उन कारणों से, जितनी तेजी से पैदावार बढ़ सकती थी वह नहीं बढ़ पाई और तेजी से पैदावार न बढ़ने के जो कारण हैं उनमें एक बड़ा भारी कारण यह है।

दूसरे, अगर हम देखें कि कुल पैदावार जो हमारे प्रदेश में हुई वह कुछ घटी है, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसा नहीं है। उसकी अगर कीमत ली जाय तो जो पैदावार सन् १९५६-५७ में थी खेती से उसकी कीमत कूती गई है ८२३ करोड़ रुपया और सन् १९५७-५८ में वह कम थी क्योंकि वह साल बहुत खराब था, वह ७८७.८ करोड़ रुपया हुई। सन् १९५८-५९ में ९५९.६ करोड़ हुई। सन् १९५६-५७ से १९५८-५९ में १३७ करोड़ रुपये

की पैदावार बढ़ी। अब उसमें यह देखने की बात है कि अगर फूडग्रेन्स में उतनी तेजी से पैदावार नहीं बढ़ रही है तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जो साधन जुटाये जाते हैं और खेत तैयार किये जाते हैं वे कुछ अच्छी फसलों में बदल जाते हैं। अगर गेहूं से किसी को तम्बाकू में ज्यादा आमदनी होगी, गन्ने में ज्यादा होगी, आलू में ज्यादा होगी तो वह गेहूं न पैदा करके तम्बाकू, आलू और गन्ना पैदा करेगा। अगर अच्छी जमीन गेहूं से हट कर दूसरी जगह चली जाती है तो जरूरी है कि गेहूं की पैदावार उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती जितनी कि उस समय बढ़ सकती थी जब कि वह जमीन उसी में रहती। इसलिये १३७ करोड़ रुपया जो बढ़ा तो इसके माने हैं कि कुछ कैश क्राप्स में ज्यादा खेत लग गये और अच्छे खेत लग गये। जो घटिया जमीन थी वह फूडग्रेन्स के कामों में आ गई। तो यह भी एक कारण है।

तीसरी वजह है कि डबल क्रापिंग ज्यादा हो रही है। पहले के मुकाबले में अब दो फसल किसान ज्यादा ले रहे हैं। जो गेहूं की पैदावार बढ़ सकती थी वह उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी अगर दूसरी फसल किसान ले लेंगे तो।

एक बात और है। जो साधन जुटाए जा रहे हैं उसके बारे में मैंने निवेदन किया, वह काफी नहीं है। अभी सहकारिता के सिलसिले में मैं और जिक्र करूंगा कि हम कुल अब पिछले २ साल में आज की जो हालत है वह २५ से ३५ करोड़, मोटे तौर पर ३० करोड़ रख लें, इतने रुपये का अगर इंतजाम खेती के लिये होता है और ५ करोड़ ३८ लाख एकड़ जमीन पर दोनों पैदावार मिला कर होती हैं तो कितने आने पड़े फी एकड़ जो साधन जुटाये जाते हैं? जो साधन आज हम बीज के, खाद के नकदी, जो रुपया इस तरह दिया जाता है चाहे कोआपरेटिव सोसायटी दें, या तकावी दें, वह आने पाई में होती है। जरूरत के मुताबिक वह नहीं होता है। यानी अगर ५ करोड़ ३८ लाख एकड़ जमीन पर काश्त हो रही है उस पर अगर ३०,००,००,००० रुपया हुआ तो तीन रुपया फी एकड़ से भी कम पड़ा। ५ और ६ रुपया भी फी एकड़ साधन जुटाने में अगर भिन्न-भिन्न शक्लों में देते हैं तो क्या होगा? इस तरह खेती हो सकती है? समस्या यह है कि आज अगर ठीक-ठीक साधन जुटाये जायं तो उस पर कितने रुपये की जरूरत होगी। उसका जब हिसाब सोचते हैं तो हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। उसका जिक्र मैं थोड़ा सहकारिता के समय और अच्छी तरह से करूंगा। इसलिये इसको मैं यहीं छोड़े देता हूं। लेकिन यह कह सकता हूं कि अगर ५० रुपया फी एकड़ भी औसतन साधन जुटाने की व्यवस्था की जाय तो ५ करोड़ ३८ लाख एकड़ जमीन में २५० करोड़ या २७० करोड़ रुपये की जरूरत होगी। और इस वक्त साधन जुटाये जाते हैं २५ से ३५ करोड़ रुपये के बीच में। इसलिये यह सोचा जा रहा है कि किस तरह से किया जाय। हम सोच रहे हैं कि कुछ इलाका ले लिया जाय और उस पर यह देखा जाय कि अगर सब साधन जुटाये जायं तो कितनी पैदावार बढ़ सकती है। इसका तजुर्बा किया जा रहा है। इसलिये यह देखने की बात है कि जब तक साधन काफी नहीं जुटाये जायंगे तब तक पैदावार अच्छी नहीं हो सकेगी और इसकी तरफ कोशिश हो रही है।

कई सदस्य---सरकारी फार्मों पर क्या हो रहा है?

श्री मोहनलाल गौतम---मैं बता दूं कि सरकारी फार्म अकेले ऐग्रीकल्चर फार्म्स नहीं हैं। मैं कोशिश करूंगा समय पर समझाने की कि उनसे क्या फायदा होता है, उन पर क्या घाटा है, क्यों घाटा है और उसको कैसे दूर करना चाहिये। ये सब बातें मैं आपसे निवेदन करूंगा। अगर इस तरह आप मुझे बीच में रोकेंगे तो सदन की कार्यवाही कैसे सुचारु रूप से चलेगी, यह सोचने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब मंत्री जी बोल रहे हों तो उनका पूरा भाषण सुन लें, सदन की मर्यादा इसी में है और चेयर भी इसीलिये है कि किसी सदस्य को कोई बाधा उपस्थित न हो। आप जब अपने भाषणों में प्रश्न उठायेंगे तो उनका जवाब मंत्री जी दे देंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--तो मैं कह रहा था कि जितने साधनों की जरूरत है वे नहीं हैं और यह भी हम महसूस कर रहे हैं कि इन साधनों के जुटाने में उतनी आसानी से किसानों को साधन नहीं मिलते हैं जितने कि मिलने चाहिये। इसीलिये कोशिश की जा रही है कि उनको आसानी से वे साधन जुटाये जा सकें। उदाहरण के रूप में तकावी में शिकायत यह थी कि किसानों को मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, उसका प्रोसीजर बड़ा कठिन है। अब हमने फैसला किया है कि कोआपरेटिव सोसायटीज के द्वारा, तकावी, बन्द करके कर्जा दिया जाय। उसके तीन हिस्से हैं। यहां घबड़ाने की बात नहीं है। एक डिस्ट्रस तकावी है जिसे कोआपरेटिव विभाग नहीं छू सकता क्योंकि वह सहायता का साधन है और जो तकावी बांटने का तरीका है सरकार का वह उस हिस्से में कोआपरेटिव की मार्फत बांट सकती है जहां कोआपरेटिव सोसाइटीज बन गयीं। लेकिन जहां कोआपरेटिव सोसाइटीज नहीं बनी हैं वहां तकावी का इन्तजाम करना होगा। इसलिये जो फर्टिलाइजर है, उसको बांटने के लिये यह कोशिश की गयी कि ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि वह किसान के नजदीक पहुंच जाय। इसके लिये कायदे कानूनों को भी ढीला करके हमने यह कोशिश की फर्टिलाइजर को गांव में पहुंचा दिया जाय और एक-एक या दो-दो गाड़ी गांव सभा के सभापति को दे दी जायं जो वहां बांटे। इस तरह से अगर डिस्ट्रिब्यूटिंग सेंटर्स दूर हैं, जाने में दिक्कत है, तो किसान तक इस प्रकार आसानी से पहुंच जाय। तो यह कोशिश की गयी।

एक और कारण है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं और वह है अनसर्टेंटी आफ टेन्योर (uncertainty of tenure)। जो अब तक रेवेन्यू के कानून बनते रहे उनकी वजह से जो अनसर्टेंटी रही किसान के दिमाग में जैसे कंसोलिडेशन की वजह से, सीलिंग के कायदे कानून से, किसान के दिमाग में जो अनसर्टेंटी रही उससे किसान अपने खेत पर उतनी लागत नहीं लगा पाता जितनी कि अगर यह अनसर्टेंटी नहीं होती तब वह लगा पाता। इसके यह मानी नहीं हैं कि मैं यह कह रहा हूं कि ये गलत काम हो रहे हैं....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--सरकार की वजह से यह सब है।

श्री मोहनलाल गौतम--पहले समझने की कोशिश करें।

श्री उग्रसेन--समझ का ठेका माननीय मंत्री ने ही नहीं ले रखा है।

श्री उपाध्यक्ष--इस तरह से अगर आपस में प्रश्नोत्तर होगा तो फिर सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री उग्रसेन--लेकिन हमें इंटरपैलेशन का हक तो है।

श्री मोहनलाल गौतम--बीच में दखल अगर आप देते हैं और जवाब नहीं सुन सकते; तो फिर आपको बीच में दखल देने का अधिकार कितना है यह आपके ही सोचने की बात है।

श्री उग्रसेन--लेकिन माननीय मंत्री जी के पास ही कुल अक्ल है ऐसा वह नहीं कह सकते। हम लोगों के पास भी है। यह नहीं कि वह फर्स्ट डिवीजन और हम थर्ड डिवीजन में ही पास हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष--अच्छा, अब माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो अनसर्टेंटी है उसे मैं यह नहीं कहता कि यह गलत बात हो रही है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अनसर्टेंटी को दूर करने में कुछ वक्त लगेगा और किसान जब उसको पार कर लेगा तो फिर वह अपने खेत पर ढंग से काम कर सकेगा। खेत में कुवां भी होगा, खाद भी डालेगा, मेहनत करेगा और अपने खेत की परवरिश करेगा।

मैं समझता हूं कि जिस समाज का हम निर्माण करने जा रहे हैं उसके लिये कुछ चीजें जरूरी हैं लेकिन फिलहाल मैं इस वक्त उन कारणों को बतला रहा हूं जिनके कारण पैदावार में रुकावट पड़ती है। मेरा कहना यह है कि जब यह अनसर्टेंटी दूर हो जायगी तो जितनी यह कोशिश हो रही है, जितने ये साधन जुटाये जायंगे तो जो प्रोडक्शन आज है उसमें तरक्की हो सकेगी। ये तमाम कारण होते हुए भी मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो पैदावार हुई उसके आंकड़े इस प्रकार हैं। कई बार जब आंकड़े दिये जाते हैं तो जो सबसे बुरा और सबसे अच्छा साल होता है उसका मुकाबला कर दिया जाता है और आंकड़े भयानक हो जाते हैं। यह खेती बारिश पर है। उसकी रोकथाम के लिये जितना कि अन्य देशों ने इन्तजाम कर लिया है उसे हम नहीं कर पाये हैं। इन सब दिक्कतों में हम अपनी मजबूरी पाते हैं। और जो यह बारिश का है कि कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अधिक वर्षा हो जाती है, कभी ठीक होती है, तो इसका भी एक सर्किल-सा चल रहा है कि किसी साल में अधिक वर्षा होती है, किसी में कम और किसी में ठीक। इसलिये जिस साल में सब से अधिक पैदावार हुई हो और जिस साल में सब से कम पैदावार हुई हो उसका अगर मुकाबला किया जाय तो बड़े भयानक आंकड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको सन् १९५०–५१ से ले कर सन् १९५८–५९ तक जो टोटल प्रोडक्शन अन्न का हुआ वह बताता हूं। सन् १९५०–५१ में ११२·३ लाख टन, १९५१–५२ में १०३·५७ लाख टन, १९५२–५३ में ११५·१५ लाख टन, १९५३–५४ में १२०·२४ लाख टन, १९५४–५५, में जो सब से अच्छा वर्ष रहा पिछले ९–१० वर्षों में, १२६·४२ लाख टन, १९५५–५६ में ११६·०७ लाख टन, १९५६-५७ में १२०·९० लाख टन, १९५७–५८ में, जो सब से खराब साल रहा पिछले ९–१०वर्षों में, १०८·३७ लाख टन और १९५८–५९ में, १२४·१० लाख टन। तो आप यह देखें कि ११२ लाख टन से शुरू किया गया और १२४ लाख टन तक पहुंचा है। कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। हम कोशिश करते हैं, लेकिन काबू से बाहर जितनी चीजें हैं उनकी तरफ मैंने थोड़ा सा इशारा किया। और यह जमीन सब किसान के पास है। यह सही है, जैसा कि रावत साहब ने कहा, कि जितने हमारे फार्म हैं उनका हिसाब हम देंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय मंत्री जी जरा यह भी स्पष्ट कर दें....

श्री उपाध्यक्ष—वह बैठ नहीं रहे हैं इसलिये मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं। आप बिला इजाजत लिये बोलने लगते हैं तो फिर आखिर कैसे व्यवस्था रहेगी ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—आपकी इजाजत से ?

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं, मैं इजाजत नहीं देता।

श्री उग्रसेन—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कब्ल इसके कि माननीय मंत्री जी अपना भाषण समाप्त करें आप इस बात की व्यवस्था दें कि वह कितने घंटे बोलते रहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—आध घंटे का समय उन्होंने मांगा है जो ५१–५२ मिनट पर खत्म होगा। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम—एक सवाल उठा कि कितनी जमीन काश्त में थी। आपकी इजाजत से मैं यह भी बताना चाहता हूं, दशमलव को मैं छोड़े देता हूं। सन् १९५०–५१ में ४०१ लाख एकड़ जमीन काश्त में थी, १९५१–५२ में ३९१ लाख एकड, १९५२–५३ में ३९८ लाख एकड़, १९५३–५४ में ४१९ लाख एकड़, १९५४–५५ में ४२१ लाख एकड़, १९५५–५६ में ४२६ लाख एकड़, १९५६–५७ में ४२७ लाख एकड़, १९५७–५८ में ४२० लाख एकड़ और १९५८–५९ में ४३० लाख एकड़।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जितनी भयानक तस्वीर कभी-कभी हमारे सामने दिखायी देती है वैसी भयानक वह है नहीं।

मैं एक-दो बातें और कहकर समाप्त कर दूंगा। अगर औसत देखा जाय तो मैं यह कह सकता हूं कि चावल की १९५८–५९ में जितनी पैदावार प्रति एकड़ हुई थी उतनी पहले कभी भी नहीं हुई थी। मैं आपको आंकड़े बताये देता हूं। वे इस प्रकार हैं :

१९५०–५१ में ५·२७ मन प्रति एकड़
१९५१–५२ में ४.३३ ,,
१९५२–५३ में ५·३१ ,,
१९५३–५४ में ६·४६ ,,
१९५४–५५ में ६·१२ ,,
१९५५–५६ में ६·१८ ,,
१९५६–५७ में ६·२१ ,,
१९५७–५८ में ६·१९ ,,
१९५८–५९ में ७·७३ ,,

यह राइस है, पैडी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को कह कर मैंने यह बताने की कोशिश की है कि हमारे प्रदेश की पैदावार इन दो सालों के अन्दर १३७ करोड़ रुपये की बढ़ी है। कुछ कारण ऐसे हैं जो हमारे काबू से बाहर हैं और ज्यों-ज्यों हमारा काबू उन पर होता जायगा हमारी पैदावार और भी तेजी से बढ़ती जायगी।

तीसरी बात यह है कि जो-जो प्रयत्न हो रहे हैं, उसमें इधर-उधर कोई खराबी हो, यह मैं मान सकता हूं, लेकिन हमारी कोशिश इस बात की है कि किसानों को खेती के नये तरीके समझाये जांय और उनको साधन भी जुटाये जांय। इसके वर्किंग में कोई खराबी हो वह बात दूसरी है, लेकिन जहां तक पालिसी का ताल्लुक है उसमें यदि कोई सुझाव हो तो उसके मानने में कोई हठधर्मी नहीं होगी। अभी तक जो कमी दिखाई देती थी वह यह थी कि हमारी रिसर्च का नतीजा किसानों तक नहीं पहुंच पाता था। अब रिसर्च का, टीचिंग का और ऐक्सटेंशन के कोआर्डीनेशन का प्रयत्न हो रहा है और उसी का परिणाम यह हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। अब जो प्रयत्न हो रहे हैं वह सही लाइन्स पर और ठीक ढंग से हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर और अच्छा तरीका बताया जायगा तो हम उसको मानने के लिये सहर्ष तैयार हैं।

अब यह कहा जाता है कि चीनी और जापानी प्रणाली क्यों प्रयोग में लाई जांय ? तो हम कहेंगे कि साइंस का युग है और जहां से भी कोई अच्छी चीज मिलेगी हम लेंगे चाहे वह जापान

की हो, चाहे चीन की हो और चाहे कहीं और की हो। जहां तक शासन की कमियां हैं उनके लिये कोई माननीय सदस्य कहेंगे तो बुरा नहीं मानूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा जो माननीय सदस्य कमियां बतायेंगे। शासन में सुधार लाने के लिये ही यह सदन है। इसी के लिये मंत्री लोग, यहां पर अनुदान लेकर आते हैं ताकि शासन की कमियां बताई जा सकें और उनको सुधारा जा सके। लेकिन छोटी-छोटी चीजों को तूल देना ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरी सदन से प्रार्थना होगी कि अगर कोई सुझाव बाकायदा नीति के सम्बन्ध में या और हों तो दिये जायं। जहां तक दूसरे विभाग का सम्बन्ध है पशुपालन का, उसके सम्बन्ध में, अगर वक्त मिलेगा क्रिटिसिज्म के बाद तो, मैं जवाब दे दूंगा या मेरे और साथी उसका जवाब दे देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इन तीनों अनुदानों को सदन की स्वीकृति के लिए पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय टम्बरेश्वरप्रसाद, आप तीनों में कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे।

*श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २३, अनुदान संख्या २५ तथा अनुदान संख्या ४८ में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—तीनों में एक-एक रुपया तो रहने दिया आपने।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से माननीय कृषि मंत्री के भाषण को सुन रहा था और सरकार की जो नीति कृषि के सम्बन्ध में बदलती चली जा रही है, जिसका कि अनुभव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पुराने राज्यपाल के भाषणों से किया। आज वही बात लगभग व्यक्त होती है माननीय कृषि मंत्री के भाषण से और वह है कृषि-नीति के प्रति दुर्लक्ष्य। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल ने जब कि यहां पर सबसे पहले विधान मंडल में भाषण दिया था तो उन्होंने ये शब्द कहे थे—

"यदि हमें खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो हम पूर्ण रूप से प्रकृति की कृपा पर निर्भर नहीं रह सकते। यह परमावश्यक है कि राज्य की समस्त कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई का प्रबन्ध किया जाय"। उसके बाद में उन्होंने यह कहा था आगे अपने २१ जुलाई, १९५८ के अभिभाषण में कि इस राज्य का सबसे पहला उत्तरदायित्व और सबसे पहला लक्ष्य एकमात्र यह है कि हम सर्वतोमुखी कृषकों का विकास करें और उनकी दशा का सुधार करें लेकिन तुरन्त ही उसके एक वर्ष बाद जब सरकार ने दूसरी बात नीति की इस सदन के सामने रखी तो उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उस समय वह शब्द याद आये कि जब हमारे एलाइज की सेना पीछे लौटा करती थी लड़ाई के मैदान में, तो वह कहा करते थे कि हमारी फौज बहादुरी के साथ पीछे हट आयी। हमारी सरकार बिलकुल उसी नीति का अनुमोदन करती चली आयी है। उन्होंने २७ जुलाई, सन् १९५९ के भाषण में कहा कि सरकार को यह आशा है कि सामान्य परिस्थितियों में यदि वर्षा समय पर हुई और कोई आपदा न आयी, सिंचाई की बड़ी और छोटी योजनायें समयानुसार कार्यान्वित हो जांय, उर्वरक खादों को पहले से अधिक प्रयोग किया जाय, उन्नत बीज की अपूर्ति के कार्यक्रम अपनाये जांय और पुनस्संगठित और बहुधा संरक्षण सेवा उपलब्ध हो तो द्वितीय पंचवर्षीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बरेश्वरप्रसाद]

आयोजना के लक्ष्य की अवश्य प्राप्ति हो जायगी। इन दो भाषणों में जो अन्तर है कृषि नीति के प्रति वही आज जैसे का तैसा माननीय कृषि मंत्री के भाषण से प्रकट होता है। जितना दुर्लक्ष्य और जो नीतियों में परिवर्तन उन्होंने किया और उसके कारण जो भी हित या अहित कृषक का हुआ उसकी सबकी जिम्मेदारी, वर्षा नहीं हुई, फसल खराब हो गई, हमारे पास साधन नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सके और इन सबके साथ उसके बाद हम कुछ करेंगे। आगे आने वाले वर्षों में, कृषकों की दशा सुधर जायगी और आगे हम उन्नति कर लेंगे, इन सब पर डालकर वह अलग हो गये, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं आपके समक्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो उत्पादन में वृद्धि के आकड़े हैं उनको रखूं तो आपको मालूम होगा कि लगभग २४ लाख टन उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्न प्रकार से बांटा गया था। मैं एक-एक करके उन सब को लेता जाऊंगा। पहले सिंचाई योजनाओं से आपने वृद्धि रखी ७.५ लाख टन। उसके बाद आपने दोबारा उसको २.४ लाख टन किया। उसके बाद आपने अपनी योजना में इस प्रकार परिमार्जन किया कि पहले तो योजना में ९.९ लाख टन था किन्तु उसके बाद ५.२६ लाख टन की वह हो गई और इसी प्रकार से भूमि सुधार की योजना को भी घटाया गया। सभी योजनाओं को घटाया गया जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखी गई थीं। उपाध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि आज कृषकों की वही स्थिति है जो कि पहले थी क्योंकि हम देखते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति उसी प्रकार की है, आर्थिक स्थिति का अनुमान उसकी चीजों के मूल्य से लगाया जा सकता है। माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि हमारी आय १३९ करोड़ बढ़ गई तो उस समय इसको पूर्णरूप से देखना होगा कि हमारी आय में कितनी घटी या बढ़ी हुई। अगर पैसे के मूल्य में कृषिकों की वही स्थिति रहती है जो कि आज से कई वर्ष पहले थी तो मुझे दुख के साथ यह कहना होगा कि उसके लिये इतने तमाम साधनों की वृद्धि करने पर भी कृषकों को कोई लाभ नहीं हुआ।

सन् १९४८-४९ से १९५६-५७ के जो आंकड़े हैं उसमें केवल प्रति व्यक्ति तीन रुपये और कुछ प्वाइन्ट आमदनी में वृद्धि हुई है। सन् १९४८-४९ में उसकी आमदनी १९१·२१ थी जो सन् १९५६-५७ में १९४·९२ हो गई। जब हमारे कृषकों की इतनी दयनीय दशा है तो हमारी सरकार अनुभव कर सकती है कि उनकी स्थिति को सम्भालने के लिये कितना प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में इस सरकार की ओर से कोई व्यवस्था न करना और उसके लिये केवल इतना उत्तर दे देना कि हम ऐसा नहीं कर सके अपने साधनों की कमी की वजह से, मैं यह समझता हूं कि यह समुचित उत्तर नहीं है। हमको उपाध्यक्ष महोदय, देखना पड़ेगा कि जो हमने अपना लक्ष्य बनाया था और उसके लिये उतना रुपया व्यय किया तो वह लक्ष्य पूरा क्यों नहीं होता। यदि हमने किसी चीज का लक्ष्य बनाया था कि हम इसके द्वारा इतना अन्न उत्पादन कर लेंगे और अगर वह लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो हमें दो बातों में हानि होती है। एक ओर तो कृषकों की स्थिति खराब होती है और दूसरे हमारे प्रदेश में गल्ला दूसरे स्थानों से मंगाना पड़ता है। प्रदेश के अन्दर खाद्य स्थिति खराब होती है। प्रदेश के अन्दर अन्न की स्थिति खराब होने पर सब से पहले सरकार अगर व्यवस्था करती है तो नगरों के लिये करती है। कृषकों के लिये कोई व्यवस्था करने की सरकार आवश्यकता नहीं समझती है। कृषकों के यहां जो गल्ला होता है वह उनके पास से निकल जाता है। निकलने के बाद वह गल्ला मनमाने भाव पर बिकता है। खाद्य और रसद के जो आंकड़े हैं उसमें सन् १९५९ के जनवरी के प्रथम पखवारे में प्रति मन औसत भाव जो था उसके आधार पर १३९ करोड़ रुपये आय मंत्री जी ने बतलाई है। उसमें मैं आपको बतलाता हूं कि जनवरी, १९५९ में गेहूं का भाव २५.११ रुपये प्रतिमन था। चने का भाव १९.८३ प्रतिमन था। जौ का भाव १७.८५ प्रतिमन था। वही आंकड़े आगे जाकर एकदम कम हो गये। मगर उत्पादन का भाव जो पहले था उसी के आधार पर उन्होंने

आमदनी लगाई। आगे चलकर सन् १९६० में गेहूं का भाव १७.२५ रुपये, चने का भाव १२.२६ रुपये और जौ का भाव ११.२३ रुपये प्रतिमन रह गया। यदि इस मूल्य के हिसाब से बेसिक मूल्य हमारी कृषि का देते जो कि आप मानते हैं और जो आपने प्रदेश में भाव फसलों का लगाया है तो सम्भव था कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते कि जब हमको यह ज्ञान होता कि हमारा उत्पादन करोड़ों रुपया बढ़ गया, लेकिन जब हम उनके बाजार भाव का मूल्यांकन करते हैं तो हमको दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस बाजार भाव का मूल्यांकन वही होता है जिसका कृषक को कोई लाभ नहीं होता।

रबी आन्दोलन के बाद और तमाम परिवर्तन के बाद जो यह आंकड़े रसद और खाद्य विभाग के आपने सामने रखे हैं इसके बाद सन् १९५७-५८ में उत्पादन था २,७०६ हजार टन गेंहूं का, १९५८-५९ में ३,०३६ हो गया। इसी तरह चने का १,४१७ और १,१५८ हजार टन और जौ का १,२६० और १,३९५ हजार टन हुआ। और इस तरह कुल ८०६ हजार टन अधिक उत्पादन इन तमाम प्रयत्नों के बाद इन तीन फसलों से हुआ जो कि मुख्य रूप से हमारे प्रदेश में बोयी जाती हैं।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इसका भी जिक्र किया कि दुफसली एरिया बढ़ जाने के कारण भी ऐसी फसलों की पैदावार में असर पड़ता है। अगर आप दुफसली का एरिया देखें तो उसमें भी अधिक बढ़ोत्तरी नहीं हुई है जिस हिसाब से हमारी भूमि प्रतिवर्ष जोत में आ रही है उसे देखते हुए। सन् १९५८-५९ में दुफसली एरिया कुल ११४·८ लाख एकड़ है, इस से अधिक नहीं। आप देखें तो १९५६-५७ के मुकाबले में १९५८-५९ में पैदावार कम हुई है। सन् १९५६-५७ में है ३,११५ शायद हजार टन्स में और १९५८-५९ में ३,०३६ ही रह गया। मैं १९५७ से तुलना नहीं करूंगा क्योंकि उनके लिये माननीय मंत्री जी कह देंगे कि हमारा यह वर्ष बड़ा खराब गया था। तो इस मुकाबले में हमारे गेहूं और चने की फसल बहुत कम हुई है जो मुख्य रूप से खाद्य सामग्री के रूप में प्रदेश में प्रयोग की जाती है।

खरीफ की फसल का मैंने यहां जिक्र नहीं किया। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में यह कहा कि खरीफ में सूखा पड़ने के कारण फसल खराब हो गयी है, फिर भी इस वर्ष सभी वर्षों के मुकाबले में चावल का अधिक उत्पादन हुआ और हमें यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई। बजट भाषण से तो पता चला कि धान की फसल खराब हो गयी लेकिन कृषि मंत्री जी ने कहा कि धान की फसल बहुत अच्छी हुई है।

श्री मोहनलाल गौतम--१९५९-६० की बात वह कह रहे हैं।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद-- यह हो सकता है। मैं वही समझता था। अगर उन्होंने १९५९-६० की बात कही तो वह तो मेरे काम में नहीं आयेगी। मैं नहीं समझता था कि वे उसकी तारीफ कर रहे हैं कि जिसका दाना हमको मिलने वाला नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी प्रकार की पैदावार में भी उन्नति नहीं हुई। कैश क्राप्स का जहां तक ताल्लुक है, हमारे प्रदेश में ईख की खेती होती है। मेरे पास एक पुस्तिका है "उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास कार्य"। उसका अंतिम पृष्ठ देखें। हर साल की पैदावार के आंकड़े देखने से पता चलेगा कि किस चालाकी से विभाग ने अपनी बात पेश की है। प्रथम वर्ष, १९५६-५७ में लक्ष्य रखा गया ६३.८० लाख टन। पैदावार हुई ७० लाख टन। दूसरे साल १९५७-५८ में लक्ष्य रखा गया ६६ लाख टन,

[श्री टम्बरेश्वरप्रसाद]

जब कि पैदावार ७० लाख टन ही हुई और तीसरे साल १९५८-५९ में, जब कि लक्ष्य कर दिया गया था ६८.२० लाख टन, तो पैदावार कुछ कम हुई, ६९.८५ लाख टन। तो इस तरह से आप देखें कि ७० लाख टन की औसत पैदावार आ रही है लेकिन लक्ष्य घटा कर रखा जाता है। इसलिये कि हमें उत्पादन बढ़ाना न पड़े। यह प्रदेश की हालत उस समय है जिस समय कि और प्रान्तों में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। इसकी भी कुछ फिगर्स मेरे पास हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं। गन्ने की उपज १९५३-५४ में, उत्तर प्रदेश में १६ मन बढ़ी है, १९५४-५५ में १८.८५, १९५५-५६ में १५.४० और १९५६-५७ में १५.९२ है। बम्बई में १९५३-५४ में ४२.१ और १९५६-५७ में ४३.३०। पश्चिमी बंगाल में १९५३-५४ में १९.८, और १९५६-५७ में २०.४७। मैसूर में, मैं केवल १९५६-५७ की फिगर्स लेता हूं-- वह है, ३०.०। आन्ध्र में १९५६-५७ में ३२.४९। मद्रास में १९५६-५७ में ३९.४४। तो यह फिगर्स प्रति एकड़ गन्ने की उपज की हैं जिनको देखने से पता लगेगा कि हमारा उत्तर प्रदेश उत्पादन के मामले में सब से पीछे है। यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उसमें कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है। इस सरकार ने जो कुछ भी ध्यान दिया वह इस बात के लिये दिया है कि जहां मिल एरिया है वहां उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की है। जहां पर खांडसारी उद्योग अधिक मात्रा में है और जहां पर गुड़ के उद्योग धंधे हैं वहां की उन्नति के लिये सरकार ने एक पैसा भी नहीं रखा है। वहां पर गन्ने के विकास के लिये कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आप बजट को देखें तो उससे पता चलेगा कि किस-किस मद के लिये सरकार ने कितना रुपया रखा है।

(लालबत्ती जलने पर) मुझे ५ मिनट और दिये जायं, उपाध्यक्ष महोदय। तो मैं यह कह रहा था कि इस बजट में गेहूं के लिये और धान के लिये ४७,७०० रुपया है, तम्बाकू के लिये १५,७०० है, आलू के लिये ५३,१०० है और कपास के लिये ७८,३०० है। किन्तु उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योग खांडसारी के विकास के लिये एक पैसा भी नहीं है। यही नहीं, सरकार की जो नीति रही है विकास के सम्बन्ध में, वह केवल उसी क्षेत्र में रही है जहां उद्योगों के विकास की आवश्यकता है और सरकार को उद्योगपति मजबूर करते हैं उस क्षेत्र में विकास करने के लिये। गन्ने के क्षेत्र में विकास हो रहा है, लेकिन कहां? विकास वहां हो रहा है जहां पर मिल मालिक हैं, जो मिल एरिया है। जहां पर काश्तकार अपनी मेहनत से, अपने योगदान से कुछ पैदा करना चाहता है वहां पर हमारी सरकार दुर्लक्ष्य करती है, वहां पर सरकार कोई धन लगाने के लिये तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हम यह अनुभव करते हैं कि इस सरकार ने जितनी हानि कृषकों को पहुंचाई है शायद ही कोई सरकार ऐसा करेगी।

इसके अलावा श्रीमन्, नयी जमीन तोड़ने की बात कही गयी। इस सम्बन्ध में मैं प्राक्कलन समिति की, जो यह सन् १९५७-५८ की पंचम रिपोर्ट है उसको पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है: "१९५७-५८ में योजना का लक्ष्य कम से कम ५०० एकड़ भूमि का कृषिकरण तथा भूमि अभिन्यास करना था। परन्तु व्यय के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भूमि अभिन्यास पर केवल ५,५०८ रुपया व्यय किया गया जिसके मानी यह हैं कि मुश्किल से १०० एकड़ भूमि का अभिन्यास हो सका।" इससे स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य क्या था और कितनी हमने प्रगति की। हमारा कृषि मंत्रालय दुर्लक्ष्य करता है, कृषकों को धोखा भी देता है।

अन्त में जो हमारे माननीय मंत्री जी ने एक बात कही वह यह थी कि हमारी जो नीतियां हैं भूमि सुधार की उनसे किसान को शंका होती चली जाती है और पैसा लगाने में वह शंका करता है। इसमें एक बात तो यह स्पष्ट होती है कि उन नीतियों को अपनाने की जरूरत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज प्रदेश उस स्थिति में नहीं है। मैं मानता अगर वह कहते कि बड़े किसानों को उससे नुकसान है इसलिए वह पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सारे के सारे किसान पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हैं, इसीलिए आप देखिए कि कृषि का उत्पादन दिन पर दिन गिरता जा रहा है।

जहां तक सीलिंग का सवाल है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जहां तक सहकारी खेती का सवाल है, आज रूस में, अमेरिका में, अन्यान्य देशों में अधिक भूमि जोत कर उत्पादन बढ़ा है, लेकिन प्रति एकड़ नहीं बढ़ा है, बल्कि रूस का जो प्रति एकड़ क्लेरिक उत्पादन है वह बहुत ही कम है। जहां तक हमारे कृषक का सवाल है उसका प्रतिवर्ष ५०० रुपये का नेट आउटपुट है और जहां तक पर एकड़ क्लैरिक वैल्यू जो उत्पादित होती है उसका जिक्र है अमेरिका में ४,७०० पर एकड़, वेस्ट यूरोप में ७,५००, यू० एस० एस० आर० में २३,०० प्रति एकड़। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने अधिक भूमि जोत कर उत्पादन को बढ़ाया है जो कि कैनेडा से दूना है। यू० एस० एस० आर० में साढ़े तीन लाख नौजवान नागरिकों ने बंजर भूमि को तोड़ा और मेहनत करके खेती की, उससे पर हेड एक टन की पैदावार बढ़ी और यहां पर हमारी सरकार सहकारी खेती का प्रचार करती है। यहां पर यह सवाल नहीं है कि अधिक भूमि जोत में लायी जाय, सवाल यह है कि २ एकड़ या ४ एकड़ का काश्तकार अपने आप उत्पन्न करके अधिक पैदावार करे या उससे कुछ अधिक पैदा करे जो हमारी सरकार की नीति है कि सब की सामूहिक खेती की जाय। मैं इस सम्बन्ध में श्री श्रीमन्नारायण के शब्द रखना चाहता हूं, "यह कहना कि मशीनों द्वारा बड़े-बड़े फार्मों में होने वाली खेती की प्रति एकड़ उपज छोटे फार्म की अपेक्षा अधिक होती है, भ्रामक है। अमेरिका और आस्ट्रेलिया की तुलना में जापान के छोटे फार्मों में दुगनी और डेनमार्क और स्विटजरलैण्ड के फार्मों में चौगुनी उपज होते देखी गयी है। बड़े फार्मों में प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ता है, प्रति एकड़ नहीं। भारत में सहकारी खेती का विकास करने के लिए काफी संख्या में ईमानदार और योग्य लोगों को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए।" इससे सिद्ध होता है कि यदि आप यह समझिये कि अगर सामूहिक खेती हुई तो फार्म बड़ा होगा, उसकी व्यवस्था एक आदमी के हाथ में होगी, वह लेबर को सुव्यवस्थित करके लगायेगा और चारों बातें अगर हम चाहें तो अप्राप्य होंगी। इससे आवश्यकता यह है कि ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि मजदूरों को रोजी मिले, अधिक उत्पादन हो और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोकतंत्र में सबको प्रोत्साहन मिल सके। सरकार की जो कोआपरेटिव फार्मिंग की नीति है, नयी नीति का जो सरकार प्रचार कर रही है इससे कृषक के दिमाग में एक शंका उत्पन्न होती है। हो सकता है कि बड़े कृषक, दो-चार ने उसमें कुछ बचा लिया हो, लेकिन आज किसी छोटे काश्तकार ने यह नहीं कहा कि इससे उत्पादन हमारा बढ़ जायगा। हर एक किसान यह शंका करता है कि कितना प्रतिबन्ध हम पर लगाया गया और आज जितनी पैदावार हम करते हैं उससे वह और कम हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे काश्तकर के सामने जो छोटी-छोटी समस्याएं हैं उनकी ओर दुर्लक्ष्य करके हमारा रुपया ऐसे प्रचारों की ओर खर्च किया जाता है जिससे बजाय फायदे के हानि अधिक होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन बढ़ाने की बात कही गयी है, लेकिन बढ़ता नहीं है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार ने प्रचार के लिए भी उसमें रखा है कि अगर इतने लाख रुपये का प्रचार करेंगे तो उत्पादन बढ़ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष––आपके भाषण का समय समाप्त हो गया।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद––मैंने जितने भी आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत किये हैं सब जगह उत्पादन घटता चला गया है। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार का एक प्रचार विभाग है, बहुत अच्छा है, उसका प्रचार। लेकिन अगर खेती की फैसिलिटीज बढ़ रही हों तो जरूर यह सम्भव हो सकता है कि जो बचे-खुचे काश्तकार खेती में हैं उनके लिये ऐसा वातावरण पैदा हो जाय कि वह खेती छोड़कर न जायं, लेकिन मैं यह नहीं समझता कि पोस्टरों और हैंडबिलों से खेती किस तरह बढ़ सकती है। अगर कागजों पर ही खेती की पैदावार बढ़ाने से वह बढ़ जाती हो तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रदेश में भी खेती बढ़ जायगी।

श्री ब्रजभूषण शरण (जिला देहरादून)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे इस कृषि अनुदान और कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में भाषण देने में एक बड़ी कठिनाई इसी समय इसलिये उत्पन्न होने लगी है कि जिस समय मैं सदन में आया था तो यह विचार करके आया था कि कृषि अनुदान के विरोध में कुछ बोलूंगा परन्तु कृषि मन्त्री जी के भाषण और उनके तर्क और माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी के कटौती के प्रस्ताव में दिये गये तर्क, दोनों का मुकाबला करने के बाद अपनी राय तब्दील करने के लिये मैं मजबूर हो गया। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करने के हक में जो दलीलें दी हैं और जैसा कि उन्होंने अन्त में कहा कि किस तरह से प्रचार करने से और पैम्फलेट या हैंडबिल निकाल देने से कृषि बढ़ जायगी, उनकी समझ में नहीं आया। उसी तरह से मेरी समझ में भी यह नहीं आया कि उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव के भाषण में जो तर्क दिये उनसे खेती किस तरह से बढ़ जायगी। उन्होंने यह कहा कि पहले गवर्नर साहब के एड्रेस में यह आश्वासन था कि इर्रीगेशन का इन्तजाम किया जायगा और फिर कुछ दूसरे भाषणों का उन्होंने रेफ्रेंस दिया और उसमें यह कहा कि सामान्य परिस्थितियों में इर्रीगेशन की छोटी योजनायें यदि पूरी हो जायं तो सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के टार्गेट पूरे हो जायंगे।

(इस समय १ बजकर २३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री गेंदा सिंह पीठासीन हुये।)

अधिष्ठाता महोदय, मैं आदरपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों बातों में कोई कंट्राडिक्शन मुझको नजर नहीं आया। यह ठीक है कि अगर इर्रीगेशन के साधन बढ़ जायंगे तो उत्पादन अवश्य बढ़ेगा और यह भी सही है कि छोटी इर्रीगेशन की योजनायें अगर पूरी हो जायंगी और अगर कोई दूसरी विपत्ति नहीं आयेगी तो हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे, तो इसमें ऐसा विरोधाभास क्या है जिसके कारण से उनको ऐसा रेफ्रेन्स देने की जरूरत पड़ी। कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक तर्क तो यह दिया गया कि मन्त्री जी ने यह कहा कि हमारे पास साधनों की कमी है, इर्रीगेशन जितनी होनी चाहिये वह नहीं कर सके, क्रेडिट फैसिलिटीज जितनी देनी चाहिये उतनी नहीं दे सके, तो इन चीजों से उनको सान्त्वना नहीं हुई। मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करता हूं कि माननीय कृषि मन्त्री जी अपने बजट को पेश करते हुये इसके अलावा और क्या कह सकते थे कि यह सही है कि जितनी इर्रीगेशन फैसिलिटीज इस कृषि प्रधान प्रदेश में होनी चाहिये उतनी हमारे पास नहीं हैं परन्तु उन इर्रीगेशन की फैसिलिटीज को, उन सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये कोई जादू भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता जिससे वह एकदम बढ़ जायं, बल्कि जितने हमारे साधन हैं, जितना रुपया है, जितना टेक्निकल नो-हाऊ है, जितना पानी उपलब्ध है उसी के हिसाब से साधन बढ़ाये जायंगे और उसमें समय लगेगा।

जहां तक कोआपरेटिव क्रेडिट या दूसरी तरह से तकावी के तौर पर क्रेडिट देने का सम्बन्ध है, मंत्री जी ने बताया कि अगर पूरे प्रदेश की जरूरत को मद्देनजर रखते हुये उधार की सुविधायें किसान को दी जायं तो ५ अरब रुपये की जरूरत होगी, तो यह रुपया कहां से आयेगा? आज २५–३० करोड़ रुपया उपलब्ध है। इसके अलावा और रुपया कहां से लाया जाय? लेकिन मन्त्री जी ने कहा और आश्वासन दिया कि प्रदेश को कुछ छोटे-छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाय और कहीं-कहीं परीक्षण करके देखा जाय कि वहां पूरे काश्तकारों को क्रेडिट फैसिलिटीज देने के बाद और दूसरी सुविधायें उपलब्ध करने के बाद कृषि के उत्पादन में क्या फर्क पड़ता है, एक तर्क माननीय टम्बेश्वरप्रसाद ने यह दिया कि मूल्य बढ़ोत्तरी को यदि देखा जाय तो जो आंकड़े माननीय कृषि मंत्री जी ने दिये हैं वह ठीक नहीं है क्योंकि किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं है। अगर दूसरी चीजों के बढ़े हुये मूल्यों को देखा जाय तब तो कहा जा सकता है कि किसानों को अपेक्षाकृत लाभ नहीं हुआ है लेकिन जैसा कि कृषि मंत्री जी ने कहा वह ठीक ही है कि किसानों की आय में तो बढ़ोत्तरी हुई ही है, बचत कम रह गयी हो यह दूसरी चीज है। इस वक्त कृषि अनुदान पर विचार हो रहा है इसलिये कृषि से किसानों को रुपये-आने-पायी की, कीमत में लाभ ही हुआ है।

यह बात कही गयी कि मिल एरिया में शुगरकेन में तरक्की हुई है, जूट तथा आयल सीड्स में भी तरक्की हुई है। इस प्रकार से टम्बेश्वर प्रसाद जी ने ७५ फीसदी बात माननीय कृषि मंत्री जी की मान ली। माननीय कृषि मंत्री जी ने जो तर्क दिया है कि जो अच्छी जमीन है वह इस तरफ चली गयी है और खराब जमीन में खाद्यान्न पैदा किया जाता है, वह बात भी साबित हो गयी।

एक बात यह कही गयी कि भूमि सुधार की जो बात कृषि मंत्री जी ने कही, उनके द्वारा ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि किसानों में अनिश्चितता है। माननीय सदस्य ने इसी बात पर ज्यादा जोर दिया और कहा कि यही कारण है कि कृषि का उत्पादन घट रहा है। उन्होंने सिवाय सहकारी खेती के कंसालिडेशन आदि की बाबत कुछ नहीं कहा, लैंड सीलिंग की बाबत कुछ नहीं कहा। मैं समझता हूं, सहकारी खेती के आधार पर उत्पादन घटा नहीं है, अभी कोई भी खेती पर उसका असर नहीं पड़ा है क्योंकि सरकार ने किसानों को इतना विश्वास दिला दिया है कि जमीन नहीं छीनी जायगी। इसका दूसरा जो कारण है कि किसान अपनी जमीन में ज्यादा पैसा लगाने को तैयार नहीं है वह यह है कि उसको डर है कि कहीं कंसालीडेशन में उसकी भूमि बदल न जाय, परन्तु यह कहना भी मुश्किल होगा कि कंसालीडेशन आफ होल्डिंग्स का बेसिक तरीका खराब है या काश्तकारों को इससे फायदा नहीं होगा। इसके बारे में माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा।

मिल एरिया और खांडसारी एरिया का जिक्र माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी ने किया। उसके संबंध में मेरे विचार यह हैं कि मिल एरिया में इर्रीगेशन के लिये ट्यूबवेल्स लगाये जाते हैं, कुंए खोदे जाते हैं या रहट लगायी जाती हैं, उनके लिये जिस मिल मालिक के क्षेत्र में वह भाग पड़ता हो उसको मजबूर किया जाय कि जब वह इतना बड़ा मुनाफा कमाता है तो अपने जोन के काश्तकार को उसे मदद करनी चाहिये। अगर वह वैसे रुपया नहीं दे सकता तो कम से कम कर्ज के तौर पर उनको रुपया दे और जब उसका गन्ना मिल पर आये उसमें से उस रुपये को काट ले।

इसके अलावा एक सुझाव और है, वह यह कि रोज-रोज गन्ने के क्षेत्र में अदला-बदली नहीं होनी चाहिये। उससे काश्तकार को हानि पहुंचती है। इसमें किसानों को अनिश्चितता रहती है कि पूरा गन्ना मिल में जा पायेगा या नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गन्ने के मिल क्षेत्र में बांटने के लिये एक हाई पावर कमेटी मुकर्रर की जाय और उसके बारे में एक निश्चित नीति बना दी जाय कि कौन सी फैक्टरी का कौन सा क्षेत्र होगा। ऐसा नहीं होना चाहिये कि इस फैक्टरी के क्षेत्र से उस फैक्टरी के क्षेत्र में उसको कर दिया जाय। इससे किसानों का लाभ नहीं होता।

एक दो सुझाव मैं और देना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने हार्टिकल्चर की बाबत कुछ जिक्र किया है और बतलाया कि जितना उनका लक्ष्य था उससे वे कुछ आगे बढ़ गये हैं। माननीय कृषि मंत्री जी ने कुछ धन अबकी मर्तबा पहाड़ी जिलों में फल के वृक्ष लगाने के लिये रखा है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी की नोटिस में एक मुश्किल लाऊंगा कि हमारे जिले देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में भी फलदार वृक्ष लगाने की बहुत आवश्यकता है। अभी तक उस इलाके में अफीम की खेती होती थी जो गवर्नमेंट आफ इंडिया और इंटरनेशनल पालिसी की वजह से बन्द होने वाली है। वहां पर और कोई खेती हो ही नहीं सकती, केवल जंगल झाड़ सब भरे पड़े हुए हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वहां पर फलदार वृक्ष लगाने के लिये जंगल झाड़ी साफ करने में सरकारी विभाग की तरफ से कोई अड़चन न लगायी जाय। इन सुझावों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---अधिष्ठाता महोदय, आज जो अनुदान चल रहा है, उस पर हुए कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। पहली बात तो यह है कि आज माननीय मंत्री जी ने भी मान लिया है और इस किताब के आंकड़ों से भी साबित है कि जमीन में पैदावार कम हुई; सन् ५६-५७ के मुकाबले ५७-५८ में कम हुई और सन् ५७-५८ के मुकाबले ५८-५९ में कम हुई।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी ने कहा कि सन् ५८-५९ में पैदावार बढ़ी।

श्री बालकराम---अगर मंत्री जी ने ऐसा कहा है तो वह गलत है जो कि सरकार की इस किताब से ही साबित होता है। यह किताब मेरी नहीं है बल्कि सरकारी आंकड़े उसी के द्वारा बनाये गये हैं जो इस किताब में दिये हुये हैं। इस किताब से साबित होता है कि गेहूं, जौ, मक्का, अरहर, मूंगफली, गन्ना, इन तामाम चीजों की पैदावार में कमी हुई है सन् ५६-५७ के मुकाबले में ५८-५९ में। एक चीज माननीय मंत्री जी ने जरूर बतलायी कि गेहूं की पैदावार ५८-५९ में बढ़ गयी। लेकिन उसकी उपज बढ़ने में सरकार की कोई कार्यवाही तो है नहीं, पानी ज्यादा बरसा इसलिये पैदावार बढ़ गयी। अगर सरकार की कोई कार्यवाही होती तो सब चीजों की पैदावार ५८-५९ में बढ़नी चाहिये थी। इस बात का कई बार एलान किया जा चुका है कि हम फलां साल तक अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे लेकिन आज तक आत्मनिर्भर नहीं हो सके। यह इस बात को साबित करता है कि पैदावार कम होती है। पैदावार कम क्यों होती है, इसकी कई वजहें हैं। एक वजह तो यह है, जहां तक मैं समझा हूं, कि इस खेती के मुहकमे के जितने भी बड़े-बड़े आफिसर हैं, गांव सभा के मंत्री से लेकर डाइरेक्टर तक, वे बड़े-बड़े आदमियों के बच्चे हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि खेत में किस वक्त बीज बोना चाहिये, किस वक्त पानी की जरूरत है, किस वक्त खाद की जरूरत है। वे तो बस मार्च, मई, जून यही याद रखते हैं। उनको यह नहीं मालूम कि नहरों को पानी कब देना चाहिये। इसका जिन्दा सबूत मैं अपने जिले का ही देता हूं। मेरे जिले में एक बड़े आफिसर इत्तिफाक से दौरे पर गये तो वे मुझे मिल गये। अगहन का महीना था जबकि गेहूं और जौ के पौधे एक एक बालिश्त के हो गये थे। मैंने मजाक में ही उनसे पूछ लिया कि ये पेड़ गेहूं के हैं या जौ के हैं, तो वे कहने लगे कि अभी यह नहीं बतलाया जा सकता कि ये पेड़ गेहूं के हैं या जौ के हैं, जब बाली निकले तो पता लगे। तो जो आदमी यहां तक नहीं बतला सकता कि ये पौधे जौ के हैं या गेहूं के, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं किसानों को सिखलाने के लिये कि तुम इस तरह से खेती करो, इस तरह से यह करो, वह करो।

दूसरी बात यह है कि पैदावार बढ़ाने के लिये लोगों को इनाम देने का भी एलान किया जाता है और इनाम दिया जाता है। होता यह है कि अगर कोई कांग्रेसी है तब तो उसे इनाम दे दिया जाता है. . . .

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)---बिलकुल गलत है।

श्री बालकराम---मैं सबूत देता हूं, अगर गलत है तो इसकी जांच करा लें। एलान किया जाता है कि जो सबसे ज्यादा पैदा करेगा उसे रिवाल्वर का लाइसेंस दिया जायगा। चौधरी रणवीर सिंह, कानपुर सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री तीन मर्तबा से इनाम पा रहे हैं, इस साल भी उन्होंने इनाम पाया है लेकिन उनको रिवाल्वर का लाइसेंस नहीं दिया गया। सिर्फ इसलिये रिवाल्वर का लाइसेंस नहीं दिया गया कि वह सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर थे और झांसी के एक दूसरे कांग्रेसी सदस्य को बन्दूक का लाइसेंस दिया गया। इसकी जांच कर ली जाय तब कहा जाय कि यह गलत है या सही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब मैं बताऊंगा कि पैदावार कम क्यों होती है। पैदावार कम इसलिये होती है कि बीज, जो गल्ला गोदामों से दिया जाता है, वह उस वक्त दिया जाता है जब बोनी का समय निकल जाता है। वह उस वक्त उसे अच्छा बुरा जैसा भी जल्दी में मिलता है, उसे तो खेत बोना होता है जो भी मिलता है उसी को खपा दिया जाता है, नतीजा होता है कि वह जमता भी नहीं अगर जमता है तो कमजोर रह जाता है। दूसरे जो रासायनिक खाद दी जाती है उसका असर यह होता है कि जिस साल वह खाद दी जाती है उस साल तो पैदावार अच्छी होती है बशर्ते कि पानी वक्त से काफी मिले लेकिन आगे के सालों में फिर पैदावार अच्छी नहीं होती। पानी वक्त पर नहीं मिलता तो जो कुछ फसल होती भी है वह स्वाहा हो जाती है। मैंने प्रश्न भी किया था कि नहरों का हाल यह है कि शारदा केनाल, शाहजहांपुर ब्रान्च की झालें २–२ इंच नीची कर दी गई हैं जिसके कारण गूलों में पानी नहीं पहुंच पाता और कुलावे खाली रह जाते हैं। और पानी के यह रासायनिक खाद और नुकसान करती है।

तीसरी जरूरी बात बीज और पानी के बाद यह है कि काश्तकार की तन्दुरुस्ती बढ़िया होनी चाहिये और उसके जानवर बढ़िया होने चाहिये। लेकिन सरकार की कृपा से आज किसान पर इतने अधिक टैक्स लदे हैं कि वह टैक्स के बोझ से इतना परेशान रहता है कि उसकी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं रहती और न वह अपने जानवरों को ही ठीक से रख सकता है। तो फिर पैदावार किस तरह से तगड़ी हो। अच्छे बैलों का अर्थ यह है कि जिस समय उसे ४ बीघा जोतने की जरूरत हो तो वह ४ बीघा जोते और जब ८ बीघा की जरूरत हो तो वह उन्हीं से ८ बीघा जमीन जोत ले। वह बैल मुश्किल से दिन भर में २ बीघा जोत पाते होंगे। फैजाबाद में मैंने देखा है कि दोनों वक्त जोतने के बाद भी बैल ३ बीघे कच्चे से अधिक नहीं जोत पाते जब कि वह सुबह से दोपहर तक और कुछ आराम करने के बाद शाम तक काम करते हैं। जिस समय जरूरत हो उसी समय जुताई होनी चाहिए और उसके लिये अच्छे तगड़े बैल किसान के पास होने चाहिये ताकि पैदावार बढ़े। केवल कहने से ही पैदावार नहीं बढ़ेगी। आबपाशी के सम्बन्ध में मैंने बताया कि नहरों में पानी बहुत नीचे चलता है, सैकड़ों मील नहरें बन गई लेकिन केवल नहरें बनने से लाभ नहीं होगा, जब तक कुलावों पर पानी मुकम्मल तरीके से नहीं मिलता तब तक उन नहरों का लाभ किसानों को नहीं पहुंच सकता।

इसी तरह से नलकूप बने हैं लेकिन बिजली नहीं मिलती और बन्द पड़े हैं। छोटे-छोटे कुओं के लिये तकावी पर रुपया मिलता है लेकिन दो दो साल लग जाते हैं, तहसील से उनके फार्म तक बाबू लोग नहीं देते। दो दो तीन-तीन बार उनके लिये दौड़ते हैं तब कहीं फर्म मिलते हैं। फिर जब दरखावास्त देते हैं तो पहले लेखपाल को दस रुपया न्योछावर न हो तब तक इंतखाब नहीं मिलता और जब इंतखाब लेकर दरख्वास्त तहसीलदार और बी० डी० ओ० और न जाने किस-किस के पास जाती है उसमें बरसों लग जाते हैं और दो दो साल बाद रुपया मिलता है। इत्तफाक से मेरी बदकिस्मती है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी अभी चले गये, वर्ना मैं उन्हें बताता कि एक पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई। दूसरी का भी एक साल बाकी है लेकिन गल्ले की समस्या आज भी वैसी ही है। पिछली बार पंडित जवाहरलाल जी ने जो हमारे प्रधान मंत्री हैं, कहा था कि जब तक देश में गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ती है हमारी कोई भी योजना कामयाब नहीं हो सकती। इतना रुपया खर्च हुआ लेकिन पैदावार नहीं बढ़ी। इसकी वजह यह है कि जितने भी बड़े-बड़े बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० वगैरह तमाम अफसर हैं, वे मोटर पर बैठकर किसी बड़े आदमी के घर जाते हैं। गये किसी बड़े आदमी के यहां, चाय-पानी हुई। मैं अपने यहां की बात बताऊं। २० जून, ५९ को बी० डी० ओ० मेरे यहां आये। मैं मौजूद था। वह दिन भर सभापति के यहां पड़े रहे। एक काश्तकार को भी नहीं बताया कि हम किस लिये आये हैं और क्या करना है, कैसे काम हो।

[श्री बालक राम]

मंत्री जी और ग्रामसेवक टोप, सूट-बूट पहन कर जाते हैं तो उनसे गांव का किसान वैसे ही डरता है।

मंत्री जी ने कहा कि १३७ करोड़ रुपये की पैदावार बढ़ी। उसमें मंत्री जी की क्या कार्यवाही थी? गल्ले का भाव बढ़ गया तो रुपया बढ़ गया। पैदावार थोड़े ही बढ़ गई। पैदावार बढ़ाने के सुझाव भी मैं दे दूं। पिछले साल जब मीटिंग हुई थी जिसके सभापति मुख्य मंत्री जी थे, तब मैंने कहा था कि खेती की पैदावार बढ़ाना चाहते हो तो—मैं जानता हूं कि कैसे बढ़ सकती है—लाखों करोड़ों रुपया जो रासायनिक खाद में लगता है उसको बचाओ और जो सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द को खेत में खाद के लिये गला देते हैं उनकी आबपाशी माफ कर दी जाय। पैदावार सवाई हो सकती है। नहरों की झालें ऐसी कर दी जायं कि कुलाबों को पानी बराबर देती रहें। गन्ने के लिये पानी की जब जरूरत होती है तब तो मिलता नहीं है और नहर आपकी तब चलती है जबकि गन्ना सूख जाता है। सरकार का हुक्म है कि १५ जनवरी तक पलेवा हो जाना चाहिए। लेकिन नहर छूटती है आखिरी जनवरी में। तो पैदावार कैसे बढ़ जायेगी?

सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत दिन पहले कहा था कि अगर सरकार गल्ले की पैदावार को बढ़ाना चाहती है तो उसको चाहिए कि जिस सूरत में वह फौज की भरती करती है उसी सूरत से खेतिहर मजदूरों की पल्टन की भर्ती करे। जमीन हिन्दुस्तान में कम नहीं है। करोड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर गल्ला बहुत अच्छी तरह से पैदा हो सकता है। मैं जब यहां से शाहजहांपुर जाता हूं तो हरदोई जिले में एक बहुत बढ़िया खेत है जिसमें गांड़र खड़ी है। उसी के पास ऊसर जमीन है, उसमें सरकार तजुर्बा कर रही है। तो इस तरह से पैदावार बढ़ेगी? पैदावार बढ़ाने के साधन जुटाएंगे तब तो बढ़ेगी। खाली बातों से और बड़े बड़े आफिसरों से जो सूट-बूट वाले हों, उनसे पैदावार न बढ़ी है और न बढ़ेगी।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, खेती का विषय, यह सही बात है कि इंसान की जिन्दगी और मौत का विषय है और इसके बारे में जब हम विचार करने बैठे हैं तो अच्छे तरीके से इस बात को सोचें कि खेती की पैदावार हमको किस तरीके से बढ़ानी है। अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आंकड़ों के पचड़े में तो नहीं जाना चाहता मगर एक बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि खेती की पैदावार से ही जीवन का स्तर घटता और बढ़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज आदमी का जीवन स्तर बढ़ा है। तो फिर खेती की पैदावार हमारे प्रदेश में बढ़ी है। आप एक बात को देखें कि आदमी की पैदावार जहां दिन प्रति दिन बढ़ रही है वहां खाने का स्तर भी बढ़ रहा है। आज से ५, १० साल पहले का आदमी का खाने का और उसकी जिन्दगी का स्तर देखें, साथ ही रहने सहने, पहनने, मकान आदि का स्तर देखें तो पता चल जायगा कि तब से आज जो उसकी हैसियत में अन्तर आया है, यानी स्तर बढ़ा है, वह खाने के साथ ही बढ़ा है। आज देखें कि कितने आदमी भुना चना खा कर और सत्तू खा कर रहते हैं। बथुए का साग, मक्का की रोटी और मट्ठे के साथ गुजर करते हैं? आज गांव के आदमियों का स्तर बढ़ा है, ऊपर उठा है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। अगर कृषि की पैदावार नहीं बढ़ी है तो कहां से स्तर बढ़ गया? आदमियों की पैदावार कुछ न कुछ बढ़ती चली जाती है, खाद्य मंत्री ने बताया है कि २० प्रतिशत बढ़ी है, तो इतनी इन्सानी पैदावार बढ़ने के बाद अच्छा खाते हैं जब कि किसानों की हालत पहले ऐसी थी कि होली और दिवाली के त्योहारों पर उनके बच्चे तड़पते फिरा करते थे, पूड़ी तो बनना अलग रहा, शायद रोटी के लिये तवा नहीं चढ़ता था। लेकिन आज कोई दिन बाकी नहीं रहता जब गेहूं की रोटी किसान के घर न बनती हो। आज किसान के यहां गेहूं खाया जाता है और मैं जानता हूं जितने आंकड़े आपके सामने हैं इनसे मैं कतई इत्तफाक नहीं करता हूं। अगर हमारा जीवन स्तर बढ़ा है तो मानना पड़ेगा कि पैदावार ही इसकी खास जड़ है और वह बढ़ी है।

इसके साथ-साथ चीनी की पैदावार भी बढ़ी है। आज कोई घर ऐसा नहीं है जहां चाय में रोजाना चीनी न पड़ती हो। हमारा प्रदेश जिसका जीवन खेती पर निर्भर है उसे इस

तरह से कोस कर प्रदेश और देश के वातावरण को दूषित न किया जाय। आप जानते हैं कि यहां के भाषणों की आबोहवा सारे देश में फैलती है और जिस प्रकार से दूध में एक जहर की बूंद सारे दूध को जहर बना देती है उसी प्रकार यहां के भाषण देश के वातावरण को दूषित कर देते हैं और लोगों के उत्साह को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिये सोच समझ कर देश के हौसले को बढ़ायें, देश की पैदावार बढ़ाने के लिये लोगों को हौसला दीजिये।]

एक बात और कहना चाहता हूं। जहां तक देश की पैदावार की बात है, मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज फिर कहता हूं, हमारे प्रदेश के अन्दर एक बात लाजिमी तरीके से होनी चाहिये, जो पहले माननीय चरण सिंह जी ने कही थी, मैं उससे इत्तफाक करता हूं, कि खेती जो जोते, उसी की वह पैदावार भी होनी चाहिये। अगर उसके अन्दर कहीं खामी है, जोतने वाले कोई और हैं और खाने वाले दूसरे हैं तो खाने वाले आदमी खाली रहते हैं और इस कमी को दूर करना चाहिये और सरकार को देखना चाहिये कि कहां आदमी किस तरीके से खेती करते हैं और उनको उनकी पैदावार पूरी मिलती है या नहीं। इससे मेरा खयाल है कि पैदावार बढ़ेगी।

एक बात मैं और खासतौर से अर्ज करना चाहता हूं कि रबी और खरीफ, दो फसलें हमारे यहां होती हैं। सरकार तीसरी फसल के लिये तलाश करे। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देता हूं कि वह तीसरी फसल क्या हो सकती है। मेरा खयाल है कि हमारे सारे प्रदेश में अप्रैल में कुल जमीन खाली हो जाती है और जुलाई तक खाली रहती है। इन साढ़े तीन, चार महीने में कोई चीज जमीन में पैदा नहीं होती और वह खाली पड़ी रहती है। अगर इस दरमियान में हम कोई खाने की चीज पैदा कर सकते हैं तो अन्न की कमी को दूर करने के साथ-साथ हम अपने को मालदार भी बना सकते हैं। मेरी नाकिस राय में अप्रैल में मक्का बोया जा सकता है और मक्के की पैदावार अच्छी होती है। सिर्फ एक ही बात है कि पानी मिल जाय। मक्का जमीन के कस को भी नहीं, खींचता, यह मैं किसान होने के नाते बता देना चाहता हूं। मैंने स्वयं इसका प्रयोग किया है और यह बहुत अच्छा पैदा होता है। आप अप्रैल में मक्का बो सकते हैं और जून में काट सकते हैं।

पानी के लिये हमारी सरकार को यह सुझाव है कि अगर सरकार यह कह दे कि जो कोई इन दिनों में मक्का बोयेगा उसको हम फ्री पानी देंगे तो तमाम किसान इसको बोयेंगे और लाखों मन मक्का पैदा कर के दे देंगे। फ्री पानी देने के लिये यह बता दूं कि इन दिनों के अन्दर पौने दो करोड़ रुपया सरकार के पास पानी से आता है और सस्ते गल्ले की दूकानों से १० करोड़ रुपय सालाना का सरकार को नुकसान होता है। तो अगर वह पानी फ्री दे दे तो यह नुकसान बच जायगा। इसलिये सरकार घाटे में नहीं रहेगी बल्कि मुनाफे में ही रहेगी। ऐग्रीकल्चर के डायरेक्टर महोदय से भी मैंने बात की। वह इत्तफाक करते हैं और यह भी कहते हैं कि उन्होंने खुद इसका प्रयोग किया है और इसमें वह सफल हुये। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको वसीय दायरे में किया जाय और सारे प्रदेश के लिये वह कहें कि हम फ्री पानी देंगे।

अब सवाल उठता है कि उतना पानी कहां से आयेगा? इसके लिये मैं एक तजवीज और दूंगा। सरकार मेसोनरी वेल्स और हाथ से चलने वाले कुंओं को बनाने के लिये सहायता दे और नहर के पानी को फ्री दे। मेसोनरी वेल्स से ईख वगैरह की पैदावार कर सकते हैं। ऐसा करने से जो मैन पावर आपके प्रदेश में है वह काम में आ जायगी और ईख भी पैदा हो जायगी, मक्का भी पैदा हो जायगी और जमीन का कस भी नहीं खिचेगा और कोई फसल भी नहीं मारी जायगी। इसका एक साल प्रयोग करके देखिये और एक साल के बाद आपको मालूम होगा कि गल्ले की कमी दूर हो गयी।

जहां मैं इस बात को जोरदार तरीके से कहता हूं कि इसका प्रयोग किया जाय, वहां मैं यह भी कहता हूं कि इसको भी जोरदार तरीके से किया जाय कि जो आदमी खेती करता है

[श्री दीनदयालु शर्मा]

वही उसकी पैदावार का पूरे तरीके से मालिक हो। इससे प्रदेश में जो थोड़ी बहुत गल्ले की कमी है वह पूरी हो जायगी और किसान और ज्यादा मालदार हो जायगा।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--श्रद्धेय अधिष्ठाता महोदय, इस आदरणीय सदन के एक सम्मानित सदस्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने आज जिस काम के लिये अनुदान मांगा है, इसमें कोई शक नहीं कि यह प्रदेश और देश के लिये सब से महत्वपूर्ण काम है। इस काम के लिये जितना रुपया सरकार की तरफ से खर्च होना चाहिये वह नहीं होता है। हमें इस बात का दुख है कि इस काम के लिये जो रुपया सरकार खर्च करती है वह दिखावटी कामों में खर्च होता है और उस रुपये का सही इस्तेमाल नहीं होता है। इससे हमारे काश्तकारों को कोई फायदा नहीं पहुंच पाता है।

मान्यवर, आज हमारा मुल्क आजाद है और इसके लिये देश ने कुर्बानियां की हैं, बलिदान दिये हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश की जनता के लिये यह सब से बड़ा काम था कि देश की आजादी प्राप्त करे लेकिन उसकी रक्षा करना और देश को निर्माण करना, देश को ऊंचा उठाना, यह उससे भी बड़ा काम है। इसकी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति पर है, चाहे वह धर की तरफ बैठने वाला हो, चाहे उधर की तरफ बैठने वाला हो, सब के ऊपर जिम्मेदारी है कि हमारे देश का उत्थान हो।

मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश का उत्थान सही माने में तभी हो सकता है, जब हमारे गांवों का आर्थिक स्तर ऊंचा हो और गांव में रहने वाले किसानों का आर्थिक स्तर ऊंचा हो। लेकिन हमारी सरकार का ध्यान गरीबों की तरफ, गांवों की तरफ बहुत कम जाता है। मैं देखता हूं कि चुनाव के वक्त तो हमारी सरकार गांवों की तरफ अपना मुंह कर लेती है और गांवों में जाकर अपने भाषणों में किसान को राजा, अन्नदाता, आदि कहा जाता है। इसके बाद सरकार अपना मुंह दिल्ली तथा लखनऊ की ओर कर लेती है। इसके बाद उसको पता नहीं रहता कि हमारे राजा को पुलिस के डंडे से पीटा जा रहा है, राजा के लड़के भूखे पड़े रहते हैं और वह पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं, जहां न साया है और न बरसात से बचने का कोई इंतजाम है। लखनऊ और दिल्ली में तो अशोक होटल, विद्युत संग्रहालय आदि बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई जा रहीं हैं, यूनिवर्सिटीज की इमारतें तथा अस्पतालों की इमारतें बनाई जा रहीं है लेकिन गांवों की हालत ज्यों की त्यों है। वही झोपड़े वाले मकान हैं जिनमें बरसात का पानी टपकता है, मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार गांवों की तरफ ध्यान दे।

हमारे किसान सुखी तब होंगे जब अन्न की उपज बढ़ेगी। इसके लिये सरकार की तरफ से कागजों में तो बड़े-बड़े काम होते हैं। सरकार की तरफ से रबी आन्दोलन और खरीफ आन्दोलन चलाये जाते हैं। उनसे किसानों को क्या फायदा होता है? इनकी वास्तविकता को हम और सदन के सम्मानित सदस्य सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी उपज बढ़ाने के लिये चार चीजों की आवश्यकता है। पानी अच्छा, बीज अच्छा, खाद और अच्छे औजार। अगर किसान को ठीक समय पर पानी नहीं मिलेगा तो उसकी उपज नहीं बढ़ाई जा सकती है। उसकी उपज पानी के ऊपर आधारित है। सरकार के कागजों में बड़े-बड़े ट्यूबवेल्स बनाये जा रहे हैं, बड़े-बड़े बांध बनाये जा रहे लेकिन इनसे किसान को कितना फायदा पहुंचता है यह हम और आप सभी जानते हैं। अगर आज सरकार ट्यूबवेल्स तथा नहर नहीं बना सकती है तो कुंओं के लिये सरकार किसानों को रुपया दे। आज यह होता है कि बड़े-बड़े किसानों को तो रुपया मिल जाता है लेकिन छोटे किसान वैसे ही रह जाते हैं। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि छोटे-छोटे काश्तकारों को भी पैसा मिलना चाहिये जिससे वह भी कुएं बना सकें। दूसरे यह देखा गया है कि जो रुपया कुएं बनाने के लिये दिया जाता है उसको वह दूसरे कामों में खर्च कर देते हैं। इसमें सरकार को सख्ती

करनी चाहिये। आज जहां-जहां ट्यूबवेल्स और नहरे हैं उनमें सभी को मालूम है कि पतरौल और औपरेटर्स कितनी ज्यादती करते हैं। सरकार का ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

दूसरी बात है यह कि जहां नहरें हैं उन नहरों की सफाई नहीं होती है। वह नहरों के बम्बों में खांदी कर देते हैं इस वजह से काश्तकार आखिरी बम्बे तक पानी नहीं ले पाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि खांदी करने वालों की ओर और जो सफाई नहीं होती है उस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं छिबरामऊ के क्षेत्र का रहने वाला हूं। वहां के अतरौली, जफराबाद, बटेला, बिरामपुर, कुंवरपुर करनौली गांवों से इस संबंध में शिकायतें आयी हैं जिनको कि इस साल पानी नहीं मिला है।

दूसरे, अच्छे बीज की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। सरकार अच्छे बीज न देकर खराब बीज देती हैं। गोदामों में देखा गया है कि जो अच्छे बीज आते हैं उनको कर्मचारी बांट लेते हैं और उसमें खराब बीज डाल देते हैं। इसलिये काश्तकार को नुकसान होता है। दूसरे बीज उनको बड़ी देर से मिलता है। देर से मिलने की वजह से पैदावार नहीं होती है।

तीसरी चीज खाद की है। खाद की तरफ में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार अच्छी खाद का इन्तजाम करे।

चौथी बात औजार की है। मैं सरकार से इस बात की प्रार्थना कर रहा हूं कि सरकार अच्छे औजारों का भी प्रबन्ध करे। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो अनुदान रखा है, उसका समर्थन करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां पर जो भाषण हुए हैं उससे यह मालूम होता है कि सरकार ने कुछ किया नहीं और बहुत सी शिकायतें हैं। मैं इसको नहीं मानता। सरकार की तरफ से इस तरफ काफी काम किया गया है। यह जरूर है कि कुछ शिकायतें हैं जिन्हें कि दूर होना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। हम सब लोग, सरकार, जनता और सारी पार्टी के लोग यह चाहते हैं कि कृषि में उन्नति हो, हमारा पशुधन अधिक से अधिक हो। इसमें भी कोई दो रायें नहीं हैं।

जहां तक जनता का सवाल है, जनता ने भी इसमें काफी काम किया है और सरकार की तरफ से भी काफी काम किये गए हैं। हमारे यहां रबी और खरीफ अभियान चलाये गए। इसमें मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकारी कर्मचारियों ने पूरी दिलचस्पी से हिस्सा लिया और जनता को उससे प्रोत्साहन मिला और जनता ने भी पूरी कोशिश के साथ खरीफ और रबी के इन अभियानों में सहयोग देने का काम किया। अब यह कहना कि जनता रूढ़िवादी है, गलत साबित हो गया। रबी और खरीफ के अभियानों ने यह साफ कर दिया कि जनता प्रगतिशील है और किस तरह से प्रगतिशील तरीके से खेती हो, कैसे लाइन सोइंग हो, कैसे डिबलर से बोआई हो, किस तरह से जापानी पद्धति से धान की बोआई हो, इन सब बातों में वह पूरी दिलचस्पी ले रही है। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर जनता इतनी दिलचस्पी लेती है कि हमारी कृषि की पैदावार बढ़े वहां पर आज जनता की कुछ कठिनाइयां भी हैं जो कि बिना सरकार की मदद के दूर नहीं हो सकती हैं।

हमारे पूर्वी जिले, जिनके लिये हमेशा प्रश्न उठता रहता है, एक सिर दर्द सरकार के लिये भी बने रहते हैं। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कुछ, कभी कुछ, लगा ही रहता है। इससे ये जिले अभावग्रस्त जिले बन रहते हैं। वहां पर सिवाय कृषि के दूसरे कोई साधन

[श्री मुदितनाथ राय]

जीविका के नहीं हैं। सूखा वहां प्रतिवर्ष आता है लेकिन जिस अनुपात में इस सूखे का मुकाबला करना चाहिये उतने सिंचाई के साधन हमारे इन जिलों को नहीं दिये गये हैं। सन् ५२ में एक लहर आयी और उससे दो, तीन, चार, पांच सालों के अन्दर काफी नलकूप वहां बना दिये गये। बने, इसमें कोई शक नहीं है। वह बना दिये गये क्योंकि बनने थे। लेकिन उसके बाद जब किसान ने नलकूप का फायदा देखा, उसने देखा कि लाइन सोइंग हम करें तो हमें फायदा हो सकता है, तो अब वह जब इन सब चीजों को चाहता है तो उसके लिये उनको कोई साधन नहीं मिलता है। जब वह मांग करता है कि हमारे यहां नलकूप लगाये जायं तो अब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कहीं किसी जिले में एक नलकूप, किसी में दो नलकूप—इस तरह से होता है। तो मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अभावग्रस्त जिलों की समस्या स्थायी रूप से हल हो जाय तो आपको युद्ध स्तर पर पूर्वी जिले जो कि अभावग्रस्त जिले हैं, उनमें सिंचाई का पूरा-पूरा साधन उपलब्ध करना चाहिये। वहां पर नहर, नलकूप और कुओं का पूरा एक जाल बिछ जाना चाहिए ताकि सिंचाई की कमी से खेती को नुकसान न हो। किसान उन्नतिशील तरीके से खेती करने के लिये बिलकुल आज जाग गया है। इसके लिये उसको अब ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। केवल उसको साधन जुटा देना चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार की यह योजना है कि प्रत्येक विकास खंड में २५ एकड़ का एक एक फार्म बनाया जाय। वे जिले जहां पर जमीन काफी है उनमें कोई शिकायत नहीं हो सकती है। लकिन मैं तो ऐसे जिले से आता हूं जहां पर जब से किसानों से यह सुना है कि हर एक ब्लाक के स्तर पर २५ एकड़ का फार्म बनाया जायगा तो हमारे लिये मुसीबत हो गई है, क्योंकि किसान यह समझता है कि हमारा खेत चला जायगा और हम शरणार्थी हो जायंगे। जब उस विकास में खेत ही कोई नहीं रहेगा तो यह विकास किसके काम आयेगा? ये २५ एकड़ के फार्म, पूर्वी जिलों में जहां पर जमीन की बहुत बड़ी समस्या है, वहां अनिवार्य रूप से न खोले जायं। हां, जहां पर जनता राजी हो या अपने खेत देने के लिये लोग तैयार हो, वहां पर खोले जायं। भूमि जबरदस्ती एक्वायर न की जाय। आप यह कहेंगे कि आखिर अच्छे बीज का प्रदर्शन हम कैसे करेंगे, और जनता के अन्दर उस वातावरण को कैसे पैदा किया जायगा जिससे वे विकास के तरीके को जानें, मेरा निवेदन यह है कि हर एक विकास क्षेत्र में ऐसे लोग मिल जायंगे जो कि काफी प्रभावशाली हैं। आप उनको प्रोत्साहित करें या जो लोग चाहें कि हमारे क्षेत्र में अच्छा बीज बोया जाय वहां पर आप बीज का प्रदर्शन करें। इससे ब्लाक का भी फायदा होगा। २, ४ किसानों को इस प्रकार से राजी किया जा सकता है जिससे आपका काम हो सकता है। तो फिर इस २५ एकड़ के फार्म के लिये किसानों की जमीन लेना उचित नहीं मालूम होता है। आप किसी भी किसान को मनाकर अच्छे बीज का प्रदर्शन करा सकते हैं लेकिन २५ एकड़ का फार्म जबरदस्ती एक्वायर न किया जाय।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में मैंने अखबार में देखा। विधान परिषद् में कृषि मंत्री ने उत्तर दिया था कि हमारे प्रदेश में १२ फार्म ऐसे हैं, जहां पर घाटा हुआ है। वे फार्म झांसी, खीरी, हस्तिनापुर आदि १२ स्थानों में हैं जो कुल १९,४९५ एकड़ के हैं और उनमें प्रत्येक वर्ष घाटा हुआ है। तीन वर्ष के अन्दर १४,५७,८१८ रुपये की उनमें क्षति उठानी पड़ी है। ये फार्म सर्व साधन सम्पन्न हैं फिर भी सरकार को हानि उठानी पड़ी है। तो जब बड़े-बड़े सरकारी फार्मों की यह दशा है कि वहां पर काफी काम करने पर, काफी रुपया खर्च करने पर भी घाटा आता है तो फिर क्यों आप इस प्रकार से खींचतान करके किसानों के ऊपर यह बोझा डाल रहे

हैं ? मैं यह आंकड़े देकर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे कोई खास फायदा नहीं है। यह किसानों के लिये बहुत हितकर नहीं है। उनको इसमें जबरदस्ती न घसीटा जाय।

अधिष्ठाता महोदय, इस समय हर विकास क्षेत्र में फर्टीलाइजर का बहुत प्रयोग हो रहा है। मैं इस राय का हूं कि अभी तो किसान लेता है लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो लोगों को देखते हैं कि वह साल में तकावी पर फर्टीलाइजर तो लेते हैं लेकिन गोबर और कम्पोस्ट के खाद से वे हटते जाते हैं। इस विदेशी खाद का उनके ऊपर बहुत बोझ हो जाता है। अगर हमारे कृषि विभाग के लोग फर्टीलाइजर को बेचने के बजाय जनता को उत्साहित करें कि वह इस खाद को खरीदने के बजाय जो कूड़ा-करकट उनके दरवाजे पर पड़ा रहता है उसको सफाई करके एकठ्ठा करे और उससे कम्पोस्ट खाद तैयार करे, हर ब्लाक में जनता को देशी खाद तैयार करने के लिये उत्साहित किया जाय तो विदेशी खाद से यह हितकर होगा।

मेरा आजमगढ़ जिला ऐसा जिला है जिसके आधे हिस्से में बिलकुल ऊसर है। उत्तर में खाली दियारा है। उसमें कभी कभी नागा होता है, नहीं तो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। जूट की उसमें उपज बड़े मजे में हो सकती है। जहां पर पानी मिल जाता है वहां पर ऊसर में जौ की पैदावार हो सकती है। इन किसानों को पानी मिल जाय तो बहुत लाभ हो। मैंने दो, तीन साल पहले प्रश्न भी किया था कि घाघरा के दियारे में जूट की पैदावार की क्या व्यवस्था है ? तो उत्तर मिला था कि दोहरीघाट की तरफ कुछ व्यवस्था है और कुछ रौनापार इलाके में व्यवस्था है। रौनापार मेरी तहसील में है। ४, ५ साल पहले मैं जानता हूं कि एक जूट का केन्द्र वहां था, लेकिन वह तोड़ दिया गया। अभी मैंने सवाल पूछा था तो उत्तर मिला कि रौनापार में एक केन्द्र है, लेकिन उसकी प्रगति क्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आजमगढ़ में जो घाघरा का दियारा है उसमें अगर वे जूट की पैदावार बढ़ाने की ओर ध्यान दें तो किसानों का बड़ा हित होगा और जूट की यह जो बड़ी समस्या है और हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, हम पैदावार बढ़ा कर इस समस्या को भी हल कर सकेंगे। इसलिये सरकार इस ओर ध्यान दे।

अधिष्ठाता महोदय, पशुपालन के बारे में, हमारे यहां हर ब्लाक स्तर पर एक पशु-सेवा केन्द्र होता है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार हमारे पशुधन का ह्रास हो रहा है उस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि हमारा पशुधन बढ़े और उसकी रक्षा के लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये। एक विकास क्षेत्र में एक पशुसेवा केन्द्र मजे का है लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है। मेरी दरख्वास्त है कि कम से कम हर ५ मील में एक पशु सेवा केन्द्र होना चाहिये ताकि मवेशियों की बीमारी का इलाज कायदे से समय पर हो सके। इसके लिये मैं निवेदन करुंगा कि कस्बों में पशु सेवा केन्द्र के लिये जगह मिल जाती है। शहरों की तरह ही गांवों में और खासकर कस्बों में मकानों की बड़ी समस्या है। जहां तक मुझे मालूम है, कस्बों में पशुसेवा केन्द्र के किराये के लिये विभाग से ३ रुपया मिलता है। यदि कस्बों में यूं ही जगह मिल जाय तो ठीक, अन्यथा ३ की जगह अगर ५, ६ या कुछ और भी लगें तो उतने रुपये दे कर इन पशु सेवा केन्द्रों को खोलने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। यह मेरा अनुरोध है।

दूसरी बात यह कि मवेशियों को जो रेन्डर पेस्ट आदि बीमारियां होती हैं, उनके टीके का प्रबन्ध केन्द्रों पर होता है, लेकिन कुछ खतरनाक बीमारियां भी होती हैं, जैसे एन्थ्रेक्स लंगड़ी आदि, जो बिना मौसम के होती हैं। इन बीमारियों की दवाइयां भी, मैं समझता

[श्री मुक्तिनाथ राय]

हूं कि हर केन्द्र पर रहनी चाहिये। इसके अलावा मैंने अपने यहां सुना कि पागल कुत्ता या गोदड़ के काटने पर जो इंजेक्शन लगता है उसके लिये कह दिया जाता है कि अपना इंजेक्शन खरीद लाओ। अस्पतालों में उनकी व्यवस्था नहीं होती। मैं समझता हूं कि अगर विकास केन्द्रों पर इनकी व्यवस्था न हो तो कम से कम जिले के हेडक्वार्टर पर उसका इंतजाम जरूर होना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, एक चीज और है। जिले में हर जगह जिला पशुधन अधिकारी होते हैं। कहीं कहीं जिला पशुधन अधिकारी (जी) यानी गजटेड का भी एक पद होता है। सरकार ने उचित समझ कर ही उनकी नियुक्ति की होगी। उस बारे में मैं अधिक नहीं कहता। लेकिन मेरी राय यह है कि जो जिला पशुधन अधिकारी हैं वे ही काम देखने के लिये काफी हैं। जो जिला पशुधन अधिकारी का पद कायम किया गया है उसके लिये मेंटिनेन्स में काफी खर्चा होता होगा। अगर सरकार उचित समझे कि यह आवश्यक पद नहीं है तो सरकार उसे तोड़ दे और यह पैसा पशु सेवा केन्द्र खोलने और उनकी बीमारियों के लिये दवा इत्यादि में लगाये।

तो मेरा निवेदन यह है .....

श्री अधिष्ठाता--अब आपके भाषण का समय समाप्त हो गया।

***डाक्टर खमानीसिंह** (जिला मुरादाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव हमारी तरफ से प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मैंने कृषि मंत्री जी की बातों को सुना और अन्य उधर के सदस्यों की बातों को भी गौर से सुना और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि माननीय मंत्री जी एक थ्योरिटिकल आदमी हैं, न कि प्रैक्टिकल। यानी कृषि के संबंध में, काश्तकारी के संबंध में, उनका अनुभव बिलकुल नहीं है। उन्होंने एक बात कही कि काश्तकार जमीन का मालिक है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि काश्तकार किसी भी जमीन का मालिक नहीं है। जमीन का असली मालिक तो पटवारी होता है। अगर पटवारी खमानी सिंह की जमीन को माननीय गौतम जी के नाम कागज में दर्ज कर दे तो माननीय गौतम जी मुकदमा लड़कर उस जमीन पर अपना कब्जा कर सकते हैं। मैं भी एक अर्से से काश्तकार रहा हूं और अब भी काश्तकार ही हूं। मुझे इन सब बातों का अनुभव है और उसी के आधार पर मैं यह कह रहा हूं। आपने बन्दोबस्त किया, वहां पैमाइश करायी, तमाम गलतियां हुईं उसमें नतीजा यह हुआ कि सारा गांव अधिवासी हो गया। कोई दो डिस्मल का अधिवासी, कोई ४ डिस्मल का अधिवासी हो गया। उसके बाद आपने आज कोई ढाई हजार रुपया लगान का बकाया निकाल दिया। तो मैं यह अर्ज करूंगा, माननीय मंत्री जी से कि वे जो कहते हैं कि काश्तकार जमीन का मालिक है वह मालिक नहीं है। इसका उनको अच्छी तरह तजुर्बा नहीं है।

मान्यवर, आज उस किसान की वही हालत हो गयी है, जैसे कोई यंग औरत हो और उसका कोई रखवारा न हो और जो उसका जिस्म नोचना चाहे नोच ले, उसी प्रकार की हालत आज एक किसान की है। वह काश्तकार चारों तरफ से पटवारियों द्वारा, कानूनगो द्वारा, तहसीलदार द्वारा, सेक्रेटरियों द्वारा, बी० डी० ओ० द्वारा और इस तरह के जितने भी अधिकारी आपके हैं, उनके द्वारा उसका मास नोचा जाता है। उस किसान को उनसे कोई फायदा नहीं पहुंचता है। माननीय मंत्री जी ने कहा हम जुआर खाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जुआर हम लोग खाते हैं। हमारा परिवार जुआर खाता है। गौतम जी तो गेहूं खाते हैं, वे जुआर नहीं खाते हैं। हमारे काश्तकार जुआर खाते हैं। हम मजबूर हैं जुआर खाने के लिये। हमको गेहूं बेचना पड़ता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात माननीय मंत्री जी द्वारा यह कही गयी कि हमारा लक्ष्य उत्पादन का बढ़ा है। माननीय मंत्री जी के पास कलम है, कागज है, दावात है। उनके अधिकारियों के पास भी कलम, दावात और कागज है, वे जो चाहें लिख दें। उनको अधिकार है लिखने का। आप जो चाहें, जिस तरह से चाहें उसका प्रचार कर सकते हैं लेकिन असल बात यह है कि उत्पादन का लक्ष्य आपका पूरा नहीं हुआ है। उत्पादन गिरा ही है। इसके अलावा आज प्रजातंत्र का युग है। आप यह भी डरते हैं कि अगर काश्तकार आगे बढ़ गया, उसकी उन्नति हो गयी, तो हो सकता है कि वह हमसे आगे बढ़ जाय। आपने इसीलिये कोई प्रयत्न काश्तकार की उपज बढ़ाने का नहीं किया। महज किताबों में ही उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिये आपको इर्रीगेशन फेसिलिटीज देनी होंगी। आप बड़ी बड़ी नहर बनाते चले जा रहे हैं, बड़े-बड़े डैम बनाते चले जा रहे हैं इससे काश्तकार का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आज आप फर्टिलाइजर्स अमेरिका से मंगा रहे हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप किसान को बताइये कि किस तरह से खाद तैयार की जाती है। उसके पास तमाम गोबर है, गोबर की खाद सबसे अच्छी खाद समझी जाती है। उसके उपयोग के लिये क्या क्या तरीके हो सकते हैं, यह उनको मालूम होना चाहिये। उसके लिये उनके पास साधन होने चाहिये। लेकिन मजबूर है, उसके पास साधन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज उसकी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। एक तो सरकारी टैक्सेज और फिर आफिसर्स और मुलाजिम नेता लोग, हम लोग भी हैं सब सरकार के पीछे हैं। आप सोचिये कि आज आपका बजट पास हो रहा है तो मैं मिसाल के तौर पर बताऊं कि जब हम बच्चे थे तो ताश खेला करते थे। कभी हमारे फादर देख लेते थे तो कहते थे––जरा सुनने की बात है––अरे कम्बख्तों, जो तुम पानी बिलो रहे हो इससे क्या फायदा होगा? अगर मट्ठा बिलोओ तो कुछ निकल आयेगा। तो हम आज पानी बिलो रहे हैं। इसमें १० लाख रुपया काश्तकारों का खर्च होगा लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। यहां जो कुछ भी सजेशंस दिये जाते हैं उनसे नतीजा कुछ नहीं होने वाला है, जर्रा भर भी फायदा नहीं होगा और १० लाख रुपया उनका खर्च करके काश्तकारों को हम गरीब बनावेंगे। तो बजट आप बनायें लेकिन उसको थोड़े वक्त में पास करने की जरूरत है। प्रैक्टिकल काम से फायदा हो सकता है थ्योरिटिकल काम करने से कोई फायदा नहीं हो सकता। आप १०८ एम० एल० सी० के बजाय १००८ कर लीजिये, ४३१ एम० एल० एज० ४३१० बन जायं, कोई फायदा मुल्क को नहीं होगा। काम करने और किफायतशारी से फायदा होगा।

मान्यवर, मैं आपसे यह अर्ज करूं कि एक दफा हमारे नेगी जी ने फरमाया था कि हमारी साख बहुत बढ़ रही है इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है। उसके लिए हमसे कर्जा वसूल किया जाता है। तरीका उसका यह है कि गन्ने पर २ पैसे रुपये की कटौती कर दी और कहा गया कि सेविंग बैंक में जमा करो। अगर २५ मन किसी का गन्ना है तो ८ आने जमा करने के लिए या तो सोसाइटी में जाय या बैंक में। वह पैसा उससे छीन लिया जायगा या तो सरकार खा जायगी या उसके कर्मचारी खा जायंगे। इस तरह से जो कर्जा लेते हैं इसमें आपकी क्या साख है? अगर साख है तो लोगों से कहिये कि हमको कर्जा दीजिये, देखिये कि एक पैसा काश्तकारों से नहीं आयेगा, इस कदर वह आपसे नालां हैं। कोई काश्तकार आपको नहीं मिलेगा जो यह कहे कि आज हम आजाद हो गये हैं तो उससे हमको कोई आराम पहुंचा है। आज हमारी फाइनेंशयल हालत कमजोर होती जा रही है और हालत अच्छी हो तो लाजमी हम अच्छी फस्ल पैदा करेंगे। हमको मेहनत करने दीजिये, जो पैरासाइट्स आपने हमारे पीछे लगा दिये हैं उनको किल कीजिये, कम कीजिये और हमको तरक्की करने का मौका दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---डाक्टर साहब, कृषि मंत्री जी बैठे हैं, यह तो बताइये कि माली हालत कैसे अच्छी हो ?

डाक्टर खमानीसिंह---इस तरह से होगी कि हमारे ऊपर से पैरासाइट्स को हटा दीजिये, उनसे नजात दिलाइये और सबसे बड़ी चीज यह कि परमानेंट सेटिलमेंट कर दें, पटवारियों और कचहरियों से बचावें तो लाजमी उत्पादन बढ़ जायगा। कच्चा माल, गन्ना गेहूं का भाव मुकर्रर कीजिये ताकि हमको सही पैसा मिले और जो शुगर मिलें हैं उन सबको काश्तकारों के हाथ में दीजिये वह कोआपरेटिव तरीके से चलायें। तब हम जरूर तरक्की कर जायंगे और इतना पैदा करेंगे कि आपसे खाया नहीं जायगा, दूसरे मुल्कों को आप भेजेंगे। लेकिन आप चाहते नहीं हैं। आप चाहते हैं कि हम कमजोर और गरीब रहें और आपको भी रखें।

श्री अधिष्ठाता---अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इनके बोलने का समय समाप्त हुआ न कि इनका।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि सदन और आप यह समझने के लिए काफी बुद्धि रखते हैं।

श्री श्यामलाल यादव (जिला वाराणसी)---अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कृषि की जो महत्ता है वह सर्वस्वीकृत है। हमारे यहां जब दिल्ली में अमरीका के राष्ट्रपति आइजनहोवर आये थे तो उन्होंने सार्वजनिक स्वागत में यह बात कही थी कि दुनिया में आज हम चार चीजों के लिये लड़ रहे हैं जिसमें सर्वप्रथम फूड है। इसलिये जब कृषि का इतना महत्व है तो जब इसके सम्बन्ध में विवाद हो तो हमको उस पर बड़ी ही गम्भीरता के साथ विचार करना है कि किस प्रकार से खाद्य उत्पादन बढ़े और हमारी आवश्यकतायें पूरी हों। मंत्री जी ने जो आंकड़े पेश किये हैं उनसे जाहिर होता है कि वास्तव में हम दिनोंदिन प्रगति कर रहे हैं कृषि उत्पादन में, चाहे वह गेहूं हो या कोई दूसरा अनाज हो। हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इसमें कुछ बाधायें आ जाती हैं, जैसे पानी की कमी हो जाती है और दूसरे तरह की तमाम बातें हो जाती हैं। लेकिन अगर हम कुछ बातों पर विचार करें तो उससे जाहिर होता है कि पिछले कुछ सालों में उत्पादन बढ़ा है। आंकड़ों में न जाकर जो चीजें हमारे सामने हैं उन्हीं पर अगर हम दृष्टि डालें तो यह चीज जाहिर हो जाती है।

पिछले दिनों रसद मंत्री ने जब अनुदान पेश किया था तो उन्होंने बताया था कि चावल के भंडार के लिये जितनी उगाही करने की आवश्यकता थी वह पूरी हो गई। इससे जाहिर होता है कि हमारे यहां चावल की पैदावार बढ़ी है। वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा जो काम होता है उसमें भी पर्याप्त गल्ला स्टोर किया जा रहा है, इससे भी जाहिर है कि खाद्य का उत्पादन हुआ है और खाद्य के मूल्यों का जो बाजार है वह भी पिछले साल से ऐसा चल रहा है जिसमें यह नहीं कहा जा सकता कि खेती में इतनी कम पैदावार हुई जिससे भाव बढ़ गये या महंगी हो गई। हमारी विरोधी पार्टियों के सदस्य एक तरफ तो गांव में यह कहते हैं कि खाद्यान्न का मूल्य बहुत कम है और दूसरी तरफ शहरों में यह कहते हैं कि भाव महंगे हैं, इनको सस्ता होना चाहिये। तो यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं। सरकार को तो यह देखना पड़ता है कि ऐसा संतुलित भाव रहे जिससे सुगमता से वह शहर वालों को भी मिल सके और किसानों को अनाज का उचित मूल्य मिल सके। मैं समझता हूं कि गल्ले के मूल्यों में स्थिरता लाने में यह सरकार काफी सफल हुई है जिसका प्रमाण यह है कि बाजारों में गल्ले के मूल्य अधिक नहीं बढ़ पाये हैं और खाद्य उत्पादन की हमारी क्षमता भी बढ़ी है। अगर हम आंकड़ों को छोड़ दें और जिलों में जायं और राष्ट्रीय प्रसार क्षेत्रों में जो कार्य हो रहे हैं उनको देखें तो जाहिर होता है कि हमारी उत्पादन की क्षमता

बढ़ी है। इसको नापने के लिये मैं समझता हूं कि अगर कोई उसूल तय किया जाय तो ज्यादा सहूलियत होगी जैसे कि हमारे जो फर्टिलाइजर हैं उनका उपयोग कितना बढ़ा है। आप देखेंगे उर्वरक की ज्यादा खपत हमारे यहां होने लगी है। इससे अन्दाजा लगता है कि हमारे यहां के लोग अधिक पैदा करने की ओर अग्रसर हैं। उसी तरह से हरी खाद का उपयोग है जैसे ढेंचा, सनई वगैरह इनका उत्पादन बढ़ा है। किसी किसी जिले से ढेंचा वगैरह और इस तरह की नयी चीज की १०-१० हजार मन की मांग आती है। इससे जाहिर होता है कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये इन सब चीजों की मांग है और उसके लिये सरकार की तरफ से पूरा प्रयत्न भी हो रहा है।

मैं देखता हूं कि जहां ब्लाक्स हैं और जहां ब्लाक्स नहीं भी हैं वहां भी जो बीज भंडार हैं उनसे उन्नतिशील बीज दिया जाता है और उसकी संख्या निरन्तर बढ़ रही है। धान या गेहूं की बोवाई के जो नये तरीके हैं उनसे वह बोवाई बहुत अच्छी होती है। सन् १९५६ में यहां बख्शी के तालाब में कर्ण भाई आये थे और एक भाई जिनका छ कि दक्खिन में केन्द्र था वह भी आये थे। उन्होंने माननीय सदस्यों और दूसरों लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया था कि जापानी ढंग से कैसे खेती हो, खाद कैसी होनी चाहिये और आज हमारे प्रदेश में उसका सर्वत्र प्रचार हो रहा है।

मैंने अपने जिले में देखा है कि विरोधी पार्टियों के सदस्यों का सारा समय सरकार के विरोध में प्रदर्शन, आन्दोलन और अनशन में लगता है। उन्हें किसी ब्लाक या परिषद् की मीटिंग में जाने के लिये समय नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक बिस्वा धान भी पहले जापानी ढंग से नहीं बोया जाता था और आज वहां कई गांवों में शत-प्रतिशत जापानी ढंग से धान बोया जा रहा है। इसी प्रकार गेहूं वगैरह की बुवाई भी ब्लाक्स के जरिये आगे बढ़ रही है और आज प्लान्ट प्रोटेक्शन का काम भी अच्छा हो रहा है। कठिनाइयों के होने पर किसान, अधिकारियों के पास जाकर या ब्लाक में जाकर, उपलब्ध साधनों से फायदा उठाते हैं। सरकारी ऋण से भी लोग फायदा उठा रहे हैं और इस साल २० करोड़ रुपये तक यह ऋण दिया जाने वाला है। कृषि के नये साधनों का खादों और बीजों तथा यंत्रों का आज गांवों में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यह बहुत सरलता से और निस्संकोच कहा जा सकता है कि पैदावार बढ़ रही है। अगर कोई तथ्यों को न माने तो दूसरी बात है।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि योजना आयोग का एक मूल्यांकन संगठन बना था जिसने उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान की खेती का मूल्याकंन भी किया। उन्होंने यह पाया कि उत्तर प्रदेश में खेती में अधिक उन्नति हुई और उन्होंने यह आधार रखा कि रबी और खरीफ के आन्दोलनों की जानकारी किसानों को है या नहीं। लगभग २ साल पहले मैं स्वयं इन बातों के महत्व को नहीं जानता था। साल भर पहले यहां सूचना विभाग की ओर से एक गोष्ठी में ये बातें विशेष रूप से बताई गईं। आज ब्लाक्स में राष्ट्रीयप्रसार सेवा क्षेत्रों में और न्याय पंचायतों के इलाकों में गांव सभा के लोगों को बुलाकर, शिक्षा विभाग के अध्यापकों को बुलाकर समझाया जाता है। नये बीज और खाद दिये जा रहे हैं। लेकिन समय से खेती के लिये सिंचाई विभाग से पानी की व्यवस्था हो जाय तो अधिक उन्नति हो सकती है। भले ही १० वर्ष पहले अनुसंधानों का लाभ किसानों को न होता हो लेकिन आज उनका नतीजा उन तक पहुंचाया जा रहा है और वे उसे प्रयोग में ला रहे हैं।

कृषि विभाग में हरिजनों और पिछड़ी जातियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। कृषि विश्वविद्यालय और मथुरा के वेटरीनरी कालेज में उन्हें अधिक स्थान दिये जावें। एक ही इस विभाग में उच्च हरिजन कर्मचारी था जो बीज की गड़बड़ी के सिलसिले में निकाल दिया गया। शायद इतना ऊंचा अधिकारी भी जल्द न मिल सके। पशुपालन में नये नस्ल के जानवरों के लिये प्रबन्ध होना चाहिये और गांवों में अच्छे सांड़ों की संख्या बढ़ाई जाय।

[श्री श्यामलाल यादव]

हम तो यह समझते हैं कि सहकारी खेती के बिना कृषि की उन्नति होना कठिन है, भले ही विरोधी लोग कुछ भी कहें। जो लोग स्थिर स्वार्थ के हैं वे तो चाहेंगे ही कि सहकारी खेती न हो ताकि उनसे जमीन निकल कर उनके पास न चली जाय जिनके पास नहीं है या कम है। सहकारी खेती होने पर ही किसान को सरकारी सहायता का पूरा लाभ पहुंच सकता है। सामाजिक समानता लाने के लिये भी सहकारी खेती जरूरी है।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री टम्बरेश्वर प्रसाद जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, हमारे सहकारिता मंत्री जी ने आंकड़ों में हम लोगों को फंसाना चाहा लेकिन इन आंकड़ों में हम फंसने वाले नहीं हैं और इस से सन्तोष होने वाला नहीं है। मंत्री जी यह चाहते हैं कि इन आंकड़ों से हम समझ लें कि कि पैदावार ज्यादा हुई है और भविष्य में भी बढ़ने की आशा है। लेकिन जिस प्रकार की योजना चलाई जा रही है और जिस प्रकार पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है उसके आधार पर मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह सरकार पैदावार में बढ़ोत्तरी कर सकेगी। आज कोई कहता है कि जापानी ढंग से खेती करो, कोई सिखाता है कि चीनी ढंग से खेती करो, लेकिन जो लोग इस बात को बताने के लिये गांवों में भेजे जाते हैं उन्हें खुद ही पता नहीं है कि खेती होती कैसे है। श्रीमन्, आपने भी देखा होगा कि कितने मुकदमे न्याय पंचायतों में किसानों पर इसलिये चलाये गये कि इन्होंने हमारे बताये अनुसार धान की खेती नहीं की। मैं तो चाहता हूं कि उन किसानों को प्रोत्साहन दिया जाय न कि मुकदमा चलाया जाय तभी वे ठीक से खेती कर सकेंगे। उन्हें अच्छा खाद और बीज दिये जावें। खाद के कीमत की रेट को जरा घटाया जाय। तभी किसानों को आपकी बातों में विश्वास होगा।

मैं एक खास बात कहना चाहूंगा, जिसे सुनकर शायद सभी माननीय सदस्य हैरत में पड़ जावें कि इस तरह की बात यह करते हैं। वह यह है, जो भी हमारे पास सिंचाई के साधन इस समय हैं उनके जरिये मैं तो चाहूंगा कि पानी लेना कम्पलसरी कर दिया जाय। भले ही हमें उसके लिये किसानों पर कम्पलसरी सिंचाई रेट लगाना पड़े। इससे नशनल इनकम बढ़ेगी और खेती की पैदावार में तरक्की होगी। आप यह जानते हैं कि कभी-कभी किसान नहर या ट्यूबवेल से पानी नहीं लेता है, उसका कारण यह है कि आपके रेट ज्यादा हैं और इसलिये किसान सोचता है कि कुएं का ही पानी ठीक है और उसी में संतुष्ट हो जाता है। इन साधनों का उपयोग होना चाहिये। स्टेट का इन पर काफी रुपया खर्च होता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि पानी लेना अनिवार्य कर दिया जाय तो बहुत बेहतर होगा। इस व्यवस्था से बहुत फायदा होगा। इसके अतिरिक्त बहुत सी जगहों पर सिंचाई के साधन भी नहीं हैं। गांवों में ऐसे कुए मौजूद हैं जिनको अगर सुधार दिया जाय तो निश्चित ही पदावार बढ़ाने में वे सहायक होंगे।

दूसरी तरफ नलकूपों से पानी समय से नहीं मिलता क्योंकि बिजली समय से नहीं पहुंचती, फिर खेती में तरक्की कैसे हो सकती है? आपको इसका ध्यान रखना चाहिये कि बिजली समय से पहुंचे तभी खेती में तरक्की हो सकती है।

किसान जिस चीज को पैदा करता है उसको उसकी उस समय कीमत कम मिलती है जब वह खुद बेचने जाता है और जब उसको खरीदने की जरूरत होती है तो उसको कीमत ज्यादा देनी होती है। इसके अलावा जरूरत की जो चीजें किसानों को बाजार से खरीदनी पड़ती हैं उनका उसे अधिक दाम चुकाना पड़ता है।

श्रीमन्, आप उस जिले से आते हैं जहां पर गन्ने की पैदावार सबसे अधिक होती है। उसका दाम किसान को मिलता है १ रु० ७ आना मन या १ रुपया ५ आना मन, जब कि उसके गिराने की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। गन्ना सूख रहा है और माननीय उद्योग

मंत्री जी कहते हैं कि हम क्या करें। क्या उस गन्ने को जला दिया जाय ? कहा जाता है कि गन्ने की पैदावार कम हुई इसलिये चीनी कम बनी, लेकिन असलियत यह है कि गन्ने की पैदावार बढ़ी है जिसके कारण खेतों में गन्ना खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ श्रीमन् आपको भी चीनी डेढ़ रुपया सेर खरीदने को मिली होगी। किसानों को गन्ने का दाम दिया जाता है १ रु० ७ आना मन, जब कि इससे अधिक पैसा तो मिल वालों को खोई से मिल जाता होगा। अब कोल्हू पर प्रतिबंध लगा कर, चीनी का रेट बढ़ा कर और मिल वालों को रिबेट देकर, एक्साइज ड्यूटी में छूट देकर, सरकार सोचती है कि चीनी का प्रोडक्शन वह बढ़ा लेगी, यह कभी नहीं हो सकता। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको या तो गन्ने का दाम बढ़ाना होगा या चीनी का दाम कम करना होगा। लेकिन अगर बड़े-बड़े लोगों के लिये सरकार की नीति कुछ और रही और किसानों के लिये कुछ और नीति रही तो हमें उम्मीद नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा।

इसके अलावा मैं बीज इत्यादि के वितरण की बात भी कहूंगा। यह सभी जानते हैं कि किसानों से जब बीज लिया जाता है तब वह कैसा होता है और जब दिया जाता है तब उसकी क्या हालत होती है। महोदय, आपने गोरखपुर और बस्ती में देखा होगा कि किस प्रकार का बीज दिया गया। बात तो यह है कि बीज ऐसा दिया जाता है कि वह जमता ही नहीं। इस कारण से किसान बीज नही लेता है। दूसरी तरफ खाद और पानी के रेट आपके बहुत ज्यादा हैं। इसलिये किसान उसको भी नहीं ले पाता है और यही कारण है कि पैदावार बढ़ नहीं रही है।

कहा गया कि तालाब बहुत सुधारे गये हैं। तो क्या कागज में सुधारे गये हैं या मौके पर ? कहा जाता है कि इतने खाद के गढ्ढे बन गये लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने खाद के गढ्ढे बन गये और कहां बन गये ? माननीय मंत्री जी ने हमको आंकड़े में ले जाने की बहुत कोशिश की है लेकिन श्रीमन्, आपका ध्यान मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा। जहां तक गौशालाओं की बात है उन पर ध्यान नही दिया जाता है। एक तरफ तो कहा जाता है कि हम पशुओं में वृद्धि करना चाहते हैं, उनमें तरक्की करना चाहते हैं, अच्छे नस्ल के सांड़ चाहते हैं ताकि मवेशी अच्छे हों लेकिन आज हम देखते हैं कि कितने मवेशी लावारिस घूमते-फिरते हैं, जिनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उनके लिये कोई स्थान नियत किया जाय और उन मवेशियों को पकड़ कर उनमें रखा जाय तो प्रदेश की बहुत सी जरूरत इन मवेशियों द्वारा हल हो सकती है मगर ऐसा नहीं होता। तो मैं कहना चाहता हूं कि गौशालाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाय ताकि प्रदेश में किसानों को अच्छे नस्ल की गायें, भैंसें मिल सकें। और अगर इससे काम न चलने वाला हो और सरकार को खरीदने की जरूरत हो तो प्रदेश में किसानों से अच्छे नस्ल की गायें, भैंसें इत्यादि मिल सकती हैं। और साथ ही मैं यह चाहूंगा कि और रुपया खर्च करके गौशालाओं का सुधार करें जिससे हमको अच्छे किस्म के मवेशी मिल सकें और साथ ही कम से कम उन गौशालाओं के लिये जिनकी आर्थिक दशा बहुत खराब है सरकार को काफी अनुदान देने की व्यवस्था इस समय करना चाहिये था।

एक बहुत जरूरी बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान और ले जाना चाहता हूं। आज कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये खेती की बात बहुत कही जाती है। मैं सहकारिता के खिलाफ नहीं हूं लेकिन जिस तरीके से आज कोआपरेटिव सोसाइटीज की व्यवस्था है, जिस तरह से पुंजियों के वितरण की व्यवस्था है जिस प्रकार पुंजियां बेची जा रही हैं और जिस तरह से गन्ना किसानों पर गलत तरीके से कर्जा चढ़ा कर उनसे उसके वसूल करने की व्यवस्था है कि उस किसान को पता तक नहीं चलता कि उसके ऊपर इतना कर्जा कहां से आ गया। अगर यही व्यवस्था आप कोआपरेटिव खेती के जरिये भी लाना चाहते हों तो मैं इस

[श्री अमरनाथ]

सहकारी खेती का समर्थन नहीं कर सकता । मैं चाहता हूं कि इसके लिये कोई दूसरा ढंग अपनाया जाय जिससे सहकारी खेती चल सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री लाल बहादुर (जिला वाराणसी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से हमारे सहकारिता मंत्री जी ने जो कृषि का अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

आपके द्वारा मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कौन मंत्री होगा, ऐसी कौन सरकार होगी, ऐसा कौन सदस्य होगा या ऐसा कौन किसान होगा जो न चाहता हो कि हमारी कृषि की उपज बढ़े । मान्यवर, आप तो बड़े ऊच्च कोटि के किसान हैं और आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि सब के चाहने के बावजूद भी कृषि का उत्पादन प्रकृति के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है । चाहे जिस किस्म की आप खाद दें, जिस किस्म का पानी दें, मान लें बहुत बड़े बड़े गेहूं के पौधे लगे हुए हैं लेकिन हवा दो दिन चल गयी बस गेहूं कि फसल आधी हो गयी। क्या यह अकाट्य सत्य नहीं है ? (व्यवधान) मान्यवर, सिद्धान्त की बात यह है कि यह स्पुटनिक युग है और हमको यह देखना चाहिये कि सरकार ने ईमानदारी के साथ इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक तरीके से खेती की तरक्की करने की कोशिश की है या नहीं । निश्चय है कि हर सदस्य इसे मानेगा कि सरकार ने कोशिश की है। अब कहा गया कि सरकार के जो अधिकारी हैं वे काम में गड़बड़ी करते हैं । उन्होंने किसानों पर मुकदमे चला दिये । मान्यवर, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं लेकिन वे अधिकारी भी तो हमारे आपके किसानों के घर से ही तो आते हैं, आसमान से तो कोई अधिकारी आता नहीं है । कौन ऐसा अधिकारी होगा जो नहीं चाहेगा कि वह अच्छा काम करे ? मैं समझता हूं कि यह अनसाइकोलाजिकल बात है ।

श्री अधिष्ठाता---इन लोगों का कहना है कि अधिकारी अच्छा काम करना तो जरूर चाहते हैं लेकिन बुद्धि की कमी है ।

श्री लालबहादुर---मैंने माना कि बुद्धि की कमी किसी में हो । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर किसी अधिकारी में बुद्धि की कमी हो तो उसे निकाल दें, ऐसे अधिकारी को हटा दें । ऐसे लोगों के रखने के लिये सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है । हमारे आंकड़ों को देखा जाय, कहा जाता है कि यहां खाद तैयार नहीं की जाती । अगर आप इस किताब को पढ़ें तो पता चल जायगा कि कितना प्रयास खाद के लिये हुआ है । मुझे मालूम है कि कम्पोस्ट खाद बनाने की किस तरह से म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा कोशिश की गई है। हमारे यहां पहले बिल्कुल सनई नहीं होती थी लेकिन अब तमाम किसान हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं। सन् ३७ की मिनिस्ट्री से पहले जब गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट के अनुसार मिनिस्ट्री बनी थी उससे पहले कहां सनई का रिवाज था और अब जहां देखो वहां सौ-सौ, दो-दो सौ बीघा सनई बोई जाती है। (एक आवाज : रूस और चीन की बात भी कुछ करिये ।) वह भी करेंगे आप घबराते क्यों हैं ? कहा जाता है कि कोई उत्थान नहीं हुआ है और रुपया खराब हुआ है । हो सकता है कि कहीं रुपया खराब हुआ हो लेकिन काम भी तो बहुत हुआ है । मैं भी नहीं कहता कि कहीं गड़बड़ी नहीं हुई, जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं कहा कि हो सकता है कि बहुत सी जगह गड़बड़ी हो . . . .

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जो आदमी खेती न करते हों उन्हें मौका न दिया जाय और जिन्हें खेती का अनुभव हो, उन्हीं को मौका बोलने का दिया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--इसके लिये तो विधान बदलने की जरूरत पड़ेगी।

श्री लालबहादुर--यह जो १५ करोड़ ४० लाख रुपये की रकम है, यह कोई अधिक नहीं है. . .

श्री अधिष्ठाता--सदन में शान्ति रहनी चाहिये, आप लोग उनके आंकड़े सुनें।

श्री लालबहादुर--यहां की एक भारी आबादी खेती पर निर्भर है और उसको देखते हुए जो रकम कृषि के लिये दी जाती है वह बहुत कम है। हमारे प्रदेश का खेती ही प्रमुख व्यवसाय है। इसलिये खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिये जितना अधिक से अधिक रुपया राज्य की तरफ से मांगा जाय, वह हमें खुशी से देना चाहिये। मैं सरकार से कहूंगा कि १५ लाख क्या इससे दुगुनी भी मांग इसके लिये रखी जाय तो उसे सदन को स्वीकार करना चाहिये।

यह भी कहा गया कि यहां कोई अनुसंधान नहीं हुए हैं। यह गलत बात है, यहां पर अनेक अनुसंधान हुए हैं और नाना प्रकर के गेहूं और अनेक मटर आदि के बीजों के नम्बर याद नहीं हैं वह निकले हैं, उनसे बढ़िया बढ़िया फसलें हमारे यहां हुई हैं और हमारा टार्गेट भी अच्छा हुआ है। कहा जाता है कि वह बीज किसानों तक नहीं पहुंचता। मैं कहता हूं कि अब किसानों के पास अच्छे से अच्छा बीज पहुंच गया है और माननीय राजनारायण जी के घर भी अच्छी खेती होती है. . . .

श्री अधिष्ठाता--आप राजनारायण जी को छेड़े बिना नहीं रह सकते।

श्री लालबहादुर--श्रीमन्, उनके घर अच्छी खेती होती है, उनके यहां भी अच्छे से अच्छा बीज पहुंच गया है, वह बीज सरकार की अनुसंधानशालाओं का ही है और वह बीज हमारे लिये बहुत अच्छा साबित हुआ है।

कहा गया कि पशु चिकित्सा ठीक नहीं होती। उनको मालूम होगा कि जब तक हमारा देश स्वतन्त्र नहीं हुआ था तब तक यहां कितने पशु चिकित्सालय थे। अब तो तमाम ब्लाक्स में एक-एक और दो-दो पशु चिकित्सालय खुल गये हैं। वहां उनके इलाज का प्रबन्ध तो है ही, साथ ही उनकी नस्ल सुधारने का काम भी होता है। कहा जाता है कि किसानों के पास वह चीजें नहीं पहुंचतीं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह हमारे साथ एक जगह नहीं दो चार जिलों में जाकर देखें, उन्हें बढ़िया ब्रीड भेड़ का, गाय का और मुर्गी का मिलेगा; जो किसानों से ही लिया जाता है और फिर किसानों को ही दूसरी जगह दिया जाता है। इसमें शक नहीं है कि हम लोगों की चटाचट बोलने की और आलोचना करने की आदत पड़ गई है। अनुदान आया और कटौती का प्रस्ताव पेश कर दिया। कम से कम सोच लिया करें कि कितना उपयोगी अनुदान है। हम लोगों को सोचना चाहिये कि कौन सा-अनुदान कितने महत्व का है। यह नहीं कि कटौती का प्रस्ताव पेश हो जाय और हाय तोबा मच जाय। गड़बड़ी हो तो उसे दूर करने की कोशिश करें। आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि इस तरफ बैठने वालों की। मान्यवर, आप तो उस क्षेत्र से आते हैं, जो गन्ने का बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्या उसमें कोई विकास नहीं हुआ? अब तो यह सोचा जा रहा है कि गन्ने की खेती की वजह से गेहूं, मटर आदि की खेती गिरने जा रही है। फलों की बात को लीजये। जमींदार लोगों ने तमाम पेड़ों को कटवा दिया था। वन महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया गया। फ्रूट प्रिजर्वेशन की भी बात चल रही है। पहाड़ों पर देखिये कितने अच्छे अच्छे फल लगाये जा रहे हैं। हम तो एक बार गये थे, देखा कि कितने बढ़िया-बढ़िया फल पैदा कर दिये हैं।

जापानी ढंग, चीनी ढंग, रूसी ढंग और अमेरिकन ढंग की जो बात कही जाती है उससे मैं सहमत नहीं हूं। हमारे यहां भी साइंटिस्ट हैं, वह भी सोच सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि

[श्री लालबहादुर]

आप उसे न करें, लेकिन हमारा ढंग अपनाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। जितनी खाद जापानी ढंग में देते हैं उससे तो कई एकड़ का काम चल सकता है। हमारा तरीका सर्वोच्च तरीका है। हमारा देश बहुत आगे रहा है, यह दूसरी बात है कि गुलामी के कारण अवनति हुई। अन्त में मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसमें उनका सहयोग करें।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, यह आज जो अनुदान पेश है, वह कृषि का है और हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है। यह सर्वमान्य बात है कि कृषि की उन्नति के साथ साथ ही दूसरे उद्योगों की भी उन्नति होगी। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि कृषि के बिना उद्योग की तरक्की नहीं हो सकती है। कच्चे माल की जो जरूरत पड़ती है उद्योग के लिये, उसका उत्पादन खेती के जरिये से ही हो सकता है; और जब खेती की तरक्की के साधन जुटाये जायेंगे तो उससे पैदा होने वाली चीजों की तरक्की होगी और उससे उद्योग धंधे भी अच्छी तरह से बढ़ेंगे। खेती की तरक्की के लिये जो आवश्यक चीजें होती हैं, जैसे---अच्छा बीज, पानी, खाद और जोतने के नये इम्प्लीमेंट्स तथा टेक्निकल ज्ञान थोड़ा बहुत भी आवश्यक है। आज के युग में बिना टेक्निकल ज्ञान के खेती की तरक्की अच्छी तरह से नहीं हो सकती है। हमारे प्रदेश का किसान बहुत रूढ़िवादी है, नई बातों को अपनाने में डरता है। इन नई बातों के प्रचार के लिये जो अभियान चलाये जाते हैं और जिनके जरिये चलाये जाते हैं, उनको यही नहीं मालूम रहता कि जौ का पौधा है या गेहूं का। जब वह कहते हैं ज्वार के पेड़ को देख कर कि मक्का तो अच्छी है, इसमें भुट्टा नहीं आया तो जनता को बड़ा ताज्जुब होता है और इसलिये किसान उनकी बात को नहीं सुनता।

श्री अधिष्ठाता---लेकिन ऐसे ज्यादा अफसर नहीं हैं।

श्री होरीलाल यादव---मेरे खयाल में तो ऐसे ज्यादा होंगे क्यों कि मुझे तो ऐसे ही अफसर से पाला पड़ा है।

कृषि मंत्री जी ने बताया कि बागों का रकबा बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि पुराने बाग कितने कटे। जो पेड़ वर्षों से तैयार खड़े हैं, फल दे रहे हैं, जिनसे खाद्य समस्या हल होती है, वे लाखों की तादाद में कटते चले जा रहे हैं। मुझे अपने जिले का तजुर्बा है, मेरे यहां देशी आम बहुत होता है। वहां बाग के बाग सफा हो गये और सरकारी अधिकारी बने रहे, लेकिन पेड़ कटते रहे। तो नये पेड़ लगाने के साथ साथ पुराने पेड़ों की भी सुरक्षा की जाय जो फल देते हैं और इनकी सुरक्षा के लिये कठिन से कठिन नियम बनायें।

मेरे फर्रुखाबाद जिले में सबसे ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है क्योंकि आलू हमारे यहां बहुत होता है और खाद का बटवारा प्रदेश में समान रूप से किया जाता है। मैं चाहूंगा कि बटवारे के समय मंत्री जी यह खयाल रखें जहां अधिक खाद की जरूरत होती है उस जिले को रबी और खरीफ की फसल से ज्यादा आलू की पैदावार के लिये खाद दी जाया करे।

श्री मोहनलाल गौतम---जिस वक्त जितनी जरूरत हो मंगा लें, बहुत खाद है।

श्री होरीलाल यादव---इस समय तो है, मगर जब जरूरत पड़ेगी उस समय स्टाक से गायब हो जाती है, पता नहीं कहां चली जाती है। कहा गया कि खेती की तरक्की के लिये सिंचाई की सुविधा के लिये, आर्थिक सहायता दी जाती है; परन्तु जो रुपया दिया जाता है, क्या कभी यह भी देखा गया कि वह रुपया खेती के कारोबार में लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है? मुझे जाती तजुर्बा है कि एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से जो ट्यूबवेल और कुओं के लिये तकावी दी गयी है वे ट्यूबवेल और कुएं अभी बने नहीं हैं, लेकिन सिंचाई के रकबे में वह रकबा शामिल कर लिया गया है। छोटी सिंचाई के लिये जो तकावी दी जाती है उसके बजाय सरकार खुद कुछ ऐसे कुएं रहट वाले बनाये और फिर उनको पंचायतों के सुपुर्द कर दे और पंचायतें उन कुओं से, जो आबपाशी हो, उसके लिये रुपये वसूल करें। वे

कुएं पंचायतों को दे दिये जायं या छोटे बड़े काश्तकारों की काश्त के बीच में जो कुआं बनाया जाय, रुपये वसूल करने के बाद, वह कुआं उनको वापस कर दिया जाय। इस तरह से सिंचाई के साधनों का उपयोग हो सकता है। परन्तु जो पैसा लिया जाता है सिंचाई के लिये वह पूरे तौर से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह भी देखा गया है कि बड़े किसानों को तकावी दी जा रही है बैल के लिये, कुओं के लिये और दूसरे, जो छोटे लोग हैं, उनको तकावी ठीक तरह से नहीं मिल पाती है। इस तरह से इस बटवारे की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और इस बात की कोशिश करनी चाहिये।

मंत्री जी ने कहा कि खेती की पैदावार बढ़ी है पिछले १०-१२ सालों में लेकिन यह सरकार के प्रयत्नों से नहीं बढ़ी है। जो अनकल्टीवेटेड लैंड पड़ी थी उसके बढ़ जाने से रकबा बढ़ा है और उसी से पैदावार भी बढ़ी है और सरकार जिस साल फसल अच्छी हो जाती है उसका श्रेय अपने ऊपर लेने की कोशिश करती है। जिस साल फसल कमजोर होती है उस साल यह कहती है कि कुदरत ने खराब की, हवा चली, पानी नहीं बरसा, इसलिये फसल बरबाद हो गयीं। अगर पैदावार की घटोत्तरी सरकार कुदरत पर डालती है तो पैदावार की बढ़ोतरी भी सरकार को कुदरत पर डालनी चाहिये, उसका श्रेय सरकार को खुद नहीं लेना चाहिये।

श्रीमन्, यह देखा जाय कि कौन सी पैदावार सूबे की बढ़ी है? हमारे सूबे की जो मुख्य पैदावार है, वह चावल है, गेहूं है या जौ है। पैदावार के जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे पैदावार घटी है, बढ़ी नहीं है। उसका कारण यह है कि किसानों के दिमाग के अन्दर जो रूढ़िवादीपन है, वह दूर नहीं हो रहा है। जो टेक्निकल ज्ञान है वह उस तक नहीं पहुंच रहा है। इस बात की जरूरत है कि जो जूनियर हाई स्कूल खुले हैं उनमें जो एग्रिकल्चर टीचर रहता है, वहां उनके पास कोई जमीन नहीं है। ऐसे स्कूलों के लिये छोटी-छोटी जमीनें एक्वायर कर ली जायं और जो पैसा सरकार खर्च करना चाहे वहां खर्च करे। जो नये तरीके खेती करने के हैं वे अपनाये जायं, जिससे किसान उन तरीकों को देखकर इस्तेमाल करे। किसान लकीर का फकीर है। उसको अगर यह देखने को मिल जाय कि इस तरह से पैदावार बढ़ सकती है तो उस तरीके को अपनाने में देर नहीं लगायेगा। मैं यह भी जानता हूं कि जब तक फसल की पैदावार के दामों में और किसान जिन चीजों को इस्तेमाल करता है, उसके दामों में सरकार समानता नहीं लायेगी, तब तक किसान का कोई फायदा होने वाला नहीं है, यानी अगर पैदावार बढ़ भी जाय और जिन साधनों को किसान इस्तेमाल करता है, उनकी कीमतें बढ़ जायं और पैदावार के दाम गिरते जायं तो उनसे किसान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती है।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रस्तुत बजट बहुत ही महत्व का बजट है, जिसका मैं समर्थन करती हूं। जड़ जगत और जीव जगत का जीवन वसुंधरा से चलता है और उसके गर्भ से हमको जीवनोपयोगी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसके चरणों में बैठ कर और विशेषज्ञ उसकी गोद में बैठ कर, उसकी धूल और धूप में तपस्या करके, उन महान रत्नों को खोज निकालने की चेष्टा करें, तभी हमारी भारत माता के जो भूखे, दरिद्र और अर्द्ध नग्न व्यक्ति हैं, उनकी समस्या पूरी हो सकती है; तभी बेकारी और बीमारी की समस्या का सही हल निकल सकता है।

मान्यवर, हमारी एकोनामी, हमारी आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान ही रहेगी क्योंकि हमारे प्रदेश में खनिज पदार्थों का भारी अभाव है। कृषि के सरप्लस उत्पादन पर ही हमारे औद्योगीकरण की कल्पना की जा सकती है और हमारे उद्योग तभी जीवित रह सकते हैं, विस्तृत हो सकते हैं और तभी हमारे प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, जब कि वे हमारी खेती की अधिक पैदावार पर ही आश्रित रहेंगे। श्रीमन्, सभी

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

कार्य इन्तजार कर सकते हैं परन्तु भूख नहीं। हम स्वतंत्रता के १४वें वर्ष में गमन कर रहे हैं। यह कैसी विडम्बना है कि आज हम अन्न के विषय में भी आत्मनिर्भर नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि हमको पता नहीं कब तक अन्न के विषय में, जीवन की प्राथमिक आवश्यकता के विषय में, हमें परमुखापेक्षी रहना पड़ेगा, विदेशों की ओर देखना पड़ेगा।

मान्यवर, हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि कृषि के उत्पादन में, खाद्यान्न में वृद्धि हुई है। दुर्भाग्य से कल मैं उपस्थित नहीं थी और न मुझे उनके दिये आंकड़ों का ज्ञान है, लेकिन मैं यह कह सकती हूं कि बजट की आम बहस में मैंने चेष्टा की थी, सन् ५० से लेकर ५८-५९ तक के आंकड़े दिये थे और तुलनात्मक दृष्टि से यह प्रयास किया था कि औसत आय बढ़ी है या नहीं, खाद्यान्न में उन्नति हुई है या नहीं। मैंने सरकारी आंकड़ों से ही आंकड़े दिये थे कि उत्तरोत्तर तरक्की नहीं हुई। दोनों पंचवर्षीय योजना-कालों में ६० करोड़ रुपया कृषि के ऊपर व्यय हुआ और ४५ लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य बनायी गयी। उन सब को जोड़ कर हम देखें तो हम कृषि के उत्पादन में पीछे गये हैं। समयाभाव से वह सभी आंकड़े न दे पाऊंगी। मान्यवर, सभी कल्याणकारी योजनायें कुछ काल के लिये रोकी जा सकती हैं, सभी निर्माणकारी योजनायें रोकी जा सकती हैं, प्रशासन का बढ़ता हुआ व्यय भी रोका जाना ही चाहिये; क्योंकि आमदनी तो उतनी ही है, दरिया तो एक ही है; उससे अधिक छोटे-छोटे दरिया निकालने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि पर सब से अधिक व्यय होना चाहिये। प्रश्न उपस्थित यह होता है कि पिछले दिनों में ६० करोड़ रुपया व्यय हुआ और उत्पादन घटा और औसत आय भी नहीं बढ़ी। तो देखना माननीय मंत्री जी को यह होगा, कोई आलोचना की दृष्टि नहीं इधर के लोग कहें या उधर के लोग कहें, कि प्रक्रिया में कहां दोष है। मैं नहीं कह सकती हूं कि इसमें दोषपूर्ण प्रक्रिया है और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसलिये प्रक्रिया में कहीं न कहीं दोष अवश्य है। मान्यवर, यह सभी जानते हैं और सभी को शिकायत है कि हमारे किसान का बैल आज मरता है और तकावी उसको एक वर्ष के बाद मिलती है। इसी तरह से पैसे की जरूरत आज है और मिलेगा कभी और; पानी की जरूरत आज है और मिलेगा उस समय जब कि पानी के अभाव में फसल सूख जायगी। तो मान्यवर, सोचने की चीज यह है कि कैसे इस प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जाय। माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा मेरा निवेदन यह है, जैसा कि मैंने आज के अखबार में देखा है कि कुछ पंचायतों को सिंचाई और डेवलपमेंट की ग्रांट्स दी जाने वाली हैं, उसी तरह से मैं कहना चाहूंगी कि किसी हदतक ग्राम पंचायतों के द्वारा प्रबंध करें या किसी अन्य असरकारी मशीनरी के द्वारा इसका प्रबन्ध करायें कि किसान को जब और जिस चीज की आवश्यकता हो, उसको उसी समय उसके गांव में ही रुपया मिल जाय; जैसे पहले साहूकारों से उनको रुपया मिल जाता था।

इसके पश्चात् मान्यवर, मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला सरकार द्वारा किसान के खेतों में पैदा होने वाली वस्तुओं के न्यूनतम दामों की गारण्टी कर दी जाय। दूसरा यह कि फसल के पूर्व सरकार किसानों को १०० रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ऋण की व्यवस्था कर दे। मेरा तीसरा सुझाव यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक छोटे-छोटे किसानों को ऋण दिया जाय और ५ वर्ष ब्याज न लिया जाय, किस्तों के रूप में बाद में ले लिया जाय। आज छोटे-छोटे किसानों को सब्सीडी देने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि विशेष परिस्थितियों में किसी रोगी को आक्सीजन देकर जीवित रखने की या किसी अंग के गल जाने पर दूसरी हड्डी उस स्थान पर स्थापित करने की होती है। यह सब्सीडी की बात मैं किसानों के हित की ही नहीं कह रही हूं बल्कि राष्ट्र के हित की बात कह रही हूं, आम जनता-जनार्दन के हित की बात कह रही हूं। यह जोखिम तो सरकार को उठानी ही चाहिये। यह भी आप का एक प्रयोग होगा जिसे आपको करना है और मैं समझती हूं कि यदि आपने इस प्रयोग को किया तो आपके उत्पादन में अवश्य वृद्धि होगी।

मान्यवर, ६ वर्षों में यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, मेरा निवेदन यह है कि हमारी आधी भूमि दो फसली हो जानी चाहिये। तृतीय योजना में इन्टेंसिव खेती पर अधिक से अधिक व्यय होना चाहिये क्योंकि उसी के आधार पर सरप्लस उत्पादन होगा, हमारे उद्योग-धंधे बढ़ेंगे, बेकारी दूर होगी, बीमारियां दूर होंगी और हमारी सारी समस्यायें हल हो सकेंगी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का इधर ध्यान दिलाऊंगी कि हमारे प्रदेश में इस समय ६६७ उन्नत बीज फार्म हैं और १०० नये फार्मों की प्रस्तुत बजट में व्यवस्था की गयी है। मैं मंत्री जी से अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि चाहूंगी कि क्या इन फार्मों ने अपने सभी कर्मचारियों के व्यय का भार वहन किया है। क्या इन सभी उन्नत बीज फार्मों ने राज्य कोष में कुछ इजाफा किया है? तीसरे मैं चाहूंगी कि क्या इन फार्मों से १०० रुपये प्रति एकड़ की भी सरकार को नेट आय हुई है; या उनके कर्मचारियों का जो व्यय हुआ है, वह भी राजस्व से हुआ है। मान्यवर, जहां तक मुझे ध्यान है ऐसे उदाहरण मेरे सामने हैं जहां कि कृषि विभाग ने इन फार्मों के लिये जमीन मार्केट वैल्यू से दुगने से भी अधिक दामों पर ली है। जनता के पैसे का इस प्रकार उदारतापूर्वक व्यय करना, अपव्यय कहूं तो बुरी बात है, शायद माननीय मंत्री जी को भी रुचिकर न होगा। मेरा सुझाव है कि १०० ग्राम पंचायतों को उन्नत बीज फार्मों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय उससे जमीन खरीदने का रुपया बचेगा और जितनी भी विभागीय सहायताएं हैं, सभी की सभी कर्मचारी इत्यादि की, उनको दी जायं। उन्नत बीज पैदा किये जायं और उनको प्रोत्साहन दिया जाय।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी की बात मैंने सुनी तो पहली ही पहली बात उन्होंने यह कही थी कि किसान अपनी जमीन का मालिक है, यह सब गलत है। किसान जमीन का मालिक होता तो ५ रुपया एकड़ सरकार लगान काहे का लेती? जो मालिक होता है वह मजदूरी किसी को नहीं देता है, लेकिन उस पर से तो आप लगान लेते हैं। २१ करोड़ रुपया आप लेते हैं ४ करोड़ एकड़ जमीन पर। इस कारण से पहली बात तो यह कि किसान जमीन का मालिक नहीं है, वह जमीन का किरायेदार है।

अब बात यह कही जाती है कि वह अपनी तरक्की में लगा हुआ है। यह ठीक है आपका कहना। जिस काम से हमें पैसा ज्यादा मिलेगा वही काम तो हम करेंगे। अब आप देख लीजिए कि आपके यहां खेती का रकबा क्या है और कितनी खेती होती है, दो फसली जमीन क्या है और आपकी पैदावार क्या है? खेती का रकबा आपका है, ४ करोड़ २ लाख ४४ हजार एकड़ सन् ५८–५९ में और दो फसली जमीन थी आपकी, १ करोड़ १४ लाख ८ हजार एकड़ और आपकी उपज क्या है खाद्यान्नों की, जिन्सों की वह भी आप देख लीजिए—सन् ५६–५७ में १ करोड़ ७ लाख १३ हजार टन, ५७–५८ में ९८ लाख ९७ हजार टन, ५८–५९ में १ करोड़ १३ लाख ६० हजार टन। दाल की जिन्सें भी आप देख लीजिए, कुछ दालें भी आप पैदा करते हैं १७ लाख १ हजार टन ५६–५७ में, १२ लाख ८५ हजार टन ५७–५८ में और १४ लाख ५० हजार टन ५८–५९ में। इसी तरह से तेल की जिन्सों को देखिए–५६–५७ में ९ लाख ६७ हजार टन, मूंगफली, सरसों, तिलहन इत्यादि, ५७–५८ में ७ लाख ९५ हजार टन और ५८–५९ में ९ लाख ९६ हजार टन, यह तेल की जिन्सें हुईं। यह सब चीजें पैदा हुईं तब भी आपने २ अरब का गल्ला बाहर से मंगाया जिसको, हमारे यहां जो दुकानें खुली हुई हैं, उन पर बेंचा। अभी एक साहब बोल पड़े और यह कह गये कि खेती की तरक्की तो जरूर है लेकिन आबादी के बढ़ने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टीकाराम]

के कारण उसमें पूरा नहीं पड़ता; आबादी बढ़ने की वजह से, औलाद नयी पैदा हुई और सब अनाज खा गयी, इसलिए बाहर से मंगाना पड़ता है, एक सज्जन यह कह रहे थे। तो आबादी केवल आपके यहां ही बढ़ रही है और सूबों में तो आबादी बढ़ नहीं रही है और न और देशों में बढ़ रही है। और फिर उस आबादी के बढ़ने के साथ साधन तो उपज के बढ़े नहीं और दोष लगा दिया कि आबादी बढ़ रही है इसलिए पूरा नहीं पड़ता। यह आपका कहना है। फिर सरकार यह कहती है, एक सज्जन अभी कह गये कि किसान का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वे लोग गेहूं खाते हैं। पैदावार के आंकड़े शायद उन्होंने नहीं देखे। जरा इसका वह मुलाहिजा करें जिसमें कि किसानों की आमदनी देहात की लिखी हुई है।

अब आप इसे देखिये कि सन् १९५६–५७ में प्रति व्यक्ति आय १९५.५ थी। वह सन् १९५७–५८ में १८२.३ हो गई और फिर १९५८–५९ में आकर १९३.५ रह गई। अब आप बताइये कि आमदनी बढ़ी है या घटी है। पिछले सालों से घटती चली आ रही है। इस पर आप ढींग मार रहे हैं कि किसान का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है और कहते हैं कि वह गेहूं खा रहा है। अब यह देखिये कि सरकार का जांचने का पैमाना क्या है। गांव के किनारे पर बैठकर यह देखा जाता है कि गांव से कितनी साइकिलें निकलीं, कितने गांव में मकान पक्के बने, गांव से कितने लोग जूता पहने हुए निकले, यह सरकार का पैमाना जांचने का है, जिससे वह गांव की तरक्की को नापती है। अब आप बताइये कि साइकिल उसी के पास होगी जिसके पास ७०, ८० बीघा जमीन होगी; पक्के मकान भी उसके पास होंगे जिसके पास बहुत जमीन अच्छी उपजाऊ होगी। गांव में बहुत हुआ तो २, ४ पक्के मकान बन गये। एक गांव में ८, १० मकान नहीं होते हैं। आप कहते हैं कि गांव के लोगों ने पक्के मकान बना लिये हैं और सब लोग वहां पर गेहूं खा रहे हैं। जिसको २०० रुपया महीना और १० रुपया रोज मिलता हो तो वह खा सकता है।

(इस समय ३ बज कर २७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके बाद कहा गया कि पैदावार के दाम बहुत बढ़ गये हैं। पैदावार का नक्शा तो घटा और भाव उसके बढ़ गये इसलिये दाम बढ़ाकर बता दिये। पैदावार नहीं बतायी गयी कि कितनी हुई। जब १।। सेर का अनाज बिकेगा तो अपने आप दाम बढ़ जायंगे। फिर इसके बाद यह कहा गया कि सिंचाई के साधन बढ़ गये हैं। जरूर बढ़े, नहरें बढ़ीं और कुयें बढ़े, लेकिन यह भी मालूम है कि कुएं का क्षेत्र कितना घेर रखा है जो २० फीसदी जमीन की भी सिंचाई नहीं कर सकता। मुश्किल से ४०० एकड़ की सिंचाई एक कुआं कर सकता है, लेकिन आपने कमाण्ड एक हजार का बना रखा है। अगर कोई आदमी उस एरिया में कुआं बनाना चाहता है तो उससे कहा जाता है कि पहले तुम कमाण्ड को कटाओ तब तुमको कुआं बनाने देंगे वरना नहीं बनाने देंगे। देशी कुएं के लिये अगर कोई तकावी लेना चाहे तो उसके लिये आपने कहा ही है कि उसमें दिक्कत है और अब उसको आसान किया जायगा। सिंचाई के लिये साधन अभी तक किये नहीं गये हैं। जहां पर ३० फुट पर पानी निकलता है वहां पर रहट या बाल्टी काम नहीं देते हैं। उसमें बाल्टी बहुत लगती है तो उससे खेत भर नहीं मिलता है। जहां पर गहरा पानी है वहां पर रहट के कुएं काम नहीं करते हैं। वहां पर तो बिजली का कुआं काम दे सकता है। बिजली के कुएं से ज्यादा पानी मिलता है और खर्च भी कम पड़ता है। इसलिये ऐसी जगहों पर बिजली के कुएं बनाये जायं। जहां पर १०, १५ और २० फीट पर पानी होता है वहां पर रहट या बाल्टी के कुएं से काम होता है। वहां पर लोगों को तकावी देकर कुएं बनवाये जायं।

सरकार का कहना है कि कपास का एरिया जरूर गिर गया है। अब देखिये कि कपास की उन्नति के लिये चार-चार तरह के मुलाजिम रखे गये हैं। कपास के बीज बांटने पर नौकरी का खर्चा ७८, ३०० रुपया है, कपास की प्रसार योजना पर २,०४, २०० रुपये हैं, कपास की हानि पर २०,००० रुपया है। जिलों में कपास की खेती की योजना पर १,८७,८०० रुपये खर्च है, लेकिन कपास एक है उसके लिये बीज बांटने वाले, कपास को देखने वाले अलग-अलग रखे गये हैं। एक आदमी को आप १८ काम सिखाइये तो वह गांव में जाकर किसानों को बतायेगा?

सरकार क्यों नहीं एक ही आदमी को यह सब काम सिखाती ? इतने आदमियों की क्या जरूरत है। हर एक महकमें के अलग-अलग कर्मचारी हैं और उनके अलग-अलग भत्ते बंधे हुए हैं। ५० सफों में तो बजट में भत्ते ही की मांग रखी गयी है ३ करोड़ रुपये की। इन नौकरों को कम कर दिया जाय।

सरकार का यह भी कहना है कि सुझाव दिये जायं तो हम काम करें। सुझाव तो हम दे रहे हैं, लेकिन आप उन्हें मानें भी तो। बाहर से खाद मंगाने के लिये लाखों रुपया आप खर्च कर रहे हैं, बीज आप सवाये पर बांटते हैं, खाद जो देते हैं उस पर सूद लेते हैं। आज जो खाद सल्फेट अमोनिया बांटी जाती है उसके स्थान पर मेरा सुझाव है कि मालगुजारी का एक चौथाई हिस्सा गांव सभाओं को दिया जाय और वे गांव के कूड़े कर्कट को इकट्ठा करके कम्पोस्ट बनावें और उसे ही किसान काम में लावें तो देखिये कि किसानों का कितना लाभ होगा और करोड़ों रुपया जो हम खाद मंगाने के लिये बाहर भेजते हैं, वह भी बचेगा और किसानों को दिक्कत भी नहीं होगी। यह विदेशी खाद किसानों के माफिक नहीं पड़ती। किसान की उन्नति के लिये यहां की खाद ही होनी चाहिये। इसके अलावा अलाभकर जोत पर से लगान माफ कर दिया जाय और किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का दाम उनसे एक आना सेर से ज्यादा नहीं लिया जाना चाहिए और जो मिल की बनी हुई चीजें हों उनका दाम लागत के ड्योढ़े से ज्यादा नहीं होना चाहिये। इस तरह करने से किसान का पैसा किसान के पास ही रहेगा। खाद पर सूद और बीज का सवाया भी सरकार को नहीं लेना चाहिये। सरकार किसानों के साथ व्यापार करती है, यह नहीं होना चाहिये। इसके अलावा जितने सरकारी मुलाजिम किसानों के पास जाते हैं वे बाबू बन कर, गला लंगोट और कोट पहन कर जाते हैं। किसान उनके पास आने में घबराते हैं कि न मालूम कौन आफत आ जाय। उनको सादी ड्रेस में गांव में जाना चाहिये, बाबू बन कर नहीं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई रोज के परिश्रम के बाद, आपकी कृपा से आज मुझे बोलने का समय मिला। मैं आज प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे खुशी है और इस मौके पर मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर ने हमारे प्रदेश को फ्लड से और सूखे से सुरक्षित रखा, यह सौभाग्य की बात है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश माना गया है और यह खेती हमारी जिन्दगी का सहारा है। खेती में दो, तीन चीजें हैं जो मैं यहां कहना चाहता हूं। खेती बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार, किसान और किसान के साथ काम करने वाले मजदूर पर है। अगर इन तीनों को खेती में दिलचस्पी हो तो कोई वजह नहीं कि खेती की पैदावार न बढ़ जाय। सरकार को तो इसलिये दिलचस्पी होनी चाहिये कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के रहने वालों की जिम्मेदारी ली है पैदावार बढ़ाने के लिये। और इसलिये सरकार जितने संभव साधन हो सकते हैं किसान को दे। किसान की जिम्मेदारी इसलिये है कि उसे ही यह काम करना है और इसके लिये उसे उसकी पैदावार की मुनासिब कीमत मिलेगी और उसे उसके श्रम की मुनासिब कीमत मिलेगी। लेकिन जब उसको खेती के बढ़ाने के लिये साधन मिलेंगे तभी वह पैदावार बढ़ा सकता है। तीसरी चीज यह है, जिससे कि उसे खेत में रुचि हो सकती है, कि उसे अपनी मेहनत का फल और फसल का ठीक मूल्य मिले। जब उसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा तभी उसमें उसकी रुचि हो सकती है। अगर किसान को अपनी मेहनत का फल और फसल का ठीक मूल्य नहीं मिलता है, अगर मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी देने में कोताही की जाती है, तो वह अपना श्रम लगाने में भी कोताही करेगा जिसका असर पैदावार पर भी पड़ेगा और पैदावार कम होगी।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अच्छे बीज और अच्छे खाद की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छे बीज और अच्छी खाद की बहुत आवश्यकता

[श्री रामदास आर्य]

है। जब किसान को अच्छी खाद नहीं मिलेगी तब तक पैदावार में बढ़ोत्तरी नहीं होगी। आज हम देखते हैं कि गांवों में किस प्रकार से खाद का दुरुपयोग हो रहा है। देहातों में जितना खाद इधर उधर पड़ा रहता है उसमें से उसका जुज हवा में निकल जाता है। देहातों में इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं होता जहां कि वे अपनी खाद को जमा कर सकें। इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और इसके लिये उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

इसके अलावा एक चीज और कहना चाहता हूं। गांवों में जो जानवर होते हैं उनके खड़े होने के लिये भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। उनका जो मल-मूत्र होता है वह बेकार चला जाता है, उसका प्रबन्ध आवश्यक है। इसलिये पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छी खाद, अच्छे बीज और पानी, इन सबकी अत्यन्त आवश्यकता है।

मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने अब की साल से बीज के वितरण के लिये जो तरीका अपनाया है उससे काफी सन्तोष है और यह भी सन्तोष की बात है कि हमें दूसरी जगह (देशों) से अन्न मंगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके लिये कुछ भगवान की कृपा है और कुछ परिश्रम का भी फल है। यह ठीक है कि पैदावार जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी है और उसके कारणों पर मंत्री जी को विचार करना चाहिये। इसके लिये कुछ दिक्कतें भी किसान के सामने हैं। आज किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उनकी पैदावार बिकवाने के लिये मंडियों में उचित प्रबन्ध होना चाहिये। जब उनकी पैदावार मंडियों में बिकने के लिये जाय तो उसका ७५ प्रतिशत मूल्य उनको उसी समय मिल जाना चाहिये, बाकी २५ फीसदी उनको बाद में मिल जाया करे, यह व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा एक सुझाव यह है कि मजदूरों के न्यूनतम वेजेज ऐक्ट के अनुसार उनको न्यूनतम मजदूरी तय करनी चाहिये। जब उनको ठीक-ठीक मजदूरी मिलेगी तो इससे भी उनमें कुछ उत्साह बढ़ेगा। जब इन सब तरह की चीजों की व्यवस्था होगी तो इससे पैदावार अवश्य बढ़ेगी।

दूसरी बात मैं किसानों को मिलने वाली तकावी के बारे में कहना चाहता हूं। उनको तकावी दिये जाने के सम्बन्ध में जो नियम हैं वे इतने सुगम होने चाहिये जिससे कि उनको तकावी आसानी से मिल सके क्योंकि बैल और बीज के लिए, खेती के सामान के लिए, तकावी की जरूरत है। छोटे किसान के पास जमीन थोड़ी रहती है, सब सामान के लिए उसको तकावी की सुविधा हो जाय तो वह पैदावार बढ़ा सकता है। बड़े फार्म वालों को आप देखें कि औसत पैदावार कम हो रही है और छोटी खेती वाले पैदावार ज्यादा देते हैं, इसलिए उनकी तरफ तवज्जह ज्यादा होनी चाहिए।

इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो इनामात मिलते हैं वह ऐसी पैदावार पर मिलते हैं जो अच्छी क्वालिटी की हो और प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा पैदा करते हों। वह ठीक है, लेकिन मैं दूसरा सजेशन यह रखता हूं कि जितनी जमीन जिसके पास है, उसके औसत से और ज्यादा पैदावार वह अपनी भूमि के हिसाब से करता है तो उसको भी इनाम पाने का अवसर होना चाहिए ताकि वह पैदावार की तरफ तवज्जह लगाये। क्वालिटी की तरफ भी ध्यान हो, लेकिन उस पैदावार के रेशियो की तरफ भी ध्यान होना चाहिए। अगर कोई रुचि सरकार से नहीं हुई तो वह कहेगा कि मैं क्यों पैदावार बढ़ाऊं। अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी तो कोई भी उद्योग-धंधे नहीं पनप सकते और तरक्की नहीं पा सकते। मैं समझता हूं कि सरकार के पास धन की कमी है, वह जनता से धन प्राप्त करती है, इसलिए किसानों को निराश नहीं होना चाहिए; और यदि सरकार पर्याप्त मात्रा में नहीं देती तो जो तरीके उनको उपलब्ध हैं, उनको लेकर ही पैदावार बढ़ाने की कोशिश करें।

दूसरी तरफ मैं सरकारी कर्मचारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी उस तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि जो सरकारी लोगों को खेती करने का तरीका सिखाय

जाता है कि वह ऊपर से उसे ठूंसें, जैसे कि आपके रबी और खरीफ आन्दोलन शुरू किये जाते हैं। देहात में जो किसान रहता है वह ज्यादा तजुर्बेकार है, परम्परा से खेती करता आया है। इसलिए जरूरी है कि उससे सुझाव लिये जायं और उनके अनुसार अपनी ट्रेनिंग में कोई तरीका वह ऐसा अपनाएं जिससे पैदावार बढ़ाने की तरफ उनकी तवज्जह हो, इरादा हो। जो सरकारी अफसर जाते हैं वह अपने ढंग से काम शुरू करते हैं, वहां के किसानों से मालूम करने की कोशिश नहीं करते। अगर यही तरीका रहा तो मजबूरन वह सरकारी स्कीम मानने के लिए तैयार होंगे और उतनी पैदावार नहीं बढ़ सकेगी जितनी कि उनके विचार लेकर हम आगे बढ़ा सकते हैं।

साथ ही खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़े, इनकम बढ़े, क्योंकि उसी पर उनका दारोमदार है, जिससे वह खेती की पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी ले सकें, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। उनके काम करने के घंटे मुकर्रर नहीं हैं, चौबीसों घंटे काम करते हैं, त्योहारों तक की छुट्टी उनको नहीं मिलती। मिलों में कोई आदमी मरता है तो परिवार वालों को मुआविजा मिलता है, लेकिन किसान के काम पर कोई सांप काट खाये, पानी पर जाना पड़ता है, १० किस्म की दिक्कतें होती हैं, और वह मर जाय तो कुछ नहीं मिलता। तो वह क्यों दिलचस्पी लेगा? इसलिए तरीका यह होना चाहिए कि जो असल काश्तकार व मजदूर है उसकी तरफ तवज्जह हो। देखा यह जाता है कि जिसके नाम कागज पर जमीन है जोकि घर बैठा रहता है उसको ही खेती की ट्रेनिंग दी जाती है--जुताई की, बीज बोने की और वह खेती में कुछ काम नहीं करता है। आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े खाते वाले बैठे रहते हैं, खेत पर उनके मजदूर काम किया करते हैं। तो जो हल जोतने वाला है उसको भी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे वह पैदावार बढ़ाने में मदद दे सके।

इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, और कुछ कहने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक पुस्तक विभाग की ओर से बटी है उसमें पृष्ठ ४७ पर यह दिया हुआ है कि कृषि विभाग तथा अन्य विकास विभागों को कृषि शिक्षा प्राप्त कर्मचारी उपलब्ध हो रहे हैं। यहां इन्होंने यह भी दिया है कि कृषि शिक्षा से क्या लाभ हो रहा है, कृषि शिक्षा किसलिये दी जा रही है इसलिये कि इससे कर्मचारी उपलब्ध हो रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कृषि की शिक्षा जो दी जा रही है वह इसलिये नहीं दी जा रही है कि उससे उपज बढ़े, इसलिये नहीं दी जा रही है कि किसान नये तरीकों को देखकर और सुनकर, उनको इस्तेमाल कर सकें, बल्कि वह इसलिये दी जा रही है कि कुछ लोगों को उसमें भर्ती करके उनको नौकरियां दी जायं। श्रीमन्, उसी का कारण यह है कि आज कृषि विभाग में भी हमारे जो गवर्नमेन्ट के मुलाजमीन हैं, उनमें अधिकतर वे लोग हो गये हैं जिनके पास खेती नहीं है, पुश्तों से कभी खेती नहीं की है, जिनको पता भी नहीं कि खेती कैसे होती है; और जैसा कि अभी अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनको यह भी नहीं मालूम कि जौ और गेहूं के पेड़ में फर्क क्या होता है। वही लोग आज कृषि की उन्नति को बतलाते हैं और यह कहते हैं कि कृषि का संचालन किस तरीके से होना चाहिये। यह चीज ऐसी है जिस पर एक संस्कृत का श्लोक है:

"अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च निरादरः, त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्ष्यं मरणं भयम्।"

यानी जिस जगह पर अपूज्य लोगों की पूजा होती है यानी जो व्यक्ति जिस चीज के लिये नहीं बना है, जिसको अच्छी तरह से नहीं समझता है, वह चीज अगर उसके जिम्मे कर दी जायगी तो यह तय है कि वह काम बिगड़ जायगा। कारण यही है कि आज उपज बराबर घटती जा रही है। आंकड़ों से दिखला दिया जाता है कि उपज बढ़ रही है

[कुंवर श्रीपालसिंह]

मगर बढ़ कैसे रही है इसको अगर हम पिछले ६ साल के आंकड़े देखें तो हमें मालूम होगा कि हम किस जगह पर हैं। जो हमारी बढ़ोत्तरी या घटोत्तरी हो रही है यह किसी कारण विशेष की वजह से नहीं बल्कि वह दैवी प्रकोपों और प्राकृतिक देन के कारण है। कभी समय पर बारिश हो गई, समय पर बीज बो सके, पछवा हवा चली मगर पहले नहीं चली इसलिये उपज बढ़ गई, इसलिये इसका श्रेय सरकार को हो, ऐसी बात नहीं है।

श्रीमन्, एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक कृषि की शिक्षा उन किसानों को नहीं दी जायगी जो कि प्रेक्टिकल खेती में लगे हुए हैं। खेती के जितने आज-कल वैज्ञानिक तरीके हैं वह जब तक उनके पास तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उत्थान होना बिलकुल असंभव है। उनके पास तक वह पहुंचेगा कैसे? आज गांव में कोई किसान का लड़का पढ़ना चाहता है तो पढ़ने के बाद वह चाहता है कि कुछ कमाऊं और जहां पर उसके बाप दादा थे उनसे आगे बढ़ूं और इसीलिये वह पढ़ाई पर रुपया भी खर्च करता है और पढ़ने के बाद अगर वह लौट कर गांव में जाता है खेती करने के लिये तो उसकी जो स्थिति होती है वह स्पष्ट सिद्ध है कि सरकार की तरफ से ४० एकड़ पर सीलिंग हो गई है। खेती के व्यवसाय को सरकार ने सील कर दिया है। वहां साल में ३,६०० रुपये से ज्यादा एक परिवार की आमदनी नहीं हो सकती। अगर एक परिवार में ५ व्यक्ति मान लें तो एक व्यक्ति की आमदनी एक महीने में ६० रुपये से अधिक नहीं हो सकती। यह भी गांव के सब से बड़े आदमी की। जब कि कृषि मंत्री जी, कृषि डायरेक्टर, कृषि के डिप्टी डायरेक्टर तो क्या उनका चपरासी तक ८५ रुपया माहवार तनख्वाह पाता है। फिर गांव में ६० रुपया माहवार कमाने के लिये कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त करे और गांव में जाकर खेती करे।

नये नये सुधारों के नाम पर भूमि का गलत सुधार किया जा रहा है और इसी ने हमारी उपज को घटा दिया है। अगर ये सुधार और स्थानों पर भी लागू किये गये होते तब तो कुछ आदर्श की बात भी होती। परन्तु केवल कृषि पर ही सुधारों को लागू किया जा रहा है। कृषि की पैदावार अधिक घटने का कारण एक यह भी है कि गन्ने की पैदावार ज्यादा होने लगी है क्योंकि उसमें लोगों को रुपया अधिक मिलता है। जब समाजवाद की व्यवस्था के अन्दर भौतिकवाद का प्रचार किया जायगा तो हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से ऊपर उठने की बात सोचेगा। इसलिये आज का किसान भी यही सोचता है कि मेरा आर्थिक उत्थान हो। उस समय यह नहीं सोचता है कि उसके इस कार्य से दूसरे लोग भूखों मरने लगेंगे। यही भौतिकवादी दर्शन सिखाता है। इसी विचारधारा के आ जाने से आज गन्ने की खेती बढ़ रही है और खाद्यान्न की खेती कम हो रही है। सरकार के आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि सन् ५४–५५ से लेकर आज तक गन्ने की खेती अधिक जमीन पर होती जा रही है। देखिये --

सन् ५४–५५	में	२०.४६	प्रतिशत में	गन्ने की खेती होती थी
५५–५६	में	२२.८५	"	"
५६–५७	में	२६.८५	"	"
५७–५८	में	३०.६६	"	"
५८–५९	में	३०.३१	"	"

इस प्रकार से देखा जाय तो मालूम होगा कि बराबर गन्ने की खेती बढ़ती जाती है क्योंकि गन्ने से किसान को ज्यादा रुपया मिलता है। उसकी उपज इसलिये नहीं बढ़ी है कि सरकार या माननीय मंत्री जी ने उसके लिये ज्यादा प्रयत्न किया हो।

अब क्योंकि सरकार ने राज्य व्यापार की योजना चला दी है इसलिये भाव निर्धारण करना सरकार के हाथ में आ गया है। यदि सरकार खाद्यान्न की उपज बढ़ाना

चाहती है तो गल्ले के दामों को इतना ऊंचा करके रखे कि उससे अधिक रुपया लोगों को मिल सके। रुपया तो सरकार ही बनाती है और वह भी कागज का, तो फिर क्यों नहीं सरकार गल्ले का भाव अधिक करती। इससे उसकी उपज बढ़ेगी और अरबों रुपया जो सरकार को हर साल बाहर भेजना पड़ता है वह बाहर जाने से बच जायगा।

इसके अतिरिक्त मैं अपने बचपन की एक बात श्रीमन् से निवेदन कर देना चाहता हूं। आज से २०–२५ साल पहले जितनी खेती में, बगैर सावन के महीने में चौमस जुताये, बगैर खाद डाले हुए तथा बगैर जोतकर मैदा बनाये हुए, २० मन फी बीघा पैदा होता था। उस वक्त जब कि बुवाई का वक्त होता था, थोड़ी सर्दी पड़ती थी, खेत पर किसान जाता था तो आग जला कर अपना शरीर गर्म करने के लिये घास की जड़ों को, जिन्हें देहाती भाषा में चीखुर कहते हैं, उनको जला कर तापता था; यानी जिस वक्त बोवाई होती थी उस वक्त खेतों में घास भी मौजूद रहती थी परन्तु फिर भी उपज २० मन बीघा पैदा होती थी। आज श्रीमन्, उन्हीं खेतों को जोतते-जोतते बैलों के गर्दन की चमड़ी कट जाती है, हलवाहे के तलुवे घिस जाते हैं और सांड़ी की चमड़ी भी टूट जाती है तथा जमीन की हालत यह होती है कि घास को कौन कहे उसमें मिट्टी के ढेले तक नहीं रह जाते हैं, मैदा ऐसी बन जाती हैं लेकिन जिस वक्त खेत की कटाई होती है उस तक ७ मन बीघा तक भी उपज का पहुंचना असंभव हो जाता है। इसके क्या कारण हैं? इसके लिये मैं यही कहूंगा कि "जहं जहं चरण पड़े संतन के, तहं तहं होइगा बंटाढार",

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन कर रहा हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने बड़ी चतुरता के साथ अपना भाषण इस सदन के सामने पेश किया और आंकड़ों के चक्कर में वे न पड़ें। क्योंकि आंकड़ों के चक्कर में जब कोई फंस जाता है तो उसमें से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। इन बातों को जानते हुए भी मैं इस सदन से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कृषि का जो मसला है वह ऐसा है जिस पर हम लोगों को पार्टी पोलिटिक्स से अलग रह कर इस सदन में डिस्कस करना चाहिये। चाहे कांग्रेसी हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे जनसंघी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, जब तक हमारे देश में कृषि का उत्पादन नहीं होता हम लोग जिन्दा नहीं रह सकते। जब तक हम लोगों का उत्पादन नहीं बढ़ता, जब तक इकोनामिक तौर पर हम आगे नहीं बढ़ते, तब तक हमारी जो राजनीतिक आजादी है, वह नहीं के बराबर है। उससे भी बदतर हालत हो सकती है। इसलिये हमको इस मसले को बहुत ही गहरे तौर पर देखना पड़ेगा और हमें उन फारमूलों को ढूंढ़ना होगा, जो आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे देश में खेती की पैदावार अधिक से अधिक बढ़ा सकें। हमारे माननीय मंत्री जी ने बतलाया और कहा कि सरकार साइन्टिफिक नालेज और रिसर्चेज को आम जनता के खेतों तक पहुंचाना चाहती है, यह बात सही है। परन्तु मैं बतला देना चाहता हूं कि जो प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है उसमें असफलता अधिक और सफलता कम हुई है। उसका कारण यह है कि हमारे बुद्धिजीवी लोग, हमारे साइंटिस्ट और सरकारी अफसरान यह देखने की कोशिश नहीं करते कि जो बीज वे किसानों को दे रहे हैं वह उसके खेतों में एक्लेमेटाइजेशन के लिहाज से सफल भी होगा या नहीं। क्या आप पूसा गेहूं को पहाड़ी स्थानों पर ले जाकर अच्छी ऊपज पैदा कर सकते हैं? हर्गिज नहीं। देखा गया है कि सरकार की तरफ से जो बीज जनता को दिया गया उसे उन्होंने अपने अपने खेतों में बोया तो उनकी फसल चौपट हो गयी और जिन किसानों ने अपने बीज को ही अपने खेतों में बोया, उनकी फसल अच्छी हुई। इसलिये सरकार को बीज बांटने वाली पालिसी को बदलना होगा।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

बीज देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि जिस स्थान के लिये बीज दिया जा रहा है वहां की आबोहवा में वह पनप भी पायेगा या नहीं।

दूसरी बात जो मैं और कहना चाहता हूं वह यह है कि इन सरकारी फार्मों का बोझ हमसे उठाने के लिये जो कहा जाता है, आखिर कब तक हम इस बोझ को उठाते रहेंगे। अगर स्टेटिस्टिक्स को देखें, उनकी पैदावार के आंकड़े देखें, उनके खर्चे को देखें तो पाते हैं कि किसी साल ४ लाख का घाटा हुआ, किसी साल ६ लाख का घाटा हुआ, किसी साल ३ लाख का घाटा हुआ तो किसी साल २ लाख का घाटा हुआ। सन् ५२ से लेकर आज तक इन फार्म्स पर हम घाटा ही घाटा देते आ रहे हैं जो हमारे लिये बड़े खेद की बात है। खेद ही नहीं बल्कि इसके लिये इससे भी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं इस्तेमाल करना चाहता। मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये कब तक अपने को कमजोरी से बचा सकते हैं, हम अपने उत्तरदायित्व से अपने को दूर रखते हैं अगर सही बात सदन में न लायें। कमजोरी से बचाने के लिये ही हर फार्म के साथ रिसर्च सेक्शन अटैच्ड है। रिसर्च का काम हर फार्म के दो-चार बीघे जमीन पर ही होता है और बाकी सारा फार्म मुख्तलिफ क्राप्स के उगाने में रखा जाता है। आप उस रिसर्च के क्षेत्र को अलग कर दें। क्यों हर फार्म के साथ कमियों को छिपाने के लिये रिसर्च लगी हुई है? आप रिसर्च को अलग करें। कब तक इस तरह से चीजों को छिपाया जायगा और नुकसान उठाया जायगा? यह कमियां देश की हैं, हम पर, आप सब पर, इनकी जिम्मेदारी है। आपने कभी सदन में नहीं बताया कि यह कमी क्यों है। अगर नुकसान है तो आप रिसर्च की जमीन निकाल कर बाकी फार्म्स को जिन के पास खेती नहीं है उन लोगों में क्यों नहीं बांट देते? क्या सरकार किसानी का काम करेगी? हर्गिज नहीं, यह मकसद नहीं हो सकता। अगर सरकार समझती है कि इस देश का कोई व्यक्ति खेती के काबिल नहीं है और खेती केवल सरकार के कुछ नौकर ही कर सकते हैं तो आप सारी खेती को सोशलाइज कीजिये और सरकार के अधिकार में सब खेती लीजिये और सारे भारत की खेती को एक कोआपरेटिव बना दीजिये, जैसी कि सरकारी स्कीम है। लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह के काम से हमें बहुत कड़ुवे और कटु अनुभव होंगे। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की गलतियां हमें दूर करनी चाहिये। यह तो समझने और देखने की बात है और जिन्होंने अपने कन्धों पर देश का भार लिया है वह देखें कि हम उसको कहां तक निभा रहे हैं। इस चीज को हर व्यक्ति को समझना चाहिये और अगर आज वह इस चीज को नहीं समझते तो वह भूल करते हैं और अगर वह मुल्क को नहीं समझते तो मुल्क भी उनको नहीं समझेगा। अगर आप आज भूल करते हैं तो मुल्क भी आपके साथ कल को भूल करेगा और वह भूल हमारे सामने आयेगी। मैं कहता हूं कि यहां सदन में पूज्य महात्मा गांधी की तस्वीर रखी जाती है, अगर आप यहां उनके सामने झूठ बोलने का प्रयास करते हैं तो आप मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आपने यह झूठ बोलने की बात किसके लिये कही?

श्री चन्द्रसिंह रावत--कोई भी स्टेटमेंट सरकार की तरफ से होता है और वह.... यह मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं, अगर सरकार....

श्री उपाध्यक्ष--आप अपने इस "झूठ" शब्द को वापस लीजिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत--वापस मैं सौ बार ले लूं मुझे कोई भी उज्र नहीं है। किसी भी गलती को वापस लेने में मैं मानवता समझता हूं, लेकिन जो गलत कदम उठाते हैं और अपने को ठीक समझते हैं और उस पर जोर देते हैं, मैं समझता हूं। वह गलती करते हैं। मैं एक बार नहीं हजारों बार अपने गलत स्टेटमेंट को वापस ले सकता हूं अगर वह

तथ्यहीन और गलत है और अगर वह देश को गुमराह करता है और पतन की ओर ढकेलता है, उसके लिये मैं हजार बार माफी मागूंगा अगर मैं समझूंगा कि मेरी बात से देश-वासियों को भ्रम है। बुद्धिजीवियों का कर्त्तव्य है कि वह ठीक दिमाग से मुल्क की समस्याओं को सोचें।

जहां तक एनीमल हस्बेंडरी की बात है, माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि इस विभाग में बहुत ही हार्टबर्निंग, बंगलिंग है और उसमें बहुत से सरकारी अफसरों को सैकअप भी किया गया है। इस विभाग पर अभी बहुत कड़ी नजर की जरूरत है। जो सीरम बीमारी के कंट्रोल के लिये तैयार किया जाता है उसमें बहुत गड़बड़ी है और वह दवा एफेक्टिव नहीं होती और अगर है तो मैं जानना चाहता हूं कि आज पशुओं की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। जो अफसर इसके लिये जिम्मेदार हैं उनको देखना चाहिये कि क्यों ऐसी बात है। अगर इस तरह से एक अफसर की गलती से मुल्क की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है तो क्या हम मुल्क के साथ न्याय कर रहे हैं? उन अफसरों के कंडक्ट को देखा जाना चाहिये, उनकी इंटेग्रिटी को देखना चाहिये। आपके सर्विस रूल्स में इंटेग्रिटी का सार्टीफिकेट दिया जाता है। जिसकी इंटेग्रिटी नहीं है उसको हाई इंटेग्रिटी का सर्टीफिकेट दिया जाता है तो हम अपने देश के प्रति, अपने आफिस के प्रति, जिसको मुल्क की कसम खाकर होल्ड करते हैं, क्या ईमानदारी है? क्या अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं? इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि जिस किसी आफीसर पर शक किया जाता हो, जो ईमानदार नहीं है, उसके खिलाफ जरूर ऐक्शन होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हर आफीसर के खिलाफ बेमतलब की इंक्वायरी होनी चाहिये; लेकिन जहां कमी दिखाई देती है वहां कदम उठाना चाहिये। यह हमारी ड्यूटी है। जो उस ड्यूटी को नहीं करता वह उसके काबिल नहीं है। जो कोई भी उसको डिफेंड करता है, कोई भी मंत्री या कोई अन्य व्यक्ति उसको डिफेंड करता है और इस तरह की कार्यवाही करता है जिससे देश बरबादी की तरफ जाता है तो वह मुल्क का दुश्मन है। वह विकास की ओर मुल्क को अग्रसर नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, यह भारतवर्ष तथा हमारा सूबा कृषि प्रधान है। करीब ७५ प्रतिशत लोग कृषि के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कृषि के कार्य में लगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी कोई दो रायें नहीं हैं कि किसी भी मुल्क में अगर कृषि की हालत सुधरी है तो उसमें तरह-तरह के उद्योग-धंधे पनप सकते हैं। वह मुल्क तरक्की कर सकता है। माननीय कृषि मंत्री जी ने आंकड़े पेश किये कि १९५१ से लगायत १९५९ तक इतनी उपज हुई। मुझे सुनकर बड़ी हैरत हुई कि अब तक उसमें डेढ़ परसेन्ट की बढ़ोत्तरी हुई है। कैसे हमारे भारत का उत्थान हो सकता है?

दूसरी बात, अगर कृषि के अन्दर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो पहले आपको सिंचाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आपको सिंचाई की सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जब सिंचाई के संबंध में देखा जाता है तो हालत यह है कि ट्यूबवैल्स और नहरों का--मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, सरकार की तरफ से ही यह बात कही गई है--जाल-सा बिछा हुआ है, लेकिन किसान पानी नहीं ले पाता है। सिंचाई का रेट अधिक है, तिगुना और पांच-गुना तक है। इसलिये मजबूर होकर अपने खेतों में पानी नहीं ले सकता है। इसलिये सिंचाई में कम से कम ५० परसेंट तक की छूट किसानों को मिलनी चाहिये। जहां पर ट्यूबवेल और नहर नहीं है वहां पर सिंचाई के लिये कुंओं का प्रबन्ध

[श्री रघुवीर राम]

होना चाहिये। दूसरे यू० पी० के अन्दर समस्त सूबे में मैंने यह देखा कि जितने तालाब थे और किसान जिनसे आबपाशी करते थे अब चन्द व्यक्ति उन तालाबों पर कब्जा कर लिये हैं, और खेती करते हैं और किसानों को उन तालाबों से पानी नहीं मिलता। मैं चाहूंगा कि ऐसे तालाबों का सरकार सर्वे कराये और जो लोग खेती कर रहे हैं उनको उचित मुआवजा देकर उन तालाबों को किसानों की आबपाशी के लिये रखे।

इसके अलावा बीज समय से नहीं दिया जाता है। जब खेत सूख जाते हैं तब बीज मिलता है, जिसके कारण पैदावार अच्छी नहीं होती। जिस समय किसान बीज लेने जाता है तो बड़े-बड़े किसानों को तो मिल जाता है, लेकिन छोटे किसानों को बीज मिलना मुश्किल हो जाता है। बड़े-बड़े किसान बीज ले जाकर दूसरे कामों में उसको लगाते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि खासतौर से छोटे किसानों को बीज मिलना चाहिये।

अगर वाकई आप खेती की तरक्की करना चाहते हैं तो खेत जब तक जोतने वालों के पास नहीं होगा तब तक पैदावार नहीं बढ़ सकती। हमें खुशी हुई जब यह सुना कि नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव आया कि सामूहिक खेती की जायगी साथ ही जमीन के ऊपर हदबन्दी होगी। लेकिन वह बिल अभी सेलेक्ट कमेटी में है और मुझे तो उससे निराशा हो चुकी है कि उसके द्वारा खेतिहर और गरीब मजदूरों को जमीन मिल सकेगी और जब खेत उनको नहीं मिलेगा तो पैदावार भी नहीं बढ़ सकती यह निश्चित है।

किसानों का लगान आज पहले से तिगुना हो गया है। १९४४ में लगान साढ़े सात करोड़ रुपये था, लेकिन जमींदार उसको १७ करोड़ रुपया करके वसूल करते थे। लेकिन आज वह लगान साढ़े बाईस करोड़ हो गया है, इसके अलावा उस पर तरह तरह के टैक्स भी लगाये जाते हैं तो आप बतायें कैसे वह तरक्की कर सकता है।

मैं कृषि मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं। नहरों द्वारा जो पानी दिया जाती है। नहर तो बड़ी दूर तक निकाल दी गई, जैसे हमारे गाजीपुर जिले में है चकिया चंदौली होते हुए बनारस डिवीजन से गाजीपुर को एक नहर जाती है और गंगा में मिलती है। गाजीपुर के लोगों के लिये तो वह नहर महज इसलिये निकाली गई कि अगर बरसात का पानी ज्यादा हो जाय तो उसको नहर द्वारा निकाल दिया जाय। हमारे यहां के किसानों को उससे पानी ही नहीं मिलता। गाजीपुर के किसानों में यह भ्रम है कि आखिर नहर निकाल कर सरकार हमें पानी क्यों नहीं दे रही है। इसी प्रकार हमारे थाना कासिमाबाद के मौजा रामगढ़ में सरकार ने पम्प कैनाल खोल रखी है और उस पर यह सरकार कम से कम २ लाख ७५ हजार रुपया खर्च कर चुकी है, लेकिन वहां किसानों को वक्त से पानी मिलना मुश्किल है। इसके अलावा वहां किसान नहर के रेट से भी घबड़ा उठे हैं और पानी इस नहर से नहीं लेते। जो किसान एक बार अपने खेत में पानी ले, जो दो बार ले और जो तीन बार ले, उससे उतना ही लिया जाता है; यह बात बहुत अन्यायपूर्ण है। मान्यवर, मैं खास तौर से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितनी नहरें बनी हैं उनके अन्दर जगह-जगह पर ठोकरें नहीं लगाई गयीं जिससे पानी निकल जाता है और कुलाबा तक नहीं पहुंच पाता, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि कुलाबा तक पानी पहुंच सके; वरना किसान फौजदारी करते हैं, बलवा करते हैं और पानी उनको नहीं मिल पाता।

श्री तिरमलसिंह (जिला एटा)—उपाध्यक्ष महोदय, जो समय मुझे आपने दिया है उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। कृषि का जो अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही है कि सरकार ने यह प्रयास किया है कि पैदावार बढ़े और कुछ बढ़ी भी है, लेकिन पैदावार बढ़ने के जिन साधनों में कुछ दिक्कतें हैं वे मैं सुझाव के रूप में सदन के सामने रखना चाहता हूं और मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस पर सोचें।

खेती का ऐसा मामला है जिससे और विभाग भी सम्बन्धित हैं। जैसे माल विभाग भी इससे सम्बन्धित है, विद्युत् विभाग, एग्रीकल्चर विभाग, पशुपालन विभाग, सभी इससे सम्बन्धित हैं और इस खेती के मामले में जो कठिनाइयां हैं वे खेती की पैदावार बढ़ाने में अड़चन डालती हैं और कुछ सरकार भी किसानों के साथ सौतेला बरताव करती हैं।

देश के अन्दर दो तरह की पैदावार है। एक तो कच्चा माल पैदा करने की जो बात है वह खेती से पैदा किया जाता है और दूसरा उद्योगों से। खेती से जो माल पैदा होता है उसको सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिये। इस उसूल पर प्राथमिकता मिलनी चाहिये कि १५ आदमी शहर में रहते हैं और ८५ गांव में रहते हैं। ८५ आदमी १५को खपा सकते हैं और १५आदमी ८५ को नहीं खपा सकते। इस आधार पर भी खेती को प्राथमिकता मिलनी चाहिये कि अगर देश का औद्योगीकरण किया जायगा और ८५ परसेंट की परचेजिंग कैपेसिटी गिरी रहेगी? तो उद्योग से बने माल को खरीदेगा कौन, इस लिहाज से भी ८५ परसेंट लोगों की कृषि की आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न सरकार को करना चाहिये। तीसरे श्रम पूंजी को पैदा करता है और बुद्धि पूंजी को पैदा नहीं करती। ८५ परसेंट श्रम है और १५ परसेंट बुद्धि है। बुद्धि केवल इन्तजाम कर सकती है। इस लिहाज से भी ८५ परसेंट को (यानी कृषि को) प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

इसके साथ-साथ में यह बात और कहना चाहता हूं कि उद्योगों तथा खेती के लिये जो सरकार कर्जा देती है उसमें भी भेदभाव बरता जाता है। गांव के खेतिहरों को जो कर्जा दिया जाता है वह ६ रुपया सैकड़े पर तकावी दी जाती है, ९ रुपये सैकड़ा पर कोआपरेटिव से कर्जा दिया जाता है और २५ रुपये सैकड़ा पर बीज दिया जाता है जबकि दूसरे हिस्से को जो शहरों में उद्योग करता है ३, ४ और ५ रुपये सैकड़ा पर कर्ज दिया जाता है। अब देखना यह है कि दोनों की फी व्यक्ति आमदनी क्या है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार खेती करने यानी गांव वालों की आमदनी किसी किताब में १८३ रुपये लिखी है, किसी में १९३ लिखी है और शहरों में उद्योग करने वालों की आमदनी ६७३ से ७०० तक लिखी है। बहरहाल, यह बात सही है कि गांव वालों से शहर वालों की आमदनी पांचगुनी है। एक ही सरकार है, एक ही साहूकार कर्जा देने वाला है मगर उसके दो प्रकार के ब्याज हैं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस नियम को वे बदलने की कोशिश करें।

दूसरे एक कानूनी दिक्कत यह है कि हमारे यहां एक कानून है बाढ़, क्षति और सूखा से फसल मारे जाने का। वह कानून सामाजिक न्याय नहीं मिलने देता। जहां तक कानून का ताल्लुक है वह एक साल में १६ आने नुकसान मांगता है जब किसान की पैदावार ६ मास में १६ आना है। जब गांव की फसल १६ आने मारी गयी तो कानून के तहत में ८ आने का नुकसान हुआ तो उस पर कोई छूट नहीं दी जाती है बल्कि लगान (आबपाशी) की वसूली अगले साल के लिये मुल्तवी कर दी जाती है और जब कोई उद्योग फेल हो जाता है तो उस पर कोई टैक्स तथा कर्जा नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूं कि आज जब हमारी सरकार है तो किसान को सामाजिक न्याय मिलना चाहिये और दोनों बागडोर सरकार को एक साथ साधनी चाहिये चूंकि सरकार यह दावा करती है कि वह ८५ फीसदी की सरकार है, किसान और मजदूर की सरकार है। दिक्कत यह है कि हमारे उपमंत्री जी शक्ल बदलने वालों में हैं, पैदा करने वालों में नहीं। इस कानूनी दिक्कत को अगर हमारे मंत्री जी दूर कर सकें तो यह बहुत अच्छा हो और पैदावार बढ़ाने में बहुत सहायक होगा।

दूसरा कानून किसानों को दबाने वाला लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट है। सरकार को रफाहे आम के लिये जमीन लेना है, ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर कोई कालोनी बनाने की बात होती है तो वहां भी सरकार बीच में पड़ कर १०० रुपये, १५० रुपये एकड़ जमीन दिलवा

[श्री तिरमलसिंह]

देती है और वही जमीन हमारे पास से जाने के बाद २० हजार रुपये की हो जाती है। मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के बनाये हुए इस पुराने कानून को बदलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---मेरा खयाल है कि यह माल विभाग का मामला है।

श्री तिरमलसिंह---मैं किसानों के सम्बन्ध की ही बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, आप इससे आगे बढ़ें, इसका ऐग्रीकल्चर विभाग से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री तिरमलसिंह---बहुत अच्छा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो जिस प्रकार मैंने अभी बताया कि कर्जा देने में सरकार की दोहरी नीति है उसी प्रकार विद्युत देने में भी उसकी दोहरी नीति है। खेती के विकास के लिये ट्यूबवेल से १९८ रुपये प्रति किलोवाट बिजली दी जाती है जिसका रिटर्न किसान पर आता है जबकि उद्योगों के लिये १६५ और १७५ रुपये प्रति किलोवाट बिजली दी जाती है। तो इसमें भी भेदभाव बरता जाता है। मैं चाहता हूं कि खेती के विकास के लिये जो विद्युत दी जाय उसके लिये एक से नियम हों कम से कम; वरना खेतिहरों को तो कम दर पर बिजली मिलनी चाहिये; और लाइन गारन्टी जो गांव के लिये है, छूटनी चाहिये।

अब जरा देखिये कि यह सब पैदावार हो जाने के बाद होता क्या है। मिसाल के तौर पर पारसाल फसल पर गेहूं १३ रुपये मन बिका, मगर बाद में २५-३० रुपये मन में कंज्यूम हुआ। बीच में जो १६-१७ रुपये का फर्क आया वह न किसान को मिला न उपभोक्ता को मिला बल्कि वह बीच वाले ले गये। तो इससे अर्थ व्यवस्था का ठीक समन्वय नहीं हुआ। १७ अरब का व्यापार हुआ हिन्दुस्तान में, २५-३० अरब गांव वालों को देना पड़ा और २०-२१ अरब बीच वाले ले गये। तो सरकार इन बातों पर ध्यान दे और सोचे। इसके अलावा जब तक किसान को उसकी पैदावार का पूरा मूल्य नहीं मिलेगा तब तक पैदावार बढ़ाने में वह हतोत्साह रहेगा, उत्साह नहीं होगा। अब सवाल इस बात का है कि सिद्धान्त क्या है पैदावार बढ़ाने का और दिक्कत क्या हो रही है। जहां तक गन्ने का ताल्लुक है, मैंने दो तीन बातों की चर्चा की। जहां तक गन्ने का मामला है वह ऐसा है कि जब चीनी की कीमत ३६ रुपये ८ आने तय की जाती है तो उस हिसाब से गन्ने की कीमत भी २ रुपये चार आने मन होनी चाहिये। लेकिन सरकार बीच में पड़ कर सुपर टैक्स, सेल्स टैक्स और न जाने क्या-क्या टैक्स लगाकर गन्ने की कीमत १ रुपये ७ आने मन तय करती है और मिल गेट पर १ रुपया १० आने मन तय करती है। सरकार बीच में १५-१६ करोड़ रुपया ले लेती है तो क्या वह सारा रुपया गन्ने के विकास पर खर्च करती है?

इसके अलावा और भी कई बातें हैं। मैं उनकी भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। यह जो सरकार सीलिंग का कानून ला रही है इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है। जो नेशनल सैम्पुल सर्वे हुई थी उसके हिसाब से ५ लाख ८२ हजार एकड़ जमीन भूमिहीनों को देने के लिये मिल सकती थी, लेकिन सरकार जो ४० एकड़ से लेकर १४० एकड़ तक की सीलिंग करने जा रही है उससे कुछ भी जमीन भूमिहीनों को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप यह करने जा रहे हैं कि कृषि आय-कर जो कम होगा---उसके लिये आप छोटे किसानों के लगान को बढ़ा रहे हैं और बजट में जो रेवेन्यू की २ करोड़ ३३ लाख की कमी दिखाई है उसको आप इस तरह से पूरा करने जा रहे हैं। जो अभी रिहर्सल तहसीलों में आप ने करवाया है उसमें एक आना रुपया ८ वर्ष पिछले लगान पर बढ़ाया है और बाग तथा मीरदार का लगान बहुत अधिक बढ़ाया है। आपकी कर नीति से बड़ों को फायदा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त हुआ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं; और इस आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार, भले ही संख्या के बल पर फर्जी आंकड़े दिखा कर इस अनुदान को सदन से पास करा ले; लेकिन जिस प्रकार से कानूनी गड़बड़ी और ब्यूरोक्रेसी से प्राप्त संख्या से उत्पादन बढ़ाने की चर्चा का जिक्र सदन में किया गया है, उससे आने वाली जनता सरकार को इस तरह से खर्च करने की इजाजत नहीं देगी। इस प्रदेश की आज ८०–९० फीसदी गरीब जनता देहातों में रहती है और उसका जीवन मरण कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा उसका और कोई दूसरा जरिया आजीविका का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी सरकार के आंकड़ों से मालूम होता है कि देहाती जनता की आमदनी प्रति व्यक्ति १६ रुपये प्रति मास पड़ती है और उसके कर्मचारी और सेवक १,००० रुपये महीने तनख्वाह लेकर यदि सेवा कार्य करें तो कैसे इस मुल्क का कल्याण हो सकता है? अगर शहरी लोगों की आमदनी को देखा जाय तो वह करीब ५६ रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमास आती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जब हमारी जनता की औसत आय २२ रुपये प्रतिमास है तो किसी भी कर्मचारी चाहे कुछ भी उसकी शिक्षा हो और वह किसी भी जिम्मेदारी की पोस्ट पर हो, २२० रुपये महीने से ज्यादा तनख्वाह पाने का हक नहीं है। इसलिये इस नीति में परिवर्तन होना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि किसान जमीन के मालिक हैं और पैदावार बढ़ रही है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार पैदावार नहीं बढ़ायी जा सकती। आप कृपा करके उन कानूनों में सुधार करें। जिसके जरिये आप आंकड़े प्रस्तुत करते हैं और उत्पादन का औसत निकालते हैं, वह तरीका बिलकुल गलत है। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि यह जो आप कटिंग स्कीम है उससे सही आंकड़े आप नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि भूमि जो तीन तरह की है भाठ, बांगर या नदी का कछार, इन तीनों प्रकार की जमीनों के एक एक गांव आप ले लें और उनमें जो तीन प्रकार की मिट्टी होती है, गोंइड, मांझा और पालो, इस प्रकार से प्रत्येक खेत की खेती काट कर उसके औसत से उपज के आंकड़े आप निकालेंगे तो आपका अन्दाजा सही होगा। उसी के साथ साथ जो आज कानून की गड़बड़ी है और उसकी गड़बड़ी से जिस खेत में आज फसल नहीं पैदा की जाती है। आज आप एन्क्वायरी करें तो मालूम होगा कि जो जमीन परती पड़ी हुई है, जिस जमीन पर आज बाजार लगता है, जिस पर मकान खड़े हैं, उन पर भी आज गेहूं, ज्वार और जड़हन की फसल लिखी हुई है। वह भी आपके आंकड़ों में प्रस्तुत किये जायेंगे और इस प्रकार आप गलत और फर्जी उत्पादन के आंकड़े सदन में प्रस्तुत करेंगे।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने अभी अपने बजट के अनुदान के सिलसिले में कहा कि किसान जमीन का मालिक है। वह मालिक नहीं है। अगर आप इस तरह की गलत बात कहते हैं तो इस बात को देखें कि इस प्रदेश में ऐसी भूमि जिसमें भूमिधरी के अधिकार मिले हुए हैं पूरे क्षेत्रफल का १/३ उसका लगान है ४ करोड़ ८० लाख और जो सीरदारी की जमीन २/३ है, उसका लगान है १५ करोड़ ६० लाख। इस तरह से २/३ जमीन ऐसी सीरदारी है जिसके मालिक सीरदार नहीं हैं और न जिनको किसी प्रकार का अधिकार है, न वह उस भूमि को बेंच सकते हैं, न किसी को दे सकते हैं। आप साधन तो सभी को दे नहीं सकते, न सरकार के पास इतना पैसा ही है कि वह हर एक के लिए साधन मुहैया करे। तो ऐसी हालत में जो लोग दूसरों का खेत जोत कर उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उनको जमीन देने का अधिकार आप उन लोगों को दें जिनके पास काफी खेत है लेकिन किसी कारण वह कमजोर हैं, खेत जोत नहीं पाते, परती रह जाता है। उसको वह उठाने भी नहीं पाते हैं इससे पैदावार में कमी पड़ती है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अगर पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो अपने कायदे कानूनों में कुछ इस तरह का

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

परिवर्तन करें। संयोग से हमारे पूर्व माल मंत्री जी भी मौजूद हैं, लेकिन उनका तो कुछ उल्टा दिमाग है कृषि के बारे में सोचने का। उनसे क्या कहूं? मगर मैं निश्चित इस राय का हूं कि आप एन्क्वायरी करायेंगे तो सही मालूम हो जायगा। देवरिया जिले में रामकोला एक जगह है जहां मार्केट लगती है, लेकिन वह जमीन भूमिधरी दर्ज है और उस पर फसल लिखी जाती है। इसी तरह से कठकुइयां एक रेलवे का स्टेशन है, बहुत बड़ा गन्ने का सेंटर है। वहां जिस जमीन पर बाजार लगती है उस जमीन में जड़हन की फसल लिखी हुई है। तो इस तरह की पड़ताल से जो आंकड़े आप एकत्रित करेंगे उससे देश का कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं फिर आपसे कहता हूं कि जब तक गांवों के ८० प्रतिशत किसानों की तरफ ध्यान आप नहीं देंगे तब तक पैदावार नहीं बढ़ सकती है। इसके लिए सीरदारी, भूमिधरी सब समाप्त करके केवल एक ही तरह का अधिकार आप जमीन के सम्बन्ध में उनको दें जिसमें सब प्रकार का अधिकार हो। अगर आप यह समझते हैं कि खेत किसी के पास ज्यादा है तो ले लीजिए, सहकारी खेती करिये या चाहे जो करिये, लेकिन यह असमानता और यह विभिन्नता खत्म कीजिए। यह व्यवस्था समाप्त कीजिए कि एक तरफ तो खेत परती रहे और दूसरी तरफ उसमें फसल की पड़ताल हो।

इसके साथ ही मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सिंचाई का प्रबन्ध करना चाहते हैं, तो माननीय मन्त्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि अब भी इतने वर्षों के अनुभव के बाद जो आपने देखा उससे आपको अनुभव प्राप्त हुआ होगा। सिंचाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि अब भी आप एक एन्क्वायरी कराइए कि वह कौन सी भूमि है जिसमें कुएं से सिंचाई सम्भव है, कौन सी भूमि है जिसमें ट्यूबवेल से सिंचाई सम्भव है और कौन सी भूमि है जिसमें नहर से पानी देना ठीक है। इस प्रकार की इन्क्वायरी के बाद जहां कुओं की जरूरत है, वहां कुओं का प्रबन्ध कीजिए, जहां नलकूपों की जरूरत हो वहां नलकूप दीजिए और जहां नहर की जरूरत हो वहां आप बाद में ही व्यवस्था कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जगह सब साधन इकट्ठे कर दिये जायं। एक बात और भी है कि जिन कुओं के निर्माण में सरकार ने एक परसेंट भी सहायता दी हो, अनुदान दिया हो, उन कुओं को व्यक्तिगत स्वामित्व से आप निकाल लीजिए और उनको गांव सभाओं के सुपुर्द कीजिए ताकि ठीक तरह से उनसे सिंचाई हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी मेहनत करने के बाद, अगर किसान खून पसीना एक करके पैदावार बढ़ाता है और उस पैदावार का उचित मूल्य आप उसे नहीं दिलवा सकते, तो इसका प्रभाव उस उत्पादक वर्ग पर जरूर पड़ेगा जो इतना परिश्रम इस मुल्क को खिलाने के लिए करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से इस राय का हूं कि जो मेहनत करने वाले हैं, जो प्रदेश में उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिनसे पैदावार बढ़ती है, उनको उचित मूल्य मिले। मैं सहकारी मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आज गन्ने की जो हालत है, उसकी कीमत की जो हालत है, वह किसी प्रकार से सन्तोषजनक नहीं है। आप डींग मारते हैं कि हम सहकारी खेती में विश्वास करते हैं और समाजवाद की स्थापना यहां पर करना चाहते हैं; लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब हम पहले गन्ना बोते थे और उसको कोल्हू में पेरते थे, तो उस समय हमको १०० रुपये में ७६ रुपया मिलता था और २४ रुपया भाड़े का खर्चा निकल जाता था। जब अंग्रेजी राज्य में चीनी का व्यवसाय चला तो हमको ६३ फीसदी मूल्य मिलता था, लेकिन जब यहां पर माननीय गौतम जी पधारे, जो कि सहकारी खेती के हामी हैं और समाजवादी सरकार के नमूने हैं, तब हमको ४० फीसदी ही मिलता है। अंग्रेजी जमाने में गन्ने की कीमत पर हमको ६३ फीसदी मिलता था, लेकिन अब इस सरकार के जमाने में ४० फीसदी ही रह गया है। कहां यह ६३ और ४० का अनुपात है। अगर समाजवादी राज्य होगा तो क्या उसमें इसी प्रकार से गन्ने के दामों में कटौती होगी? केन्द्रीय सरकार, प्रदेशीय सरकार और केन डेवलपमेंट विभाग, ये सब मिलकर गन्ने पर आधा ले लेते हैं और आधा किसान को देते हैं। अगर दो वर्ष तक मेहनत करके गन्ना पैदा करने वाले किसान

को आप आधा हिस्सा ही देंगे तो फिर यहां पर समाजवाद का निर्माण होने वाला नहीं है । उन किसानों को अगर यह सरकार उचित मूल्य नहीं दिलाती है तो सरकार देश का लाभ करने वाली नहीं है । क्या वह इसलिये गन्ना बोये कि मिल मालिकों का मुनाफा हो और सरकार उन किसानों से टैक्स का रुपया वसूल करके उन कर्मचारियों में बांट दे जिनको कोई अनुभव नहीं है और जिनका कोई खेती से सम्बन्ध नहीं है और जो धरती पर बैठ नहीं सकते हैं ? ऐसे कर्मचारियों से देश का कल्याण होने वाला नहीं है और क्या इससे देश की गरीबी दूर हो सकती है जिसके लिये मंत्री जी कहते हैं कि वे गरीबी दूर करना चाहते हैं ? नहीं ।

इसके साथ ही दूसरी बात मुझे यह कहना है कि आपका एक विभाग कोआपरेटिव सोसाइटी का काम करता है । सब जगह कोआपरेशन है जो बीज देते हैं, खाद देते हैं और साथ ही कर्जा भी देते हैं, लेकिन जिनके पास जायदाद नहीं है उनको इस सहकारिता या कोआपरेटिव सोसाइटी या साधन समितियों से एक पैसा भी कर्जा मिलने वाला नहीं है और न मिलता है । यह सरकार उनको कर्जा देती है जिनके नाम कुछ न कुछ जायदाद होती है । तो जब तक हर गरीब के लिये कोई सुविधा कर्जा देने की इस समाजवादी राज्य में नहीं होगी तब तक समाजवादी राज्य की स्थापना करने की बात करना एक धोखा है । साथ ही अगर किसी के जिम्मे किसी प्रकार से कर्जा बाकी रह जाता है तो उससे जुर्माना वसूल किया जाता है जो १९ फीसदी जोड़कर वसूल किया जाता है । अगर आप उसकी मदद कर्जा देकर करना चाहते हैं और किसी प्रकार से उसके ऊपर कर्जा बाकी रह जाता है तो उसको १९ फीसदी रुपया जोड़कर वसूल नहीं करना चाहिये । मैं समझता हूं इस अनीति को आप दूर करें । जैसे कर्जा साधारणतः आप स्टेट बैंक से लेते हैं और उसके ऊपर आप बैंक को २ रुपया सूद देते हैं और सोसाइटी को आप ४ परसेन्ट पर देते हैं और सोसाइटी वह कर्जा ७ फीसदी पर देती है उसी प्रकार निश्चित सूद पर इनको दिया जाय और वही सूद इनसे लिया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा । यह अलग से १९ फीसदी जोड़कर वसूल करने का कोई मतलब नहीं है । मैं चाहता हूं कि आप इस नीति में परिवर्तन करें ।

*श्री शिववचन राव (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेती को बढ़ाने के लिये चार चीजों की आवश्यकता होती है । बीज, पानी, खाद और जानवर । यह चार चीजें सरकार की तरफ से हर तरह से मुहइया की जा रही हैं । जितना सम्भव हो सकता है उतना मुहइया करने की कोशिश की जा रही है । मैं जानवर के सम्बन्ध में आपसे बतलाऊं कि छोटे-छोटे और बड़े-बड़े गांवों में खासतौर से हमारे पूर्वी जिलों में गांव वाले सांड़ छोड़ा करते थे । इससे नस्ल खराब हो जाती थी और वे फसल भी खराब करते थे । नस्ल और फसल दोनों बर्बाद होती रहीं । आज सरकार की तरफ से पंजाब और अन्य जगहों से हरियाना और दूसरी नस्लों के जानवर मंगा कर विकास खंडों में रखे गये हैं और उनको ५० या ६० रुपये में मुहइया किया जाता है । इन जानवरों से, जो जानवर पैदा होते हैं, वे मजबूत होते हैं, बलशाली होते ह और बड़े होते हैं । पहले का बछवा जहां १०० रुपये या १५० रुपये का बिकता था आज इन से पैदा जानवर ४०० और ५०० रुपये के बिकते हैं और इनसे खेती के काम में विशेष सहायता मिलती है । दूध वाले जानवर भी विकास खंडों द्वारा किसानों को मुहइया किये जा रहे हैं और किसान उनसे फायदा उठा रहे हैं । खाद इतनी ज्यादा मात्रा में आ गई है कि जो किसानों के उपयोग में नहीं आ सकती । किसान उसको ले रहे हैं और खाद डालकर फायदा उठा रहे हैं । बीज भी किसानों को मिल रहा है और वे खेती में शनैः शनैः तरक्की कर रहे हैं । सहायता की बाढ़ जैसी आनी चाहिये वह तो जरूर नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से कदम उठाये जा रहे हैं । पूर्व के जिलों में सिंचाई के साधन पहले नहीं थे । नहर और ट्यूबवेल वहां कहीं-कहीं ही देखने को मिलते थे । आज शायद ही ऐसी कोई तहसील वहां हो जहां सिंचाई के साधन न हों । जहां तक हो सकता है, सरकार की ओर से ट्यूबवेल का प्रबन्ध किया गया है और सूखे के जमाने में किसान उनसे लाभ उठा रहे हैं । यह ठीक है कि हर जगह पर ट्यूबवेल और नहर का इंतजाम नहीं है और उसकी आवश्यकता है, लेकिन मेरा खयाल है कि धीरे-धीरे यह सब हो जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिववचन राव]

हम लोग किसानों के बीच से आये हैं । हम लोगों को जानकारी है कि किसान बीज के लिये पहले किस तरह से परेशान होता था । महाजन उससे ड्योढ़ा और सवाया लेता था ६ महीने में और किसान हर वक्त मुसीबत में रहता था । कहीं-कहीं तो लेन-देन का हिसाब लड़कों और नातियों तक चलता था और वे कभी भी उसे चुका नहीं पाते थे । आज सरकार की ओर से उनके लिये बीज का इंतजाम है और कम सूद पर उनको रुपया दिया जाता है और किसान उससे लाभ उठा रहे हैं । जगह-जगह पर उनकी सोसाइटियां बन गई हैं और किसानों ने उस से लाभ उठाया है । पहले के महाजनों का ड्योढ़ा और सवाये का हिसाब करीब करीब खत्म हो गया है और ज्यादातर किसान इन सोसाइटियों से कर्ज लेकर अपने काम में उस रुपये को लाते हैं और तरक्की करते हैं । हां, इतना जरूर है और मैं उसे आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लोन-देने का तरीका है, वह गलत है । जिन लोगों के पास जमीनें हैं, जो मालदार किसान हैं, उन्हीं को वह पैसा मिल पाता है और जिनको वास्तव में जरूरत होती है उनको पैसा नहीं मिल पाता है । मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन गरीब आदमियों की साख के लिये, जमानत के लिये, वहीं गांव में आदमी मिल सकते हैं जो उनकी जमानत कर सकते हैं । वे बड़े ईमानदार आदमी होते हैं, वे जो रुपया कर्ज में लेंगे वे उसे अदा भी कर देंगे । आपका रुपया मारा नहीं जायगा । मेरा निवेदन यह है कि उन लोगों को सहायता दी जाय । जो छोटे-छोटे किसान हैं, जो गाय, भैंस, बकरी, बैल आदि पालते हैं, उनकी भी एक हैसियत होती है । सरकार की तरफ से उनकी हैसियत का एक मापदंड भी होना चाहिये । जो जिसकी हैसियत हो, उसकी हैसियत तथा उसकी जरूरत के अनुसार उसको लोन मिलना चाहिये ताकि वह अपनी जरूरत को पूरा कर सके । इससे देश का भी विकास होगा और पैदावार भी बढ़ेगी । आज जो बड़े-बड़े जमींदार लोग हैं, उसका वही फायदा उठा रहे हैं । सरकार की तरफ से इस बात की निगरानी रखी जाय कि वह रुपया गलत तरीके से उनके पास न पहुंचे । वे कई-कई तरह से, कई-कई रीतियों से सरकार से कर्ज ले लेते हैं और फिर उसको अधिक सूद पर उठा कर उससे फायदा उठाते हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर चूंकि कांग्रेसी सरकार है, इसलिये यह विरोधी दल वाले तरह-तरह की नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन जहां-जहां विरोधी दल की सरकारें बनीं, वहां वहां पर उन्होंने उनकी आलोचना नहीं की । केरल में जब वहां की सरकार का बजट आया तो वहां पर सभी विरोधी पार्टियों ने आंख मूंद कर समर्थन किया । लेकिन जहां कांग्रेसी सरकार है वहां आप हर तरह की नुक्ताचीनी करने लगते हैं । हर बजट में कुछ न कुछ कमी रहती है, और रहेगी, यह स्वाभाविक है । लेकिन सच्चाई तो वहां पर है जहां कि आप विरोधी पार्टी द्वारा प्रस्तुत बजट की भी उसी तरह आलोचना करें जिस तरह की आप हमारे बजट की आलोचना करते हैं । इससे न समाज का ही भला हो सकता है और न पैदावार ही बढ़ सकती है । पैदावार बढ़ाने के लिये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, वे चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों ।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपके भाषण का समय समाप्त हो गया ।

श्री गयाबख्शसिंह (जिला सुल्तानपुर)—मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का मौका दिया । यह निर्विवाद है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । मैं आंकड़ों के जाल में नहीं फसूंगा । मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है तो हमें विश्व के सामने अनाज की भीख मांगने की स्थिति में ज्यादा कोई आनन्द नहीं आता । स्वराज्य मिला, फिर भी मुझे भीख मांगने का ही भाग्य मिला तो स्वराज्य जरा मंहगा पड़ा । कृषि के लिये मैं तो समझ नहीं पाता कि पंचवर्षीय योजनाओं का पहाड़ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, न जाने दशम तक जायगा या इससे भी आगे ले जाने की सरकार की योजना है, मैं इस भ्रम में हूं । क्या ५० साल से भी आगे पंचवर्षीय योजनाओं को ले जाने की जरूरत है ? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे एक किस्सा याद आता है, जिसका सभी को अनुभव होगा कि अस्पताल में कभी चोट लगने पर अगर रोगी जाता है तो उसपर प्लास्टर आफ पैरिस बांधा

जाता है । अगर पैरिस प्लास्टर ही बांधा गया और २१ दिन के बाद खोलने पर भी, जैसे कि प्लास्टर खुलने का २१ दिन का नियम है, फिर भी रीढ़ की हड्डी ज्यों की त्यों टूटी मिली तो मैं आप के द्वारा इस आदरणीय सदन से कहना चाहूंगा कि वह एक बड़ी भयंकर भूल होगी और हम कहीं के नहीं रह जायेंगे ।

कृषि और पशुपालन बड़े महत्व के विभाग हैं । पशुपालन का अगर उदाहरण ले लिया जाय तो यह धृष्टता नहीं होगी । अगर कहा जाय कि हमारे पशुपालन विभाग के जो केन्द्र बनाये गये हैं, जंगलों में ८–८, १०–१० हजार के पक्के भवन बनाये गये हैं जिन में लंगड़े, लूले पशुओं की व्यवस्था की जाने की बात कही जाती है तो मेरा तो ऐसा विश्वास है कि बजाय वहां पर रखने के उनको जल्दी से जल्दी स्वर्ग या नर्क में पहुंचाने की ही योजना अगर इंडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से की गई हो तो अतिशयोक्ति न होगी । पशुवर्द्धन कितना उत्तम है और कृषि का उससे कितना सम्बन्ध है और वह कितना हितकर हो सकता है, इसके कहने में मुझे समय खोने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं ? १४ वर्ष हो गये स्वराज्य को, अगर किसी के घर में उस समय बच्चे की पैदाइश हुई होती तो वह बालावस्था से गुजर कर जननी और जनक के लिये चिन्ता का विषय बनता कि इसके लिये फलने, फूलने का कोई साधन इकट्ठा करना चाहिए, मगर हम जहां पर थे वहीं पर रह गये, बल्कि उससे पिछड़ गये । अब क्या तरीका निकाला जाय ? एक किस्सा याद आता है । एक दिन एक लड़का मौलवी साहब के दरबार में कुछ देर करके पहुंचा । मौलवी साहब ने पूछा कि क्यों देर करके आये ? उसने कहा कि बारिश हो रही थी फिसलाव इतना ज्यादा था कि मैं दो कदम आगे चलता था तो चार पीछे पड़ जाते थे । मौलवी साहब आज के समय के मास्टर तो थे नहीं कि खामोश रहते और गुस्सा न करते । उन्होंने कहा कि मरदूद, यहां पहुंचा कैसे ? लड़के ने विनोद में कहा कि मैंने अपना मुंह घर की तरफ करके चलना शुरू किया, इस तरह से मैं स्कूल पहुंचा । तो अगर ऐसी कोई योजना हो कि हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री जिस पोर्टफोलियो को ले लेते हैं, जिस विभाग को ले लेते हैं, तो बजाय उन्नति होने के अवनति हो जाती है तो ऐसी कोई तरकीब निकाली जाय, कोई ऐसी योजना बनायें कि अवनति की तरफ चलना शुरू करें, सम्भव है कि उन्नति हो जाय । होता यह है कि अपने ही दल के लोगों से प्रशंसा सुन लेते हैं, "तू मरा हाजी बगो, मन तुरा हाजी बगोयम" । 'तू मुझे हाजी कह और मैं 'तुझे हाजी कहकर पुकारूं', दोनों हज कर आये चाहे बम्बई भी न देखी हो । देखना तो यह चाहिये कि "कहती है तुझको, खल्के खुदा गायबाना क्या ।" आज कोई ट्रेन में बैठा हो, पान की दूकान पर बैठा हो खेत में बैठा हो वह हमें क्या कहता है ?

४३१ लिखे पढ़े माननीय सदस्य यहां इकट्ठे होते हैं और कर्मचारीवर्ग उनकी सहायता और उनके आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें हर साल की तरह मोहर्रम का रोना आता है कि हाय फलाने, हाय ढेमाके । तो फिर क्या सुझाव हो सकता है ? बहुत से सुझाव दिये गये माननीय सदस्यों द्वारा । मैं एक सुल्तानपुर की घटना बता रहा हूं । जामू एक गांव है, बलभद्रपुर भी वहीं पर है तहसील मुसाफिरखाने में, वहां लोगों के खेत सूख रहे थे, नहर विभाग पानी नहीं दे रहा था तो उन्होंने अपने आप काटकर पानी सींच लिया तो सुनने में आया है कि नहर विभाग उनसे चार या पांच गुना तावान ले रहा है । मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी इसकी जांच करें । मैंने जिलाधीश को भी इस सम्बन्ध में पत्र लिखा तो उन्होंने कहा कि यह नहर विभाग का मामला है । मैंने कहा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं किया, अगर उन्होंने सूखे खेत से थोड़ा बहुत अन्न पैदा कर लिया तो वह हमारे आपके और जनता के ही काम में आयेगा । जिलाधीश ने कहा कि मैं मजबूर हूं लेकिन आपकी दरख्वास्त बढ़ा देता हूं । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ सुल्तानपुर में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में इस तरह की अव्यवस्था प्रचलित है । यद्यपि इस तरह की किसी की नीयत नहीं है, लेकिन शासन की कमजोरी के कारण ऐसा हो रहा है । आज अगर हम लोग कोई शिकायत करते हैं तो उसकी जांच गिर्दावर से

[श्री गयाबख्शसिंह]

करवाई जाती है जो कि ७५ रुपये का कर्मचारी होता है और वह ४–५ रुपये रोज किसी न किसी तरीके से बना लेता है। तो वह हमारी शिकायतों की जांच करता है और उसका निर्णय मान्य होता है। आपको ताज्जुब होगा अगर मैं यह बताऊं कि अंग्रेजी राज्य में किसी भी तहसील की मालगुजारी बकाया नहीं रहती थी, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि प्रान्त में क्या कोई एक भी ऐसी तहसील है जहां पर कि बेबाक वसूली हो गई हो? आज दशा यह है कि जिस तरह से बम्बई में पारसी मुर्दों के लिये जानवर शमशान में और घाट पर कछुये बैठे रहते हैं उसी तरह से हमारे वसूलियाबी के कर्मचारी अपनी पोथियों को लेकर, किसान का गल्ला खलियान से घर आता भी नहीं पहले से ही देखने लगते हैं।

खाद के सिलसिले में भी मैं कहना चाहता हूं कि क्या दशा है, कितनी कमी है। एक माननीय सदस्य से मंत्री ने कहा कि मेरे यहां से मंगवा लीजिये, जब जरूरत होती है मंगाई जाती है। सुल्तानपुर जिले से खाद फीरोजाबाद गई, ऐसी खबर अखबारों में आई। कहां तक सच है, कहां तक गलत है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन सरकारी तौर पर जो कारनामे किये जाते हैं, जो उद्योग-धंधे खोले जाते हैं, उनमें मुनाफाखोरी की नीयत ज्यादा रहती है। जनता के पास उस सामान को पहुंचा कर प्रगति की जाय, ऐसी धारणायें बहुत कम रहती हैं।

पशुपालन के सम्बन्ध में मैं बताऊं। मुर्गी पालन और मत्स्य विभाग हैं, गाय-भैंस भी पाली जाती हैं। १४ साल के राज्य में अभी हर गांव में यह सरकार सांड़ों की व्यवस्था भी नहीं कर सकी जब कि दाम ग्रामीण लोग देते हैं। कहीं ३० रुपये में और कहीं ५० रुपये में वह मिलता है और मंगाने की जिम्मेदार सरकार है। हमारे कृषि प्रधान देश के लिये पशुओं की नस्ल ठीक होना बहुत जरूरी है। मत्स्य विभाग में जाइये तो मछली के पेट को फाड़कर और मुर्गी के पेट को काट कर उसमें से अंडे निकाल कर आमलेट के रूप में सरकारी कर्मचारी खा जाते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३ मार्च, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४५ पर)

सूची 'क'

क्रम-सं०	कार्य का विवरण	जिला	स्वीकृत धनराशि १९५९-६०
१	२	३	४
	पर्वतीय जिले		
	पहारपानी-मोरनाला ..	अल्मोड़ा ..	०.७५
	चौकोरी से बेरीनाग को मिलाने वाली सड़क ..	अल्मोड़ा ..	१.००
	खैराना से बैतालघाट गरजिया ..	नैनीताल ..	२.००
	सतपुली-नौगांव खाल ..	गढ़वाल ..	१.००
	लिसकोट-बैजराव-थालीसेन ..	गढ़वाल ..	३.००
	चकराता टूनी	देहरादून ..	५.००
	भलडियाना लम्बगांव	टेहरी ..	३.२५
	८ पुल और मिलाने वाली सड़कें ..	टेहरी ..	४.००
	पूर्वीय जिले		
	पुल गोन्डा-बलरामपुर के पास राप्ती पर ..	गोन्डा ..	३.००
	पुल राप्ती पर और पोन्टून पुल बखला पर ..	गोन्डा ..	१.००
	भिन्गा-बरघर सड़क पर।		
	मिलानी वाली सड़कें लोकोमोटिव को ..	वाराणसी	
	(क) ग्रान्ड ट्रन्क सड़क-एल० सी० दूकान ..	,, ..	१.५०
	(ख) यूनीवर्सिटी से कारखाना ..	,, ..	१.५०
	बस्ती-मेहन्दावल सड़क ..	बस्ती ..	१.००
	बुन्देलखंड के जिले		
	पपरेन्दी-पैलानी	बान्दा ..	१.५०
	मोटर सड़क सीतापुर से रामघाट तक ..	बान्दा ..	०.२५
	ब्यासवे सीतापुर के निकट पैसवानी पर ..	बान्दा ..	०.५०
	ललितपुर-देवगढ़	झांसी ..	१.५०
	बानपुर-महरौनी	झांसी ..	१.२५
		योग ..	३३.०० लाख

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९--२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५१ पर)

तालिका

निम्नलिखित समाचार-पत्रों ने पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त वेतन मंडल की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू किया है

१--सियासत, कानपुर
२--डेली टेलीग्राफ, कानपुर
३--हिन्दुस्तान टाइम्स (कानपुर सप्लीमेंट), कानपुर
४--प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया, कानपुर शाखा, कानपुर
५--नेशनल हैराल्ड, लखनऊ
६--पायनियर, लखनऊ
७--नवजीवन, लखनऊ
८--स्वतंत्र भारत, लखनऊ
९--कौमी आवाज, लखनऊ
१०--अरुण (साप्ताहिक), मुरादाबाद
११--गुन्चा, बिजनौर
१२--मदीना, बिजनौर
१३--लीडर डेली, इलाहाबाद
१४--भारत, इलाहाबाद
१५--दैनिक आज, वाराणसी
१६--दैनिक बनारस, वाराणसी
१७--आजाद (दैनिक उर्दू), वाराणसी
१८--अमर उजाला (हिन्दी डेली), आगरा
१९--दैनिक जागरण, झांसी
२०--हमारी जुबान, अलीगढ़
२१--नागरिक, हाथरस
२२--नव प्रभात, आगरा
२३--प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, आगरा शाखा, आगरा

और निम्नलिखित समाचार-पत्रों ने वेतन मंडल की सिफारिशों को आंशिक रूप में लागू किया है

१--जागरण (हिन्दी दैनिक), कानपुर
२--विश्वमित्र, कानपुर
३--ऐडवान्स (अंग्रेजी दैनिक), कानपुर
४--प्रताप (हिन्दी दैनिक), कानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५५ पर)

पहली दुर्घटना के सम्बन्ध में मिल प्रबन्धक को विशेष सावधानी बरतने की ताकीद की गई।

दूसरी दुर्घटना के सम्बन्ध में आदेश दिए गए कि छत की पुरानी व कमजोर लकड़ियों को शीघ्र बदल दें। यह भी आदेश दिए गए कि ऐसी ऊंचाई पर काम करने वाले श्रमिकों को सेफ्टी बेल्ट दिए जायें और पर्याप्त सुरक्षा साधनों की व्यवस्था की जाय।

तीसरी दुर्घटना के विषय में मिल प्रबन्धकों का ध्यान ब्रेक लीवर ठीक रखने के विषय में आकर्षित किया गया।

विधान सभा दर्दुरा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६१ पर)

तालिका जिसमें इस वर्ष गन्ना बोर्ड बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त बैठक जो १६ सितम्बर, १९५९ को पटना में हुई, उसमें लिये गये निर्णय के विवरण दिये गये हैं ।

(१) १९५९–६० सीजन में उत्तर प्रदेश व बिहार में चीनी के मूल्य पर नियंत्रण न हटाया जाय तथा सारे देश में चीनी के मूल्य पर नियंत्रण लागू किया जाय ताकि प्रभावकारी हो सके, व

वर्तमान तथा आगामी सीजन १९६०–६१ के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य रु० १.७५ प्रतिमन निर्धारित किया जाय।

(२) गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त लाभ में हिस्सा दिलाने के लिये एक समिति निर्मित की जाय।

(३) शुगर रिकवरी तथा गन्ने की उपज प्रति एकड़ बढ़ाने के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जाय।

(४) उत्तर प्रदेश तथा बिहार अन्तर्राज्य सीमा प्रदेश में गन्ना विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिये उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार द्वारा कितना धन एलाट किया जाय इसके विषय में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा विचार करके निश्चय किया जाय।

अविभाजित मुद्रण

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६४ पर)

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज क्षेत्रों के कर्मचारियों के पद नाम व वेतन क्रम

क्रम संख्या	पद नाम		वेतन-क्रम
१	२		३
	गजेटेड पद—		
			रुपया
१	जनरल मैनेजर	..	६००–५०–१०००–दक्षता प्रतिबन्ध–१००–१,५०० ।
२	असिस्टेंट जनरल मैनेजर	..	२५०–२५–४००–दक्षता प्रतिबन्ध–३०–७००–दक्षता प्रतिबन्ध–५०–८५० ।
३	एकाउंट्स आफिसर	..	३००–२५–५५०–दक्षता प्रतिबन्ध–४०–७५० ।
४	असिस्टेंट एकाउंट्स आफिसर	..	२२०–१५–३७०–दक्षता प्रतिबन्ध–२०–४५०–दक्षता प्रतिबन्ध–२५–६७५ ।
५	सर्विस मैनेजर		४००–४०–८००–दक्षता प्रतिबन्ध–४०–१,००० ।
६	असिस्टेंट सर्विस मैनेजर	..	२५०–२५–४००–दक्षता प्रतिबन्ध–३०–७००–दक्षता प्रतिबन्ध–५०–८५० ।
७	स्टोर्स आफिसर	..	,,
८	स्टोर्स वेरिफिकेशन आफिसर	..	,,
	नान-गजेटेड पद—		
९	ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट	..	२००–१५–३५०
१०	सीनियर स्टेशन इंचार्ज	..	१५०–५–२००
११	जूनियर स्टेशन इंचार्ज	..	१००–२½–१२०–५–१५०
१२	असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर	..	७५–५–१००
१३	ड्राफ्टसमैन	..	१२०–६–१६२–दक्षता प्रतिबन्ध–६–२१०–दक्षता प्रतिबन्ध–१०–२५० ।
१४	ओवरसियर	..	१२०–८–२००–दक्षता प्रतिबन्ध–१०–३००
१५	कम्प्यूटर		,,
१६	एकाउंटेंट	..	१००–५–१२५–दक्षता प्रतिबन्ध–५–१६०–दक्षता प्रतिबन्ध–१०–२०० ।
१७	स्टोर्स सुपरिंटेंडेंट	..	२००–१०–३००
१८	स्टोर कीपर	..	१२०–८–२००–दक्षता प्रतिबन्ध–१०–३००
१९	असिस्टेंट स्टोर कीपर	..	७५–५–१२०
२०	कैशियर	..	१५०–७½–१८०–दक्षता प्रतिबन्ध–१०–२००
२१	असिस्टेंट कैशियर	..	७५–२½–१००
२२	हेड क्लर्क	..	११०–६–१४०–दक्षता प्रतिबन्ध–१०–२००–दक्षता प्रतिबन्ध–२०–२४० ।

क्रम संख्या	पद नाम		वेतन-क्रम
१	२		३
			रुपया
२३	स्टेनोग्राफर ग्रेड १	..	१००–५–१२५–दक्षता प्रतिबन्ध–५–१६०–दक्षता प्रतिबन्ध–१०–२०० ।
२४	,, २	..	७५–४–९५–दक्षता प्रतिबन्ध–५–१५०
२५	जनरल क्लर्क	..	८०–६–११०–दक्षता प्रतिबन्ध–६–१४०
२६	स्टेटिस्टीकल क्लर्क	..	,,
२७	जूनियर क्लर्क	..	६०–४–८०–दक्षता प्रतिबन्ध–४–१००
२८	असिस्टेंट बुकिंग क्लर्क	..	४०–२–६०–दक्षता प्रतिबन्ध–४–८०
२९	कंडक्टर सिटी बस सर्विस मैट्रिक		६०–४–८०–दक्षता प्रतिबन्ध–४–१००
३०	कंडक्टर रूरल मैट्रिक	..	,,
३१	कंडक्टर सिटी बस सर्विस (नान-मैट्रिक)	..	४५–२–६५–दक्षता प्रतिबन्ध–३–८०
३२	कंडक्टर रूरल (नान-मैट्रिक)	..	४०–३–७०
३३	क्लीनर कंडक्टर	..	३५–३–५०
३४	सीनियर फोरमैन ग्रेड 'अ'	..	३००–१०–४५०
३५	,, 'ब'	..	२००–५–२५०–दक्षता प्रतिबन्ध–१०–३००
३६	जूनियर फोरमैन	..	१५०–५–२२५
३७	इलेक्ट्रिशियन	..	,,
३८	मैकेनिक	..	१००–५–१५०
३९	असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन	..	१००–५–१५०
४०	टिनस्मिथ	..	१००–५–१५०
४१	असिस्टेंट मिकैनिक	..	७५–२ १/२–१००
४२	वल्केनाईजर	..	,,
४३	ब्लेकस्मिथ	..	,,
४४	टर्नर	..	,,
४५	वेल्डर	..	,,
४६	फिटर		५०–२–७०
४७	अपहोल्सटरर	..	५०–१–६०
४८	कारपेंटर	..	,,
४९	पेन्टर	..	,,
५०	ड्राइवर	..	४५–२–६५–दक्षता प्रतिबन्ध–३–८०
५१	क्लीनर	..	३२–१–३७
५२	असिस्टेंट वल्कनाईजर	..	,,
५३	हैमरमैन	..	,,
५४	दफतरी	..	,,
५५	जमादार	..	,,
५६	भिश्ती	..	रु० ३३ मासिक उनके लिये जो २१–१०–५५ के पहले नियुक्त हुये हैं । बाद वालों के लिये २७–१/२–३२ या २२–१/२–२७

क्रम-संख्या	पद नाम		वेतन-क्रम	
१	२		३	
				रुपया
५७	अर्दली चपरासी	..	२७–१/२–३२	
५८	चपरासी	..	२७–१/२–३२ अथवा २२–१/२–२७	
५९	वाटर ब्वाय	..	,,	
६०	चौकीदार	..	,,	
६१	मजदूर	..	२७–१/२–३२ अथवा २२–१/२–२७	
६२	मेहतर	..	२७–१/२–३२ अथवा २२–१/२–२७	
६३	मोची	..	२०–१–३०	

रेलवे आऊट एजेंसी स्टाफ

१	स्टेशन मास्टर	..	१५०–५–२००	ये पद अब आउट एजेंसी क्लर्क के नाम से हैं।
२	गुड्स क्लर्क	..	६०–४–८० दक्षता–प्रतिबन्ध–४–१००	
३	क्लर्क इंचार्ज	..	,,	
४	पार्सल क्लर्क	..	,,	
५	ट्रांसशिपमेंट क्लर्क ग्रेड १	..	,,	
६	,, ,, २	..	४०–३–७०	ये पद अब असिस्टेंट आउट एजेंसी क्लर्क के नाम से हैं।
७	असिस्टेंट पार्सल क्लर्क	..	,,	

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६५ पर)

सूची

गोंडा जिले के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा पद

क्रम-सं०	नाम विकास खंड	बी० डी० ओ०	ए० डी० ओ० एस० आई० बी० ए० एस०	ग्राम सेवक	ग्राम सेविका	लिपिक तथा प्रोग्रेस सहायक	ड्राइवर चपरासी तथा मेहतर	कुल संख्या	हरिजन कर्मचारियों की संख्या तथा पद
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	इंटिया थोक	१	३	१०	..	३	४	२१	१ चपरासी
२	मनकापुर	१	५	१०	२	४	५	२७	३ चपरासी
३	परसपुर	१	५	१०	१	३	८	२८	३ चपरासी
४	उतरौला	१	४	१०	..	३	६	२४	१ चपरासी १ सहायक विकास अधिकारी
५	बलरामपुर	१	६	१५	२	५	८	३७	३ चपरासी ३ ग्राम सेवक १ ए० डी० ओ०
६	झंझरी	१	४	१०	..	४	५	२४	
७	तरबगंज	१	५	१०	..	४	४	२४	
८	हरैया सतघरवा	१	५	१०	..	३	५	२४	१ लिपिक
९	कटरा बाजार	१	५	१०	..	३	६	२५	१ क्षेत्र विकास अधिकारी १ चपरासी ५ ग्राम सेवक
१०	हथियागढ़	१	५	१०	..	३	५	२४	१ क्षेत्र विकास अधिकारी
११	घारीघाट	१	४	१०	..	३	४	२२	१ चपरासी १ ग्राम सेवक
१२	रुपई डीह	१	..	५	..	१	१	८	
१३	नावा ..	१	..	५	..	१	१	८	
								२९६	२७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६५ पर)

उत्तर प्रदेश में स्थित शक्कर मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में राब बनाने वाले उन कोल्हुओं पर प्रतिबन्ध लगा है जो यंत्र शक्ति द्वारा चालित हैं। इसके अतिरिक्त समस्त प्रदेश में उन शक्ति चालित कोल्हुओं और पशुओं द्वारा चालित सात या सात से अधिक कोल्हुओं वाली बैलों पर भी प्रतिबन्ध लगा है जो खंडसारी शक्कर बनाने के लिये राब बनाते हैं।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७४ पर)

भ्रष्टाचार विरोधी समिति द्वारा अधिकारियों के पास भेजी गयी उन शिकायतों का जिलेवार ब्यौरा जिनको भेजे हुए ३१-१२-५९ को तीन महीने से अधिक हो गये थे और जांच की रिपोर्ट समिति को प्राप्त नहीं हुई :

क्रम-संख्या	जिला	शिकायतों की संख्या
१	सहारनपुर	१०
२	एटा	९
३	बरेली	२५
४	मुरादाबाद	११
५	पीलीभीत	३
६	फर्रुखाबाद	९
७	इटावा	२
८	गाजीपुर	१
९	गोरखपुर	२
१०	नैनीताल	२६
११	अल्मोड़ा	२
१२	गढ़वाल	४
१३	खीरी	२
१४	प्रतापगढ़	१२
१५	आगरा	१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर)

कवाल शहरों में सन् १९५३–५४ के वित्तीय वर्ष से लेकर प्रत्येक वर्ष नवम्बर सन् ५९ तक अलग-अलग डिनेचर्ड स्प्रिट और रेक्टीफाइड स्प्रिट की जितनी खपत हुई, उसके आंकड़ों की सूची

वर्ष			डिनेचर्ड स्प्रिट की खपत	रेक्टीफाइड स्प्रिट की खपत
		आगरा		
			गैलन	गैलन
१९५३–५४	..	..	५,२८३	२,९२६
१९५४–५५	..	..	८,७९०	३,५९९
१९५५–५६	..	..	१०,८३२	१,५२८
१९५६–५७	..	..	१२,७०१	३,३८३
१९५७–५८	..	..	१५,०१९	१,९५५
१९५८–५९	..	..	१९,९१४	२,२४६
१९५९–६० (अप्रैल से नवम्बर, ५९ तक)	..	..	१४,३२७	१,३२४
		लखनऊ		
१९५३–५४	..	..	४३,१७९	११,५८७
१९५४–५५	..	..	४३,७०३	९,६३,९०७
१९५५–५६	..	..	४०,०८९	११,०९०
१९५६–५७	..	..	४६,२७७	१०,८२२
१९५७–५८	..	..	४८,७६९	९,६२९
१९५८–५९	..	..	४८,९७२	९,९७६
१९५९–६० (अप्रैल से नवम्बर, ५९ तक)	..	..	३०,५५२	६,६८०
		वाराणसी		
१९५३–५४	..	..	१४,४०९	२६६.४
१९५४–५५	..	..	१४,५२८	३३१.५
१९५५–५६	..	..	१७,६६५	३७९.३
१९५६–५७	..	..	२१,२६९	५१७.९
१९५७–५८	..	..	२३,१५६	४९९.६
१९५८–५९	..	..	२१,६९३	४९१.४
१९५९–६० (अप्रैल से नवम्बर, ५९ तक)	..	..	१५,६९४	३३३.९

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

वर्ष			डिनेचर्ड स्प्रिट की खपत	रेक्टीफाइड स्प्रिट की खपत
		कानपुर		
			गैलन	गैलन
१९५३–५४	..	..	५९,४९९	८८०
१९५४–५५	..	..	६१,७६३	१,०१२
१९५५–५६	..	..	५९,१२९	१,४७८
१९५६–५७	..	..	६४,७४३	१,३९४
१९५७–५८	..	..	७७,४२६	७६५
१९५८–५९	..	..	८३,६४०	१,०६९
१९५९–६०	..	..	७५,२७२	७४०
(अप्रैल से नवम्बर, ५९ तक)				
		इलाहाबाद		
१९५३–५४	..	..	३०,२५४	२,८०१
१९५४–५५	..	..	३१,३४९	१,५५५
१९५५–५६	..	..	३१,७३९	१,९१३
१९५६–५७	..	..	३४,९५०	१,८१६
१९५७–५८	..	..	३६,६०५	१,९८५
१९५८–५९	..	..	३४,०२४	२,७७२
१९५९–६०	..	..	२१,८६८	२,३३८
(अप्रैल से नवम्बर, ५९ तक)				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४–५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७८ पर)

राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क

४—(क)

(ख) उत्तर ऊपर दिया जा चुका है।

(ग) राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क के निर्माण में ३१ मार्च, १९५९ तक ४,८४,५६,००० रु० की पूंजी लगी है।

(घ) इस समय फैक्टरी में कुल ६२० श्रमिक कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर खदान पर ७११ जेल श्रमिक तथा गोरखपुर के १११ श्रमिक भी काम कर रहे हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

(छ) राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क में श्रमिकों की नियुक्ति के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर तथा एम्पलायमेंट एक्सचेंज से प्रार्थना-पत्र मांगे जाते हैं तत्पश्चात् नियुक्ति Selection Committee द्वारा होती है।

(ज) जी हां, श्रमिक संघ है परन्तु यह तो संघ ही बता सकता है कि उसने श्रमिकों की भलाई के लिये कौन-कौन से काम किये हैं।

(झ) १९५६–५७ से इस फैक्टरी की प्रगति संतोषजनक रही है। सीमेन्ट का उत्पादन १९५६ में २,०१,२४८ टन से बढ़कर १९५९ में २,२१,३०९ टन हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्तमान फैक्टरी की उत्पादन क्षमता दुगुनी करने के हेतु जेकोस्लोवाकिया के मेसर्स स्कोडा को आवश्यक मशीनों का आर्डर दे दिया गया है और ६० प्रतिशत मशीनें अब तक आ गई हैं। निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। फैक्टरी का विस्तार पूरा होने पर सीमेंट का उत्पादन १,४०० टन प्रति दिन होने लगेगा। इसके अलावा इस फैक्टरी में एक Fire Bricks Manufacturing Plant का भी निर्माण हो रहा है।

५—राजकीय सीमेंट फैक्टरी में फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधायें श्रमिकों को दी जाती हैं :—

(क) बिना किराये का मकान,

(ख) मुफ्त बिजली और पानी,

(ग) मुफ्त चिकित्सा,

(घ) प्राविडेण्ट फण्ड,

(ङ) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं,

(च) जो श्रमिक धूल (dust) में कार्य करते हैं उन्हें गुड़, तेल, साबुन, सोडा, कपड़ा, जूता मुफ्त दिया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों और उनके बच्चों के लिये खेलकूद की भी सुविधायें हैं।

राजकीय सूक्ष्म यंत्र फैक्टरी, लखनऊ

४—(क)

(ख) उत्तर ऊपर दिया जा चुका है।

(ग) राजकीय सूक्ष्म यंत्र फैक्टरी में ३१ मार्च, १९५९ तक २३,८८,००० रु० की पूंजी लगी है।

(घ) इस फैक्टरी में ३५९ श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

(छ) इस फैक्टरी में श्रमिकों की भरती एम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा होती है।

(ज) जी हां, श्रमिक संघ है। परन्तु यह तो संघ ही बता सकता है कि उसने श्रमिकों की भलाई के लिये कौन-कौन से काम किये हैं।

(झ) १९५६–५७ में इस फैक्टरी ने १९,००४ जल मापक यंत्र (Water Meters) तथा ७६ सूक्ष्म दर्शक यंत्र (Microscopes) का उत्पादन किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन यंत्रों का उत्पादन क्रमशः ३६,००० तथा ३०० प्रति वर्ष हो गया है और स्टेथिस्कोप भी बनने लगे हैं। शीघ्र ही इस फैक्टरी में प्रेशर गेज तथा अन्य मेडिकल व सर्जिकल यन्त्र भी बनने लगेंगे।

५—इस फैक्टरी में श्रमिकों को निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त हैं :

(१) Employees State Insurance Scheme.

(२) Employees Provident Fund Scheme इसके अतिरिक्त एक Welfare Centre भी खोला गया है जिसमें श्रमिकों के लिये खेलकूद का पूरा प्रबन्ध है। एक Dispensary भी है जहां इलाज मुफ्त होता है।

पी० एस० यू० पी०— ० पी०—१०६ एल० ए०—१९६०—८४५।